लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

विषय सूची/CONTENTS

अंक 49, बुधवार, 3 मई, 1978/13 वैशाख, 1900 (शक)

No. 49, Wednesday, May 3, 1978/13 Vaisakha, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 947 से 950, 952 से 955 और 958	*Starred Questions Nos. 947 to 950, 952 to 955 and 958	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRTTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 946, 951, 956, 957 और 959 से 966 ;	*Starred Questions Nos. 946, 951 956, 957 and 959 to 966	15 20
अतारांकित प्रश्न संख्या 8850 से 8852, 8854 से 8921 और 8923 से 9049	Unstarred Questions Nos. 8850 to 8852, 8854 to 8921 and 8923 to 9049.	20—117
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377—	118
(1) बोगाईं गांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन के निर्माण में विलम्ब किए जानें के समाचार श्री वेदब्रत बरुआ	(i) Reported delay in construction of broad gauge line from Bongaigaon to Gauhati. Shri Bedabrata Barua	118
(2) डा० राजेन्द्र प्रसाद टी० बी० हस्पताल, में दिल्ली में डाक्टरों तथा नर्सों की कमी का समाचार	(ii) Reported shortage of doctors and nursing staff in Dr. Rajendra Prasad T. B: Hospital Delhi.	
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur.	118
(3) शाह आयोग के पहले अन्तरिम प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने की आवश्यता	(iii) Need to lay the First Interim Report of Shah Commission on the Table of the House.	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	118
(4) ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर के बंद किए जाने का समाचार	(iv) Reported closure of Thakur Paper Mills, Smastipur.	
श्री राम सेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari.	118
(5) सिंगरेनी कोयला खानों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल का समाचार	(v) Reported strike by workers of Singareni Collieries.	
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	118

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।
The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	119—120
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance.	120—122
आगरा में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने का समाचार	Police Firing in Agra	
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	120
श्री धनिक लाल मंडल	Shri Dhanik Lal Mandal	120
श्री डी० जी० गवई	Shri D. G. Gawai	121
श्री शिव सम्पत्ति राम	Shri Shiv Sampati Ram	122
श्री कंवर लाल गुप्ता	Shri Kanwar Lal Gupta	122
पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, 1978-83	Motion re. Draft Five Year Plan 1978-83.	122—138
श्री मोरारजी० देसाई	Shri Morarji Desai	122
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	124
श्री विजय कुमार मलहोत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	131
श्री एन० तोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	132
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	Shri Subramaniam ,Swamy.	133
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	134
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	134
श्री दाजीबा देसाई	Shri Dajiba Desai	135
श्री यशवंत बोरोले	Shi Yashwant Borole	135
श्री दी० सी० काम्बले	Shri B. C. Kamble	136
चौधरी बलवीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	136
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	137
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	137
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	138
कार्य मंत्रण समिति	Business Advisory Committee	
17वां प्रतिवेदन	Seventeenth Report	138
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	138—139
मोती डूंगरी महल की तलाशी में बरामद वस्तुएं	Articles seized during search of Moti Doongari Place.	
श्री राम नरेश कुशवाहा	Shri Ram Naresh Kushwaha	138
श्री सतीश अग्रवाल	Shri Satish Aggarwal	139

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 3 मई, 1978/13 वैशाख 1900 (शक)

Wednesday, May 3, 1978/Vaisakha 13, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

लद्दाख में बिजली का उत्पादन

*947. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक की गई जांच के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर राज्य में पर्वतों से आबद्ध लद्दाख क्षेत्र में 750 मेगावाट पनबिजली पैदा करने की क्षमता है;

(ख) लद्दाख म बिजली के उत्पादन के लिए इस समय विचाराधीन योजनायें कौन-कौन सी हैं; और

(ग) इस जिले में और कौन-कौन सी संभाव्य योजनायें प्रारम्भ की जानी हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) भूतपूर्व केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के विद्युत् स्कंध द्वारा छठे दशक के मध्य में किए गए जल-विद्युत् सर्वेक्षण में जम्मू और कश्मीर राज्य को जल-विद्युत् शक्यता 60 °/° भार अनुपात पर 3590 मेगावाट आंकी गई थी। संभवतया, पर्याप्त आधार-सामग्री के अभाव के कारण इस समय लद्दाख में किसी शक्यतापूर्ण स्थल का पता नहीं लगा था। तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एक प्रारंभिक टोह सर्वेक्षण के अनुसार, लद्दाख में जल-विद्युत् शक्यता उनके द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार मोटे तौर पर लगभग 700 मेगावाट है। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि देश को जल-विद्युत् शक्यता के सर्वेक्षण का पुनर्मूल्यांकन करते समय वे इन ब्यौरों की जांच करें।

(ख) और (ग) 2-2 मेगावाट की दो यूनिटों के प्रतिष्ठापन के लिए स्तकना जल-विद्युत् परियोजना के प्रथम सोपान का कार्य प्रगति पर है। कारगिल में 500 किलोवाट की तीन यूनिटों का एक माइक्रो जल-विद्युत् केन्द्र भी निर्माणाधीन है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि वे निम्नलिखित स्कीमों पर विचार कर रहे हैं :—

1. बनिखर जल-विद्युत्

2. परखाचिक जल-विद्युत्
3. नेमू जल-विद्युत् ; और
4. माइक्रो जल-विद्युत् स्कीमें ।

SMT. PARVATI DEVI : The Hydle power can be produced in large quantity in Ladakh, but at present only 2 megawat electricity is available there. Ladakh is most backward area so far as electricity is concerned. I want to know from the Hon. Minister as to what are the schemes in the current year for increasing the production of power in Ladakh ? By what time the Atakana Hydle power project will be completed. Which are the Hydle power projects under Governments consideration in Ladakh. How much expenditure will incurred on their execution and by what time those projects will be completed.

श्री पी० रामचन्द्रन : लद्दाख में माइक्रो पन-बिजली घर निर्माणाधीन है । स्तकना का निर्माण दो चरणों में होगा । लदाख क्षेत्र के लिए कुछ और योजनाएं भी हैं । मोटे तौर पर 70 मेगावाट बिजली का उत्पादन वहां किया जा सकता है किन्तु वहां बिजली की इतनी मांग नहीं है । यही कारण है कि वे वहां छोटी-छोटी योजनाओं से ही वहां की बिजली की मांग को पूरा करना चाहते हैं । जोकि विचाराधीन है ।

SMT. PARVATI DEVI : There is great, potential to produce power from hilly rivers and water falls on the Japanese technique. I want to know whether Government will send a team of experts there to examine these schemes ? By adopting this method power can be produced at low cost. What is the opinion of Government in this regard ?

श्री पी० रामचन्द्रन : श्रीमान् लद्दाख में जनसंख्या कम है । यदि वहां अधिक बिजली का उत्पादन किया भी जाये तो उसके वितरण का प्रश्न उठ खड़ा होगा और वहां जो बिजली उपलब्ध होगी उसके वितरण में कठिनाई उत्पन्न होगी । यही कारण है कि वहां कुछ बिजली रक्षा प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती है । वहां कुछ गांवों का विद्युतीकरण किया गया है । यही कारण है कि वहां बड़ी योजनाओं पर विचार नहीं किया गया है ।

CHOWDHRY BALBIR SINGH : The Hon. Minister said that there is less consumption of power in Ladakh. We can generate electricity there and that can be provided to Jammu and Kashmir State. Besides this there is a shortage of power in all the parts of the country. Therefore we should generate more and more power there and then surplus power should be distributed to other parts of the country by setting up a national grid. What is Minister's view in this regard ?

श्री पी० रामचन्द्रन : श्रीमान्, बिजली पैदा करने के मामले में हमें उत्पादन लागत और ट्रांसमिशन, दोनों ही बातों को ध्यान में रखना होता है । जहां तक लद्दाख क्षेत्र का सम्बन्ध है, छोटी सी योजनाओं में बिजली उत्पादन की लागत 20,000 रुपये से 42,000 रुपये प्रति किलोवाट आ जाती है जबकि न्यनतम लागत 4000 रुपये से 5000 रुपये तक होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त ट्रान्समिशन एक सौ कुछ किलोमीटर तक होगा । हमें देखना है कि क्या ऐसा करना लाभप्रद होगा । जम्मू और कश्मीर में बिजली की मांग सीमित है । उनकी मांग पूरी करने के लिए हम उत्तरी ग्रिड से उन्हें बिजली की सप्लाई करते हैं ।

REGULARISATION OF SERVICES OF RESEARCH OFFICERS

*948. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that several Research Officers in Central Offices and Departments with 10 to 15 years service are still considered as *ad hoc* appointees;

(b) the number of such officers in the Union Ministries/Departments and whether seniority list of these officers has been prepared;

(c) whether Government are considering a proposal to regularise the service of Research Officers from the date of their appointment;

(d) the number of Research Officers retired without their services having been regularised ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : (a) Yes, Sir. Government are considering a proposal for restructuring

of Grade IV of the Indian Economic Service and Indian Statistical Service. Pending a final decision on this proposal, some vacancies of Research Officers in this Grade have been filled from time to time by promotion on a purely *ad hoc* basis; some of these appointments are continuing for more than 10 years.

(b) The total number of *ad hoc* appointments in Grade IV posts which have continued for more than 10 years is 45 in the Indian Economic Service and 30 in the Indian Statistical Service.

As these appointments are *ad hoc*, no common seniority list of officers holding such appointments has been prepared.

(c) No, Sir.

(d) The number of *ad hoc* appointees to Grade IV posts in both Services who have since retired is 27.

SHRI GANGA BHAKT SINGH : The Hon. Minister has said that Government are considering a proposal for restructuring of Grade IV of the Indian Service and Indian Statistical Service. I want to know the time by which the restructuring work will be completed and whether the research officers engaged in this restructuring work on *ad hoc* basis will be given all the benefits.

श्री एस० डी० पाटिल : यह मामला विचाराधीन है। इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा। इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए इसे सम्बन्धित अधिकारियों को सौंप दिया जायेगा। इसके पश्चात् हमें देखना होगा कि हम उन्हें कितना लाभ दे सकते हैं। किन्तु मुझे शंका है कि जो पहले ही अनुसंधान अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे शायद उन्हें यह लाभ न मिलें।

SHRI GANGA BHAKT SINGH : I want to know from the Hon. Minister as to how many years' service is required for regularising the *ad hoc* appointments and what are the hindrances in the way to regularise the *ad hoc* appointments of officers working for the last 10 years in Grade IV of Indian Economic Service and Indian Statistical Service? It is great injustice that some officers have completed 15 years service and still they are on *ad hoc* basis. Some of them have been retired as *ad hoc* employees and they have not got any chance of promotion. I want to know whether there is any procedural difficulty in it and if so, will the Government consider to change the rules?

श्री एस० डी० पाटिल : उत्तर के पैरा (ख) में मैं पहले ही कह चुका हूं कि चूंकि ये नियुक्तियां तदर्थ आधार पर की गई हैं, इसलिए उनकी पदोन्नति की कोई संभावना नहीं है। जब कोई नियमित या स्थायी सेवा होती है तो उसमें पदोन्नति भी होती है। इस मामले में स्थिति यह है कि चूंकि वे पूरी तरह तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए हैं इसलिए उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। काम की मात्रा को ध्यान में रख कर रिक्त स्थान बनाए जाते हैं। इसलिए उन्हें स्थायी कर्मचारी नहीं समझा जा सकता। यदि उन्हें स्थायी सेवा का दर्जा दिया जायेगा तो फिर उन्हें भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा में सम्मिलित करना पड़ेगा।

SHRI GANGA BHAKT SINGH : I asked what is the rule?

अध्यक्ष महोदय : क्या नियमों में कोई बाधा है?

MR. RAMJI SINGH : The Hon. Minister has said that common seniority list is not maintained. I want to know whether promotion imbalance in services do not take place in the absence of such list? If imbalance takes place, whether such list will be maintained? I want to know by what time common seniority list will be prepared.

श्री एस० डी० पाटिल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये नियुक्तियां बिल्कुल तदर्थ आधार पर की गई हैं। वरिष्ठता सूची तैयार करने का प्रश्न नहीं है। जहां तक वेतन तथा रिटायर होने पर मिलने वाले लाभों आदि का सम्बन्ध है उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय : उनकी पदोन्नति नहीं होगी।

श्री एस० डी० पाटिल : उनके वेतन में वृद्धि होती है। उनके वेतन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि यदि उन्हें स्थायी किया जायेगा तो इससे अन्य वर्ग भी प्रभावित होंगे।

असम-अरुणाचल प्रदेश सीमांकन

*. 949. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में सीमांकन के संबंध में दोनों राज्यों की सरकारों के बीच कोई विवाद है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के किस-किस क्षेत्र के संबंध में विवाद है और विवादों को सुलझाने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि कोई विवाद हैं तो समझौते होने में और कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) (ख) और (ग) असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा रेखा के सीमांकन के बारे में कुछ कठिनाइयां रही हैं जिन्हें दोनों सरकारों की आपसी बातचीत तथा भारतीय सर्वेक्षण की सहायता से दूर किया जा रहा है। सीमांकन कार्य शीघ्र करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन 1971 में हुआ था। 1973 में लखीमपुर के लगभग 22 छात्र किमिन नदी के किनारे पिकनिक पर गए थे और अरुणाचल के जनजाति के लोगों ने उन्हें घुसपैठिया समझ कर लगभग 12 छात्रों पर हमला किया और उन्हें मार दिया, क्योंकि इस नदी का तट अरुणाचल तथा आसाम के बीच विवादग्रस्त क्षेत्र बना हुआ है। 1974 में आसाम के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले कुछ अप्तानी जनजाति के लोगों को लखीमपुर जिले के राजस्व प्राधिकारियों ने बेदखल कर दिया, जिससे कुछ गड़बड़ी हो गई। गत वर्ष कमेंग जिले के अका जनजाति के लोगों ने भालुकपंग क्षेत्रों पर अपना दावा किया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र 'कुछ अन्य जनजाति के लोगों ने भी छापे मारे। इन घटनाओं और उस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आसाम-अरुणाचल सीमा की कुल लम्बाई क्या है और परस्पर बातचीत के लिए कितने उपायुक्तों को लगाया गया है और क्या सही सीमांकन करने के लिए राजस्व प्राधिकारियों की सहायता हेतु भारतीय भू-सर्वेक्षण को भी इस काम में लगाया गया है और सीमांकन कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

श्री धनिक लाल मण्डल : अरुणाचल तथा आसाम की सीमा 716 किलोमीटर है जो कि चार जिलों तक फैली हुई है। 1976 तथा 1977 में दोनों मुख्य मंत्रियों ने स्थिति पर पुनर्विचार किया। वे इस दिशा में हो रही प्रगति से संतुष्ट हैं। 396 किलोमीटर क्षेत्र का पहले ही सीमांकन हो चुका है। शेष क्षेत्र के सीमांकन का काम चल रहा है।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आसाम और अरुणाचल के लोग एक ही वर्ग के हैं और पीढ़ियों से वे साथ-साथ रहे हैं। राज्यों के पुनर्गठन के कारण ही वे लोग पृथक हुए हैं। नदी नियंत्रण तथा पन-बिजली परियोजनाएं और क्षेत्र विकास की उनकी कई संयुक्त परियोजनाएं हैं। सीमा के परिभाषित न होने तथा सीमांकन न होने के कारण क्या भारत सरकार का विचार अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को आसाम में विलय करने का है ताकि वे शांतिपूर्वक साथ-साथ रह सकें और विकास कार्य अधिक बेहतर ढंग से हो सके।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जी० एस० रेड्डी : 30 वर्ष का समय बहुत होता है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें 30 वर्ष का समय नहीं लगा है। इसमें तो केवल तीन वर्ष का समय लगा है।

श्री जी० एस० रेड्डी : ऐसे विवादों को निपटाने के लिए 3 वर्ष का समय भी बहुत होता है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से कोई सम्बध नहीं है ।

श्री बेदब्रत बरुआ : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या वहां कोई सीमा विवाद है क्योंकि उत्तर से ऐसा लगता है कि समस्या केवल सीमांकन की है, जिसका अर्थ यह है कि वहां क्षेत्र का कोई झगड़ा नहीं है। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आसाम के विभिन्न अनुवर्ती राज्यों ने दावे किए हैं।

मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि वहां कोई सीमा विवाद नहीं है और समस्या केवल सीमांकन की है। दूसरे आज अखबारों में खबर छपी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटनाएं हुई हैं। क्या मंत्री जी को इस बारे में कुछ पता है ?

श्री धनिक लाल मण्डल : हां, श्रीमान वहां कोई सीमा विवाद नहीं है। यह तो केवल सीमांकन का प्रश्न है। किन्तु वहां क्षेत्र के बारे कुछ दावे किए गए हैं, जिनका 1951 में आसाम में अन्तरण किया गया था। यह निर्णय वहां के तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री मेधी की समिति ने लिया था। 1947 में संविधान सभा ने एक उप-समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं जिन्हें तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वीकार कर लिया था और 1951 में एक अधिसूचना जारी की गई थी। उस क्षेत्र के बारे में कुछ दावे किए गए थे, किन्तु सरकार की ओर से नहीं। लोगों के कुछ वर्ग ये दावे कर रहे हैं। अतः किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं है। प्रश्न केवल सीमांकन का है।

माननीय सदस्य ने जो गोली चलाने का उल्लेख किया है, उसकी मुझे सूचना मिली है किन्तु मुझे कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कागज वितरण प्रणाली में परिवर्तन

*950. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कागज व्यापारियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि कागज की वर्तमान वितरण प्रणाली में परिवर्तन करके एकाधिकार समाप्त किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) दि फेडरेशन आफ ट्रेडरस् एसोसिएशन आफ इण्डिया ने सुझाव दिया है कि वितरण प्रणाली को विस्तृत आधार प्रदान कर दूर-दूर तक फैले हुए वितरकों के माध्यम से सभी प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में कागज उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा वितरण में एकाधिकार की प्रवृतियों को दूर करने हेतु प्रस्तावित वितरकों की नियुक्ति में फेडरेशन की भूमिका केवल एक सलाहकार की ही रहनी चाहिए।

(ख) उपभोक्ताओं का निगम के डिपों के माध्यम से कंपनी के सूची-मूल्यों पर उत्पाद प्राप्त होने का सुनिश्चिय करने हेतु दि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड एक उपभोक्ता उन्मुख वितरण प्रणाली बना रहा है। मिलों द्वारा सीधे शिक्षा क्षेत्र के आबंटियों को रियायती मूल्य पर छपाई के सफेद कागज का संभरण भी किया जा रहा है। जहां तक अन्य किस्मों के कागज का संबंध है, उनके वितरण पर इस समय कोई नियंत्रण नहीं है तथा परस्पर स्वीकार्य वितरण प्रणाली के बारे में निर्णय करने का कार्य उद्योग, व्यवसाय और उपभोक्ताओं का है।

श्री जनार्दन पुजारी : एक वर्ष पूर्व कागज निर्माता शिकायत कर रहे थे कि उनके गोदाम कागज से भरे पड़े हैं और उनके व्यापार में मंदी है। व्यापारिक छूट देने पर भी ग्राहक उन्हें नहीं मिल रहे हैं। आज स्थिति यह है कि वास्तविक निर्माताओं को अपनी आवश्यकता पूर्ति करना कठिन हो गया है। और वे संकट में हैं क्योंकि कागज की कमी है और मूल्य भी बढ़ गए हैं। यह कमी बड़े निर्माताओं द्वारा स्वयं पैदा की गई है। अतः सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में क्यों नहीं सोच रही है ताकि उचित वितरण और वास्तविक उपभोक्ताओं को कुछ सुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके ?

श्रीमती आभा मयंती : मैंने तथ्य बता ही दिए हैं। इस समय सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। पता चला है कि रियायती मूल्य वाले कागज का व्यापार कुछ एजेंटों के हाथ में है जिससे छोटी कापियां बनाने वाले इस कागज से वंचित हैं। तो क्या सरकार निकट भविष्य में संकट से बचने के लिए कागज का आयात करने के बारे में क्यों नहीं सोच रही है ?

श्रीमती आभा मयती : रियायती मूल्य वाले सफेद कागज के बारे में समन्वय समिति द्वारा प्रबन्ध किए गए हैं। वह सारा कागज मिलों से ले कर राज्यों में बांटेगी। राज्यों में वहां की सरकारों को अपनी समितियां बनानी होंगी जो यह कागज वास्तविक उपभोक्ताओं को देंगी।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने इसके आयात के बारे में पूछा था।

श्रीमती आभा मयती : इस समय इसकी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तब सरकार इस पर अवश्य विचार करेगी।

SHRI BIRENDRA PRASAD : Sir, I want to know the steps proposed to be taken by Government to control distribution so as to ensure adequate supply to all consumers ?

श्रीमती आभा मयती : यह ठीक है कि कागज की सभी किस्मों के वितरण पर नियंत्रण नहीं है परन्तु सफेद कागज के वितरण पर तो नियंत्रण बना हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि क्या वितरण के नए माध्यम बनाए जाएंगे ?

श्रीमती आभा मयती : कुछ समय पूर्व हमने इस सुझाव पर विचार किया था परन्तु यह कठिन है क्योंकि कागज की अनेक किस्में हैं और उनके मूल्य भी भिन्न हैं। 1975 में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने भी यही महसूस किया था कि वितरण प्रणाली की जटिलताओं के कारण वितरण नियंत्रण की कोई उचित व्यवस्था करना कठिन होगा।

श्री के० गोपाल : एक ओर वह कहती हैं कि आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरी ओर वह यह भी मानती हैं कि वितरण प्रणाली व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि देश में सफेद कागज की कुल मांग कितनी है, इसकी स्थापित क्षमता क्या है और वास्तविक उत्पादन कितना है ?

श्रीमती आभा मयती : हमारी आवश्यकता कुल 2 लाख टन सफेद कागज की है जिसमें से 80,000 टन पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के लिए और 1.2 लाख टन शिक्षा के क्षेत्र के लिए है।

जहां तक स्थापित क्षमता का प्रश्न है, पहले कागज मिलें जितना चाहें उत्पादन करती थीं परन्तु अब हमने उन्हें कहा है कि जिनकी क्षमता 25 टन प्रतिदिन या इससे अधिक की है वे कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत उत्पादन सफेद कागज का अवश्य करें।

ASSISTANCE FOR GENERATING ADDITIONAL EMPLOYMENT IN KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES

*952. SHRI RAM SEWAK HAZARI }
SHRI SUKHENDRA SINGH } : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the Khadi and Village Industries Commission is implementing a programme providing five lakh additional jobs and has sought an assistance of Rs. 75 crores from Government for the purpose;

(b) if so, Government's reaction in this regard; and

(c) the assistance proposed to be given to the Commission by Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (c) The Khali and Village Industries Commission is playing a predominent role in providing gainful employment opportunities on a substantial scale in the rural areas. Within its limited resources, the Government provide funds to the Khadi & Village Industries Commission as far as feasible. During the current year (1978-79) an allocation of Rs. 65.73 crores has been made to the Commission. It is expected that employment in the Khadi & Village Industries sector will increase from 25.60 lakhs in 1977-78 to 28.41 lakhs in 1978-79.

SHRI RAM SEWAK HAZARI : Sir, It has been stated that Rs. 65.73 crores have been allotted to the Commission as a grant 75 crores. Thus there is a shortfall of about 9.75 crores. I, therefore, want to know the numbers of persons who could be given employment if the full amount had been made available to the Commission ?

श्रीमती आभा मयती : जहां तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दिए जाने वाले धन का संबंध ई मैं कय महोदय को आश्वासन डेती हूं कि आयोग को अपने कार्य का विस्तार करने में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।

SHRI RAM SEWAK HAZARI : Whether Government would ensure that centres proposed to be opened in backward States start function in a planned and phased manner ?

श्रीमती आभा मयती : खादी और ग्रामोद्योग आयोग राज्यों में बोर्डों के माध्यम से काम करता है। अतः अच्छा हो यदि सदस्य महोदय अपने राज्य में बोर्ड से इस सझाव पर अमल करने के लिए कहें।

श्री हितेन्द्र देसाई : गत वर्ष कितने अतिरिक्त रोजगार जुटाए गए और औसत दैनिक आय कितनी थी ?

श्रीमती आभा मयती : गत वर्ष, अर्थात् वर्ष 1977-78 म 25.60 लाख रुपये थे। जैसा कि वह जानते हैं वह रोजगार आंशिक है और साधारणतया उन्हें 3—8 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं।

श्री हितेन्द्र देसाई : क्या उन्होंने अतिरिक्त रोजगार के बारे में बता दिया है ?

श्रीमती आभा मयती : इस समय वह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री वी अरुणाचलम : क्या सरकार को पता है कि इस आयोग द्वारा चलाई गई अनेक समितियां सफलतापूर्वक काम नहीं कर रहीं हें ? नई योजनाएं लागू जरने से पूर्व ही उन लोगों ने ह्मण की पूरी राशि हड़प ली है। क्या सरकार खादी बोर्ड के अधीन समितियों के कार्य की समीक्षा करेगी ?

श्रीमती आभा मयती : खादी बोर्ड राज्य सरकारों के अधीन है।। ठीक से काम न करने वाले संगठनों की खबर राज्य सरकारें ले सकती हैं।

UNIFORMITY IN KEY BOARD OF HINDI TYPEWRITER

*953. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether no decision has yet been taken regarding uniformity in key board Hindi typewriters;

(b) how many times this key board has been modified since the beginning.

(c) whether frequent modifications in key boards cause inconvenience to typists and also hinder them from increasing their speed; and

(d) whether Government are also aware of the fact that because of non-standardisation of key boards, companies manufacturing typewriters do not manufacture Hindi typewriters and the people intending to purchase them do not got the supply even after two months ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) to (d) Key-board of Devnagri typewriters has been made and standardised. The manufacturers are now producing typewriters with this Standard key-board. According to the Director-General of Supplies and Disposals, they have no indent for supply of typewriters pending with them for more than two months.

Keeping in view the requirements of languages other than Hindi, which use Devnagri script and also in order to improve the script, increase the typing speed, certain mechanical improvements were considered inevitable and these were done from time to time in accordance with the advice of experts. The key-board has been improved about six times till date and this has brought about increased convenience to the typists and also increased the typing speed.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Sir, he has stated that the key-board has been improved six time so far but I feel that it has been changed six times. He has also claimed that it has increased the typing speed. Hindi typewriter was first introduced in 1939. Another version was brought out in 1952. Yet another was introduced in 1960 and in 1974 it was changed twice. The typewriter in use at present cannot run at a speed higher than 60 w.p.m. Its keyboard is repeatedly being changed by the Stores of English, whether the English key-board has not been changed even once. Why it was changed when the previous key-board was working satisfactorily ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : Sir, if the change is for the better, it is called improvement. All the changes made in the Hindi key-board are for the better as it has improved the speed. A Committee of Experts was appointed by the Ministry of Education in 1955 to look into the keyboard of Hindi typewriter and it was changed six time till

1969 after eliciting opinion for experts and organisations connected with Hindi. When this matter came under the Official Language Department i.e. in April, 1976, it has been changed only once and that too after obtaining the opinion of all concerned. The present key-board has been standardised and has been much improved. Half space has been removai. A new sign has been introduced for languages other than Hindi. Signs have also been redesigned. Some mixed words of common use have also been introduced and type cases have been so designed as to put out matter which is easily readable and better quality stencils are cut. All these changes have cut down maintenance cost also besides more speed.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : He has stated that experts were consulted. I want to know who are they? Whether those who use such typewriter or those who use Hindi in their work? He has also said that this has reduced expenditure also. But let him state the prices of typewriters in 1939 and now.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : The Experts Committee has consulted the typists and their organisations as also these connected with Hindi. Regarding reduction in prices it will be done to removal of half-space and introducing of a new sign for languages other than Hindi. .....

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : I had asked about the prices.

अध्यक्ष महोदय : आप तो एक बारी में आधा दर्जन प्रश्न पूछ लेते हैं। इन सभी का उत्तर कोई कैसे दे सकता है ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I require notice for this.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : On a point of order, Sir. The hon. Minister had admitted that the cost had come down. I want to know the cost in 1949 as also the cost at present.

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए उन्हें सूचना चाहिए।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : There is no need for separate notice for this. I want to know the original as well as the present cost, as he has said that the cost has come down.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस की अनुमति नहीं देता।

SHRI RAM VILAS PASWAN : I want to know the number of Hindi as well as English typewriters in the offices of the Government of India at present.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री बसन्त साठे : जहां तक हिन्दी टाइपराइटर का प्रश्न है, भारत के एक प्रसिद्ध टाइपिस्ट श्री नीलाखे ने कुछ सुधार आदि करने का सुझाव दिया था। वह प्रस्ताव अंग्रेजी टाइपराइटरों के की-बोर्डों में थोड़ा सा परिवर्तन करके उन्हें हिन्दी टाइपराइटरों में बदलने से सम्बधित था। सरकार ने कुछ समय तक उस प्रस्ताव पर विचार किया था। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : Shri Milakhe was asked to produce his typewriter. He did not agree to do that. The Government did not consider the proposal.

SHRI VASANT SATHE : It is incorrect वह अपना टाइपराइटर यहां लाया था। शायद मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नही होता। आप प्रश्न पूछिए।

श्री बसन्त साठे : यह प्रश्न हिन्दी टाइपराइटरों में सुधार से सम्बन्धित है। हिन्दी टाइपराइटरों में सुधार करने का एक सुझाव दिया गया था। मैं उस सुझाव के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। मंत्री महोदय की यह जानकारी सही नहीं है कि वह व्यक्ति टाइपराइटर दिखाने के लिए नहीं आया। वह व्यक्ति आया था और उसने अपने टाइपराइटर का प्रदर्शन किया था। मुझे इस बात की व्यक्तिगत रूप से जानकारी है। शायद मंत्री महोदय को इस की जानकारी नहीं है।

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I have informed the hon. Member that he was asked to give his typewriter for examination. But he did not do that. He wanted the Government to buy his typewriter. That proposal was not considered.

SHRI SAMAR GUHA : It is good that Government is making efforts for the development of standardised Hindi typewriters. But nothing has been done in the matter of other regional languages.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री समर गुह : मैं जानता हूं कि तकनीकी तौर पर यह प्रश्न उपन्न नहीं होता। परन्तु यह मंत्री महोदय यह जानकारी दें कि विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के टाइपराइटरों को स्टैंडाइज करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और क्या सहायता दे रही है, तो यह देश के लिए हितकर होगा।

SHRI DHANIK LAL MANDAL : The Ministry of Home Affairs is responsible only for the official language of the centre. The other regional languages come under the purview of Ministry of Education. I am not in a position to give any assurance in this regard.

टेलीविजन सेटों का निर्माण

*954. **श्री ग्रहमद एम० पटेल** : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टेलीविजन बनाने वाले उद्योगों की संख्या और नाम क्या हैं;

(ख) क्या टेलीविजन बनाने के लिए किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने लाइसेंस हेतु आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कम्पनी का क्या नाम है ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) एक विवरण पत्न सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस समय 53 एकक दूरदर्शन सेटों का निर्माण कर रहे हैं। इनके नामों की सूची अनुबंध में दी गई है।

(ख) तीन बहुराष्ट्रिक कम्पनियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र पेश किया था किन्तु किसी को भी औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया। किसी बहुराष्ट्रिक कम्पनी का कोई भी आवेदन-पत्न विचाराधीन नहीं है।

(ग) तथा (घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	एकक का नाम
1	2
1.	मैसर्स बीडियोन, नई दिल्ली।
2.	मैसर्स डी० टी० गान्धी, नई दिल्ली।
3.	मैसर्स उधम सिंह, रेडियो इंजीनियरिंग, नई दिल्ली।
4.	मैसर्स एस्के इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
5.	मैसर्स टेलीवाक्स (इण्डिया), नई दिल्ली।
6.	मैसर्स उद्योग भारतीय (पा०) लिमिटेड।
7.	मैसर्स टेलीविस्टा इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
8.	मैसर्स रेडियो विजन इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली।
9.	मैसर्स वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
10.	मैसर्स सिलवानो टेलीविजन एण्ड इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
11.	मैसर्स जुपिटर रेडियो, नई दिल्ली।
12.	मैसर्स भारत टेलीविजन (प्रा०) लिमिटेड, हैदराबाद।
13.	मैसर्स अमरीकन इलेक्ट्रोनिक्स, बड़ौदा।
14.	मैसर्स मैक इलेक्ट्रानिक्स, अहमदाबाद।

1	2
15.	मैसर्स टेलीविजन कम्पोनेंट्स, अहमदाबाद ।
16.	मैसर्स ओरियेंट इलेक्ट्रानिक्स, श्रीनगर ।
17.	मैसर्स आचार्य इलेक्ट्रानिक्स, नागपुर ।
18.	मैसर्स पोलस्टार इलेक्ट्रानिक्स, बम्बई ।
19.	मैसर्स इंटरनेशनल इलेक्ट्रानिक्स, बम्बई ।
20.	मैसर्स सुदर्शन इलेक्ट्रानिक्स, बम्बई ।
21.	मैसर्स अमर टेलीविजन (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई ।
22.	मैसर्स करतारी इलेक्ट्रानिक्स, बम्बई ।
23.	मैसर्स वैल्विन टेलीविजन इंडिया, मद्रास ।
24.	मैसर्स हाईबीम इलेक्ट्रानिक्स, मद्रास ।
25.	मैसर्स बी० एल० आर० एस०, मदुरैई ।
26.	मैसर्स बैल्टेक इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, गुड़गावां ।
27.	मैसर्स माडर्न इलेक्ट्रानिक्स, हरियाणा ।
28.	मैसर्स क्रैस्टल इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, मेरठ ।
29.	मैसर्स वीडियो इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, गाजियाबाद ।
30.	मैसर्स टेलट्रानिक्स लिमिटेड, नैनीताल ।
31.	मैसर्स अमर इलेक्ट्रानिक्स, (प्रा०) लिमिटेड ।
32.	मैसर्स सोना इलेक्ट्रानिक्स, गाजियाबाद ।
33.	मैसर्स टेलीविजन एण्ड इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएट (प्रा०) लिमिटेड, वाराणसी ।
34.	मैसर्स ज्योति इलेक्ट्रानिक्स, कलकत्ता ।
35.	मैसर्स रेडकान इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता ।
36.	मैसर्स विनय इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता ।
37.	मैसर्स सोनोडाइन टेलीविजन कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता ।
38.	मैसर्स बसलिक इंस्ट्रेमेंट्स (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता ।
39.	मैसर्स टेलीरमा (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता ।
40.	मैसर्स टेलीविजन कम्बाइन, जयपुर ।
41.	मैसर्स नेवको इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, लुधियाना ।
42.	मैसर्स पंजस्टार स्टेंडर्ड (प्रा०) लिमिटेड, चंडीगढ़ ।
43.	मैसर्स ग्रेवाल रेडियो कं०, लुधियाना ।
44.	मैसर्स जेयसी इलेक्ट्रानिक्स, बंगलौर ।
45.	मैसर्स उड़ीसा स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, कटक ।
46.	मैसर्स टेलीराड (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई ।
47.	मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद ।
48.	मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन, जयपुर ।
49.	मैसर्स केरला स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवलपमेंट कारपोरेशन, त्रिवेंद्रम ।
50.	मैसर्स हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद ।
51.	मैसर्स डायना विजन लिमिटेड, मद्रास ।
52.	मैसर्स यू० पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
53.	मैसर्स हिमाचल प्रदेश मिनिरल एण्ड इंडस्ट्रीयल डिवलपमेंट कारपोरेशन, सोलान ।

SHRI AHMED M. PATEL : I want to know whether any decision will be taken for expanding T.V. facilities particularly in Gujarat, as the major cities of Gujarat have not so far been benefited by T.V. facilities.

SHRI MORARJI DESAI : The question does not pertain to expanding T.V. facilities.

SHRI AHMED M. PATEL : The T.V. sets manufactured in the country go out of order very frequently and there is no proper T.V. repairing centre in the country. Will any arrangements be made for providing T.V. repairing facilities?

SHRI MORARJI DESAI : To provide T.V. repairing facilities is the duty of T.V. manufacturers. There is no need for setting up any such centre.

ACTION TAKEN ON BAWEJA COMMISSION REPORT

*955. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the action taken over the Baweja Commission report about lathi charge in Tihar Jail during the period of emergency;

(b) the action taken against those officials who gave false evidence before the Commission;

(c) the reasons why Government have not published the report fully;

(d) whether it is a fact that record of lathi charge was changed as per report at the Commission; and

(e) how many persons were injured in the lathi charge?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) to (b) The report of the Baweja Commission of Inquiry has been accepted by Government and Delhi Administration has been directed to complete departmental action against the erring officials for their lapses, for which purpose the Administration is examining the matter in all its aspects.

(c) The full report as submitted by the Commission has been laid on the Table of the House.

(d) The report of the Commission does not contain any such finding.

(e) According to the report, 56 persons were injured.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I congratulate the Government for accepting the Baweja Commission Report. It is a serious matter. In reply to my first question on 22nd June, 1977, it was stated by the Minister that there had not been any lathi-charge in Delhi. Then on my writing again to him it was stated that there had been no lathi charge but a scuffle. The Home Minister was thus misguided twice. It was only after writing thrice that the facts were brought to light. I would like to know whether you will pin-point the responsibility of the officers who misguided you in giving wrong answers separately.

यदि मैं विपक्ष में होता तो विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव लाता । परन्तु मैं सत्ताधारी दल से सम्बद्ध हूं ।

यदि आप प्रतिवेदन को पढ़े तो ज्ञात होता कि कई अधिकारियों ने झूठे शपथ पत्र भरे और झूठे ब्यान दिये । ववेज आयोग ने भी यह बात स्वीकार की है । मेरा प्रश्न यह है कि यदि उन्होंने झूठे शपथ पत्र भरे हैं, तो क यह एक दण्डिक अपराध है । इससे विभागीय जांच का प्रश्न नहीं उठता । क्या आप उन अधिकारियों पर मुकदमे चलाएंगे जिन्होंने झूठे शपथ पत्र दिए हैं ? मेरा पहला प्रश्न यह था कि क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : The Government have accepted the Baweja Commission Report in full and the report has been forwarded to Delhi Administration for taking action against those found guilty. It will take some time. It will take at least four or six months. The Hon. Member should have patience.

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या हम सभा का समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं ? मेरा प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न होता है । वह प्रतिवेदन का अंग है । जो कुछ मैंने कहा है, वह आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं । आपका पहला प्रश्न था कि अधिकारियों ने गलत जानकारी दी और मंत्री ने गलत उत्तर दिया । यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

दूसरा प्रश्न गलत शपथ पत्र देने से सम्बन्धित है । यह प्रश्न उत्पन्न होता है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आयोग ने कहा है कि बार-बार गलत उत्तर दिये गये। मेरे प्रश्न का आधार आयोग का प्रतिवेदन है। क्या आप उन अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे और उन्हें दण्ड देंगे जिनके कारण आप को गलत उत्तर देना पड़ा है।

दूसरे उन्होंने बाद में झूठे शपथ पत्र भरे। झूठे शपथ पत्र भरना कानून का उल्लघंन है। क्या आप उन पर मुकदमा चलायेंगे। मेरे प्रश्न के ये दो भाग हैं। उन्होंने किसी का भी उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : दो प्रश्न ये है कुछ व्यक्तियों ने गलत जानकारी दी। इसलिए आपने सभा को गलत जानकारी दी। क्या आप उन्हें दण्ड देंगे।

दूसरे कुछ व्यक्ति ने बवेजा आयोग के समक्ष झूठे शपथ पत्र भरे। क्या उन पर मुकदमा चलाया जायेगा।

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I have said that the Commission's report has been accepted and if the observation is part of the report, it has also been accepted and action will be taken on whatever is contained in the report.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्री तैयार होकर नहीं आये हैं। बवेजा आयोग को केवल यह पता लगाना था कि लाठी चार्ज हुआ अथवा नहीं। अधिकारियों को दण्ड देना उसका काम नहीं था। इसलिए उसने अधिकारियों को दण्ड देने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की। यह निर्णय करना आप का काम है न कि आयोग का। उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है कि अधिकारियों को दण्ड दिया जायेगा। वह कहते हैं कि जो भी सिफारिशें की गई हैं उन पर कार्यवाही की जायेगी।

सेवाएं एक सुरक्षित विषय है तथा दिल्ली प्रशासन का आन्तरित विषय नहीं है। समूचा मामला उप-राज्यपाल को जायेगा, जिसने बार-बार आपको जानबूझ कर गुमराह किया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कुछ अधिकारियों को जिन्होंने गलत जानकारी दी थी, प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी पदोन्नत किया गया है। यह मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या गृह मंत्रालय का कोई निष्पक्ष अधिकारी समूचे मामले की जांच करेगा? दूसरे तिहाड़ जेल में बहुत भीड़ रहती है। तिहाड़ जेल में केवल 1200 बन्दियों के लिए स्थान है और वहां अब भी 4000 बन्दी हैं। क्या आप उन्हें सब सुविधायें देने के लिए दिल्ली में एक नई जेल बनवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता। केवल पहले भाग का उत्तर दिया जाये।

SHRI DHANIK LAL MANDAL: The Commission's report has been forwarded to Delhi Administration for implementation and action is being taken thereon.

श्री के० लकप्पा : श्री कंवर लाल गुप्त ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जिन अधिकारियों ने गलत जानकारी दी थी उन्हें दण्ड देने की बजाय पदोन्नत किया गया है। ऐसा करना सरकार द्वारा उस शपथ का उल्लंघन है जो जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले गांधी जी की समाधि पर ली थी।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री के० लकप्पा : मैं जनना चाहता हूं कि क्या सरकार का सिद्धान्त अथवा नीति यह है कि उस प्रत्येक मूल सिद्धान्त का उल्लंघन किया जाये जिसकी उन्होंने सत्ता सम्भालने से पहले शपथ ली थी।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अगला प्रश्न।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खानों में श्रमिकों की मृत्यु

*958. **श्री ए० के० राय :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान मार्च, 1978 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद की जयरामपुर कोयला खान और तसरा कोयला खान में हुई क्रमश: एक-एक घातक दुर्घटना की ओर दिलाया गया है जिनमें एक हरिजन पुरुष श्रमिक और तीन हरिजन महिला श्रमिक मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं के शिकार हुए श्रमिकों के नाम क्या है और दुर्घटनाओं की परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि खान विभाग ने तसरा कोयला खान में लदान करने के स्थान पर आपत्ति की थी जहां दुर्घटना हुई और जयरामपुर में लदान करने वाले एक श्रमिक को कानून के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थों सम्बन्धी कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि दोनों मामलों में डाक्टरी सहायता विलम्ब से दी गई । यदि हां, तो उन को अस्पताल में दाखिल करने के समय का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार दुर्घटना के शिकार हुए श्रमिकों को काम और मुआवजा देगी और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी ; और

(च) यदि हां, तो कब ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत कोकिंग कोल लि० के अधीन जयरामपुर कोयला खान में 16 मार्च, 1978 को लगभग 7.00 बजे शाम को उस समय दुर्घटना हुई जब श्री शंकर बौरी के ऊपर छत का एक हिस्सा गिर पड़ा ? यह व्यक्ति पलीता लगाने में सहायक मजदूर के रूप में गत 1½ वर्ष से दिहाड़ी मजदूरी पर काम कर रहा है । उसे स्ट्रेचर पर खान से बाहर लाया गया, कोलियरी के दवाखाने के चिकित्सक द्वारा उसका आवश्यक प्राथमिक उपचार किया गया और उसी दिन शाम को 7.45 बजे उसे केन्द्रीय अस्पताल भेजा गया । चिकित्सा अधिकारी तथा कम्पनी के कल्याण अधिकारी उसके साथ अस्पताल गए । अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई । कम्पनी के आन्तरिक सुरक्षा संगठन द्वारा की गई जांच के अनुसार मृतक कामगार पलीते से उड़ाई गई कोयले की दीवाल के समीप पलीता की तार समेटने के लिए चला गया यद्यपि तब तक पलीता लगाने वाले व्यक्ति ने छत का निरीक्षण नहीं किया था और न ही उसे सुरक्षित घोषित किया था। अतः समिति का विचार है कि यह दुर्घटना मृतक की गलती से हुई । खान सुरक्षा महानिदेशालय की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है । कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन उसे मुआवजा दिया जाएगा ? कम्पनी मृतक के एक सगे आश्रित को नौकरी देगी ।

2. भारत कोकिंग कोल लि० की तसरा कोयला खान में 29 मार्च,1978 को लगभग 3 बजे शाम को ट्रकों में कोयला भरते समय घातक दुर्घटना हुई । कोयले के एक खरीददार द्वारा लगाए गए कामकार जब ट्रकों में कोयला भर रहे थे उस समय कोयले का तटबन्ध घसक गया और 3 महिला मजदूरिनें श्रीमती बुधनी मुंडैन, श्रीमती तुलसी मुंडैन और श्रीमती लाख मुंडैन उसके नीचे दब गईं । दो लाशें तथा एक घायल कामगार उसी दिन 3.30 बजे शाम को अस्पताल पहुंच गए किन्तु तीसरी लाश, अस्पताल 8 बजे रात को ले जाई जा सकी क्योंकि अन्य मजदूरों ने उसे रोक रखा था । खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी ने कहा था कि तटबन्ध की ऊंचाई कम कर दी जाए तथा कोलियरी के कार्यवाहक प्रबन्धक ने 29 मार्च, 1978 को पूर्वाह्न में उस स्थान का निरीक्षण किया था और कामगारों को सलाह दी थी कोयले की ऊपरी सतह को बराबर कर दें । उक्त दुर्घटना की जांच करके खान सुरक्षा महानिदेशालय जो रिपोर्ट देगा वह भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन मृतक कामगारों को मुआवजा देने का दायित्व भा० को० को० लि० का नहीं है । फिर भी, मानवीय आधार पर कम्पनी ने प्रत्येक मृतक के आश्रितों को अन्तिम संस्कार के लिए 500 रु० की अनुग्रह धनराशि दी है ।

श्री ए० के० राय : सभा पटल पर रखे गये विवरण में उत्तर के प्रथम भाग में मंत्री जी ने कहा है कि गरीब हरिजन श्रमिक श्री शंकर बौरी पलीता लगाने में सहायक मजदूर था और अपनी मृत्यु के लिये वह स्वयं जिम्मेदार है । यह कैसे हो सकता है कि मृतक अपनी मृत्यु के लिये स्वयं जिम्मेदार है ? यह एक विचित्र निष्कर्ष निकाला गया है । सही तथा संक्षिप्त उत्तर देने के बजाय आप एक लम्बी कहानी बता रहे हैं । आप का कहना है कि वह पलीता लगाने वाला एक सहायक मजदूर था, परन्तु मेरा कहना है कि वह एक लदान करने वाला मजदूर था । उसे पलीता लगाने में सहायक मजदूर के रूप में काम करने के लिये मजबूर किया गया ।

वह वहां उस समय गया जब छतों आदि का निरीक्षण नहीं किया गया । इनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी प्रबन्धकों, ओवर मैन और इन्चार्ज और पलीता लगाने वाले अधिकारी की है। ये अधिकारी उस समय क्या कर रहे थे ।

मंत्री जी ने कहा है कि यह व्यक्ति पलीता लगाने में सहायक मजदूर के रूप में काम करता था न कि लदान करने वाले मजदूर के रूप में । मैं जानना चाहता हूं कि उसका सरकारी पद क्या था, क्या वह लदान करने वाला एक मजदूर था या पलीता लगाने वाला सहायक मजदूर । उस क्षेत्र में वह क्या कर रहा था ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : वक्तव्य में यह बताया गया था कि वह उस क्षेत्र में पलीता लगाने में सहायक मजदूर के रूप में काम करता था । वह वहां $1\frac{1}{2}$ वर्ष से काम कर रहा है । वह वहां गत $1\frac{1}{2}$ वर्ष से दिहाड़ी मजदूरी पर काम कर रहा है । मेरे पास यही जानकारी है । यदि माननीय सदस्य के पास कुछ और जानकारी है, तो वह मुझे दें, मैं उसकी जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि प्रबन्धक तथा अन्य लोग छत आदि का निरीक्षण करने के लिये उस समय क्या कर रहे थे?

श्री पी० रामचन्द्रन : विस्फोट होने के बाद जब वास्तव में दुर्घटना हो गई, उसे वहाँ से तार समेट लेनी चाहिये थी । छत का निरीक्षण किये बिना वह तार को समेटने के लिये अन्दर घुसा । उसी कारण से छत गिर गई और दुर्घटना हो गई । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि छत का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक तथा अन्य अधिकारियों का था । क्या उन्होंने उसे निभाया ?

श्री पी० रामचन्द्रन : हम समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समिति का प्रतिवेदन मिलने पर यदि किसी अधिकारी को दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री ए० के० राय : दूसरी दुर्घटना तसरा कोयला खान में हुई । आप यह जानकार हैरान होंगे कि वहां पर कोयले की ऊंचाई 70 फुट है । यह तीन आदिवासी श्रमिकों पर गिर पड़ा और उनके नाम श्रीमती बुधनी मुंडैन, श्रीमती तुलसी मुंडैन और श्रीमती लाख मुंडैन था । वे ट्रकों में लदान करते समय कोयले के ढेर के नीचे दब कर मर गई। मेरा प्रश्न यह है । यह सभी लदान केवल प्रबन्धक तथा अन्य सुपरवाइज़रों की अनुमति से ही किया जा सकता है । खान विभाग द्वारा दिये गये परामर्श देने के बावजूद भी ऐसा क्यों किया गया ? मंत्री जी ने बताया है कि इसकी जिम्मेदारी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पर नहीं है और कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा और मृतक तीन महिला मजदूरों के आश्रितों को कोई नौकरी नहीं दी जाएगी । इसका नैतिक तथा कानूनी कारण क्या है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड गरीब आदिवासी महिला श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा तथा नौकरी नहीं देना चाहती ? लदान तथा उतराई सामान्य ठेका पद्धति के अधीन स्थायी काम होता है । इसके बावजूद भी ठेका पद्धति चल रही है । मंत्री जी का कहना है कि इसके लिये उनकी जिम्मेदारी नहीं है । हम उन पर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं कर सकते । मैं जानना चाहता हूं कि उन तीन आदिवासी महिला श्रमिकों के आश्रितों को नौकरी देने के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में नैतिक या कानूनी स्थिति क्या है?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक इसका सम्बन्ध है, श्रमिक कोयला खरीदने वालों द्वारा लदान के लिये रखे जाते हैं । यह न तो ठेकेदार द्वारा और न ही प्रबन्धकों द्वारा रखे जाते हैं । ट्रक लाने वाले अपने मजदूर भी साथ लाते हैं और वे उस क्षेत्र में कोयले का लदान करते हैं । इस दुर्घटना विशेष में अधिकारियों की सलाह के बावजूद भी उन्होंने उस ढेर से कोयला उठाने का प्रयास किया । इसी कारण दुर्घटना हुई । श्रमिक ट्रक मालिकों द्वारा रखे गये थे न कि सरकार या ठेकेदार द्वारा रखे गये थे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

PROMOTION OF EMPLOYEES OF C.O.D., CHHEOKI

*946. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the reasons for not promoting about 32 Class IV employees of C.O.D., Chheoki (Allahabad) who had passed their trade test in September, 1976; and

(b) the number of memoranda received by the Ministry in this connection and the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) There is no provision under the present Recruitment Rules for promotion of class IV employees of COD Chheoki.

Thirty-one class IV employees of COD Chheoki were trade tested in September 1976 with a view to finding out their suitability for appointment to the posts of LDCs and Store-keepers. Subsequently, however, as a result of reduction in the establishment of this depot there were no vacancies against which these employees could be appointed.

(b) Two letters have been received in this connection and the representations contained therein are under examination.

पारादीप में जहाज बनाने के कारखाने की स्थापना

*951. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप में जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करने के बारे में अंतिम रूप मे निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो पारादीप में जहाज बनाने के कारखाने की स्थापना के प्रश्न की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या विदेशों विशेषज्ञों ने सिफारिश की थी कि जहाज बनाने के कारखाने के लिए पारादीप एक आदर्श स्थान है ;

(घ) यदि हां, तो इस के स्थान के बारे में अंतिम निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) जहाज, बनाने के कारखाने के निर्माण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है तथा तत्संबंधी रोजगार क्षमता क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) दो स्थलों के लिए, जिनमें पारादीप भी शामिल है विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) विदेशी परामर्शकों ने, जिन्होंने पारादीप में शिपयार्ड के लिए प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी, इसे एक बहुत ही उपयुक्त स्थल बताया था।

(घ) पूंजी निवेश का निर्णय तभी किया जा सकता है जब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाय और सरकार उनकी जांच कर ले।

(ङ) सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक शिपयार्ड के निर्माण के लिए कोई धनराशि नियत नहीं की गयी है। परियोजना की लागत और इसमें रोजगार की संभावनाओं का पता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उनकी जांच किए जाने के बाद ही चल सकेगा।

छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन

***956. श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड, दीनापुर, बिहार के एक सदस्य ने छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन करने के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद के सदस्यों ने 1 सितम्बर, 1977 को छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन करने के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी हां । इस ज्ञापन में छावनी अधिनियम 1924 में संशोधन के बारे में कुछ सुझाव भी हैं।

(ग) इस अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों का प्रस्ताव तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन प्रस्तावों को तैयार करते समय ज्ञापन में दिए गए सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है।

दुर्गापुर में कोयला, इस्पात और विद्युत् अधिकारियों की विचार गोष्ठी

***957. श्री एम० रामगोपाल रेडी**
डा० बापू कालदाते } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला, इस्पात और विद्युत् अधिकारियों को दुर्गापुर में 1 और 2 अप्रैल, 1978 को एक विचार गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) क्या सरकार से यह आग्रह किया गया है कि तापीय विद्युत् संयंत्र केवल खान के मुहानों पर ही स्थापित किये जायें; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) "इस्पात, कोयला और विद्युत् लोहा और इस्पात उद्योग की उन्नति में उनकी परस्पर निर्भरता" विषय पर 1 और 2 अप्रैल, 1978 को दुर्गापुर में एक विचार गोष्ठी हुई थी जो स्टोर एक्जीक्यूटिवज फैडरेशन आफ इण्डिया ने आयोजित की थी।

विचार गोष्ठी में इन तीन क्षेत्रों से संबंधित अनेक विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श हुआ था और कार्यवाही की एक प्रति प्राप्त हो गई है। विचार-विमर्श के दौरान विचार गोष्ठी ने राष्ट्रीय विद्युत् योजना का विकास करने, राज्य बिजली बोर्डों को तकनीकी रूप से तथा प्रकार्यात्मक रूप से—दोनों ही तरह से सुदृढ़ करने और दीर्घकालिक आधार पर आयोजन करने की सिफारिश की है। विचार-गोष्ठी में अन्य बातों के साथ-साथ ताप विद्युत् केन्द्रों को पिटहैडों पर स्थापित करने के मामले पर भी विचार-विमर्श किया गया था। सरकार ने कुछ समय पूर्व इन्हीं लाइनों पर कार्य शुरू कर दिया है और पिट हैडों पर विद्युत् केन्द्र स्थापित करने के संबंध में केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण और राज्य बिजली बोर्डों को तकनीकी दृष्टि से सहमति के अनुसार, पिटहैड स्थल जहां भी तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाए जाते हैं वहां ऐसे पिटहैड स्थलों को प्राथमिकता दी जाती है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

***959. श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेलगांव तथा निकटवर्ती सीमा क्षेत्रों के बारे में बहुत समय से अनिर्णीत पड़े मामले को तय करने के लिए कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों को अब लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और दोनों राज्य सरकारों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) जैसा कि तारांकित प्रश्न संख्या 596 के उत्तर में 5 अप्रैल, 1978 को लोक सभा में बताया गया, सरकार का इरादा है कि इस विषय में पारस्परिक स्वीकार्य समाधान तलाश करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के नये राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जाए।

SETTING UP OF H.M.T. UNIT IN RAJASTHAN

*960. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration a proposal to set up a watch factory by H.M.T. in Rajasthan; and

(b) if so, the time by which Government will take a decision in this regard ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) and (b) Government have decided to set up an H.M.T. assisted watch assembly unit in Rajasthan.

रूमानिया का भारत को जहाज बेचने का प्रस्ताव

*961. **श्री वसन्त साठे :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1978 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "रुमानिया आफर टू सैल शिप्स अण्डर स्टडी" (रुमानिया का जहाज बेचने का प्रस्ताव विचाराधीन) शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(घ) जहाज बेचने के प्रस्ताव किन अन्य देशों ने किए हैं; और

(ङ) उनके प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) यह सच है कि मार्च, 1978 में नयी दिल्ली में हुए इन्डो-रुमानियन संयुक्त आयोग के चौथे अधिवेशन में रूमानिया वालों ने अपने यार्डों में बने/बनायें जाने वाले जहाजों की भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा खरीद किए जाने की पेशकश की। उन्होंने किसी निर्दिष्ट टाईप और संख्या में जहाजों की बिक्री की पेशकश नहीं की। यह भी वताया जाता है कि भारत सरकार जहाज नहीं खरीदती और वे नौवहन कम्पनियों द्वारा खरीदे जाते हैं।

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी० डी० आर०, पोलैंड, यू० के० और कई अन्य देशों ने भारतीय नौवहन कम्पनियों को जहाज बेचने की पेशकश की है;

(ङ) ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरों पर खरीदारों और बिक्रेताओं के बीच विचार-विमर्श किया जाता है। चूंकि नये विदेशी जहाज को खरीदने में किसी भारतीय नौवहन कम्पनी ने अधिक रुचि नहीं दिखाई है, इस लिए अब तक किसी भी ब्यौरे पर विचार-विमर्श करने की सूचना नहीं मिली है।

CRISIS IN PLASTIC FACTORIES IN DELHI

*962. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether thousands of small factories in Delhi engaged in plastic works are facing crisis;

(b) whether difficulties have been created by the distribution centres;

(c) whether these centres are not supplying material regularly; and

(d) if so, the action being taken by Government to deal with the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise in view of (a).

कैडबरी इंडिया लिमिटेड की क्षमता का नियमित किया जाना

*963. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैडबरी इंडिया लिमिटेड नामक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने जो, चाकलेट तथा अन्य परिष्कृत खाद्य पदार्थ बनाती है, इन वस्तुओं की क्षमता को नियमित करने के लिए सरकार से आवेदन किया है और अभी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के मुख्य कारण क्या है ;

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या इन्हीं उत्पादों का उत्पादन करने वाली कुछ कम्पनियां अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन करती हुई पाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क), (ख) तथा (ग) मैसर्स कैडबरी इंडिया लिमिटेड ने रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट पर चोकलेट, पेय चोकलेट तथा कोको पाउडर के सम्बन्ध में उत्पादन क्षमता के पृष्ठांकन के लिए आवेदन पत्र दिया है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

NEWSPRINT QUOTA TO 'AVANTIKA' DAILY

*964. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to USG. No. 274 on the 22nd February, 1978 and state :

(a) whether the Daily Avantika obtained large, advertisements from the DAVP during 1974-75, 1975-76, 1976-77 and 1977-78 by showing exaggerated figures of its circulation and if so, the value and number of advertisements given to it during the above periods;

(b) the figure of circulation necessary for entilement to such advertisements and the value thereof and the nature of action taken by Government in case the number of circulation given is found to be less on verification; and

(c) whether Government have the information that the industrialists, Government officials, social workers and political leaders are being black-mailed by the proprietors of this paper and if so, the action proposed to be taken against it ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Advertisements were released to the daily AVANTIKA in accordance with publicity requirements. As to value and number of advertisements, it is not Government's policy to disclose the quantum of advertisements released to individual newspapers.

(b) In accordance with the existing advertising policy, newspapers/periodicals qualify for Government advertisements if their minimum paid circulation is 2,000 copies per publishing day except for certain specified categories of papers for which a lower circulation is prescribed. The circulation claimed by newspapers/periodicals, if proved incorrect,, renders them ineligible for advertisements, besides such other action as Government may deem appropriate.

(c) Government have no such information.

गुजरात से लिया गया नमक उपकर

*965. **श्री अनंत दवे :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य से नमक उपकर के रुप में 8.50 करोड़ रु० एकत्र किये गय है;

(ख) इस उद्योग के विकास, सड़कों, जल सप्लाई और इस उद्योग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) 31-3-1977 तक नमक उपकर के रूप में इकट्टी की गई राशि 12.81 करोड़ रु० थी । नमक उपकर से इकठ्ठी की गई राशि के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) नमक उपकर की आय में से गत तीन वर्षों में विभिन्न विकास और श्रमिक कल्याण कार्यों तथा सम्बन्धित विषयों पर उपयोग की गई राशि निम्नलिखित थी :—

1974-75	7,24,025
1975-76	5,85,332
1976-77	18,29,332

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा संयुक्त रक्षा सेवाओं की परीक्षाओं का माध्यम

***966. श्री बालक राम :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा संयुक्त रक्षा सेवाओं की परीक्षाओं तथा इंटरव्यू के लिए माध्यम अभी तक अंग्रेजी ही है जब कि इसके बदले हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा को माध्यम बनाने के लिए जनता जोर दे रही है ताकि कृषि, श्रम तथा समाज के अन्य पिछड़े क्षेत्रों/वर्गो के ऐसे उम्मीदवारों को इनमें बैठने का अवसर मिल सके जो अंग्रेजी माध्यम की परीक्षाओं में उन उम्मीदवारों का मुकाबला नहीं कर सकते जो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा संस्थानों से शिक्षा पाकर आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस वर्ष से इन परीक्षाओं के लिए हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा को माध्यम बनाने का अथवा ऐसे उम्मीदवारों के लिए कुछ प्रतिशत रिक्त पद आरक्षित करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा इस समय केवल अंग्रेजी माध्यम से ही ली जाती है । परन्तु संघ लोक सेवा आयोग इस समस्या के प्रति सजग है कि चुनाव इस तरीके से किया जाए कि इससे देहातों, पिछड़े इलाकों तथा अन्य समूहों से आने वाले उम्मीदवारों को कोई हानि न हो । इसी उद्देश्य से आयोग ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के मामले में दिसम्बर, 1977 से और सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के मामले में मई, 1978 से इस योजना में समुचित परिवर्तन लागू कर दिए हैं । दोनों परीक्षाओं की योजनाओं में सभी विषयों के प्रश्न पत्र विषय पूरक (बहु-विकल्प वाले) होते हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 या 5 विकल्प दिए जाते हैं और उम्मीदवारों को केवल सही उत्तर पर ही निशान लगाने होते हैं ।

सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कर में मनोवैज्ञानिक परीक्षा समूह परीक्षा और सामान्य साक्षात्कार सम्मिलित होते हैं । मनोवैज्ञानिक परीक्षा में उम्मीदवारों को अंग्रेजी में लिखना होता है किन्तु यदि वे हिन्दी में उत्तर दे दें तो उसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाता है। समूह परिचर्चा में उम्मीदवार हिन्दी में बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं । इसी तरह सामान्य साक्षात्कार में यदि उम्मीदवार हिन्दी में बोलना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रुप में प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने के प्रश्न पर डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया गया था जिसे भर्ती की विधि और चयन पद्धतियों की जांच करने के लिए गठित किया गया था । राष्ट्रीय रक्षा

अकादमी और अन्य सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षाओं में हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने अथवा नहीं अपनाने के बारे में निर्णय कोठारी समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए अाम निर्णय पर निर्भर करेगा ।

शेरगढ़ घाट पर रेल एवं सड़क पुल

8850. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यमुना नदी पर शेरगढ़ घाट पर पुल के बारे में 20 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4061 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यमुना नदी पर शेरगढ़ घाट में रेल एवं सड़क पुल बनाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय सुझाव पर विचार करेगा और पुल निर्माण में आने वाली लागत की आधी राशि देने के लिए सहमत होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) प्रस्तावित पुल, बन जाने पर राज्य सड़क पर पड़ेगा । अत: पुल की लागत वहन करने के मामले से उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यत: संबंधित है ।

RENAMING OF SIMARIA AND SIMRAHA STATIONS

8851. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Simaria and Simraha stations on the North Eastern and North East Frontier Railway will be named after two local residents viz. Late Ram Dhari Singh Dinkar and Fanishwar Nath Renu, respectively;

(b) whether both of them though being local residents were eminent persons of the country as one was a national poet and the other a literature of national fame; and

(c) if so, the time by which the name of Simaria Station will be changed to Dinkar and Simraha to Fanishwar Renu Station ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) No such proposal has been received from the State Government.

(b) and (c) Do not arise.

पेय 77 का बोतलों में भरा जाना

8852. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्योर ड्रिंक्स, दिल्ली ने बेरोजगारी के आधार पर कोका कोला को अपना उत्पादन जारी रखने हेतु उसको सहायता देने के लिए भारी दबाव डाला था ;

(ख) प्योर ड्रिंक्स सन्यन्त्रों के प्रवन्धकों ने पेय 77 को भरने से क्यों इनकार किया जब कि यह उत्पाद उनके लिए विकसित किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि प्योर ड्रिंक्स द्वारा पेय "77" को न लेने से पेय "77" को काफी धक्का लगा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) दि कोका कोला बोटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने भारत सरकार को इस बारे में एक अभ्यावेदन दिया था कि कोका कोला निर्यात निगम को कच्चे माल

के आयात करने की अनुमति दी जाए ताकि वह कोका कोला और फेन्टा को बोतलों में भरने के लिए इंडियन बोटलिंग प्लान्ट्स को संभरण किये जाने वाले सांद्रणों का उत्पादन कर सके।

(ख) "77" नामक नए पेय का विकास केवल प्योर ड्रिंक्स के लिए ही नहीं किया गया था। इस पेय के विकास का प्रयास देश में पेय जल उद्योग के देशीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। दि माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड ने मैसर्स प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड सहित कोका कोला और फेन्टा की बोतलें भरने वाली तत्कालीन फर्मो को पेय "77" के विशेषाधिकार देने का प्रस्ताव किया था किन्तु मेसर्स प्योर ड्रिंक्स सहित कोका कोला और फेन्टा की बोतलें भरने वाले अनेक भारतीय बोटलिंग संयंत्रों ने "77" पेय की बोतलें भरने के लिए माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के साथ विशेषाधिकार पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए तथा सरकार को इसके कारणों की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) चूंकि मैसर्स प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड ने "77" पेय की बोतलें भरने के लिए माडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड के साथ विशेषाधिकार पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए है अत: उसे (माडर्न बेकरीज) पेय "77" की बोतलें भरने तथा उसके विपणन के लिए नए बोटनर्स देखने होंगे।

GRANTS FOR BORDER ROADS

†8854. SHRI SURINDRA JHA SUMAN : Will the Minister of **SHIPPING AND TRANSPORT** be pleased to state :

(a) whether the Central grants are given to the border States for the construction and maintenance of border area roads there;

(b) the amount of grants given to the Bihar Government for the purpose during the last three years; and

(c) how far the construction of border area roads in the border area districts—Champaran, Sitamarhi, Madhubani, Saharsa and Purnea has been completed ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) Grants-in-aid are made for such works only as are specifically approved by the Government of India.

(b) and (c) No funds have been provided to Bihar Government for border roads as such as no such roads have been approved in that State during the last 3 years.

15 अगस्त, 1948 से पूर्व जवानों और जूनियर कमीशन्ड आफिसर को दी जाने वाली पेंशन की दरें

8855. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1948 से पूर्व जवान तथा जूनियर कमीशन्ड आफिसर तथा सूबेदार मजर तक के अन्य रैंक के सैनिक कर्मचारियों को दी जाने वाली पैशन की दर क्या थी और इस समय उनकी पेंशन की दर क्या है ;

(ख) 15 अगस्त, 1947 के बाद से अब तक जवान तथा जूनियर कमीशन्ड आफिसर तथा सूबेदार मेजर तक के अन्य रैंक के सैनिक कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन की दरें अलग-अलग कितनी बार पुनरीक्षित की गई है ; और

(ग) इन भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की दरें बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के मामले में पेंशन की दरें 15 अगस्त, 1947 से निम्नलिखित तारीखों से सात बार संशोधित की गई हैं:—

(1) 1-6-1953

(2) 1-4-1961

(3) 1-3-1968

(4) 1-12-1968
(5) 1-12-1969
(6) 10-9-1970
(7) 1-1-1973

ये संशोधन सामान्यतया उनके वेतन मान संशोधित हो जाने, मंहगाई भत्ते के एक भाग को वेतन में शामिल किए जाने मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान योजना के लागू हो जाने के परिणाम स्वरुप किये गये थे ।

इनके अतिरिक्त दो अन्य अवसरों पर भी, सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रुप में, पेंशन की दरों में परिवर्तन किया गया था, जिसमें न्यूनतम पेंशन को 1-1-1964 से 25 रुपये (तदर्थ वृद्धि सहित) तक और 1-3-1970 से 40 रुपए (अस्थायी तदर्थ वृद्धि सहित) तक बढ़ाया गया था ।

विवरण

(क) 15 अगस्त, 1948 से पूर्व और 1-1-1973 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों (अर्थात जे० सी० ओ०, एन० सी० ओ०, और अन्य रैंक) को इस समय मिलने वाली पेंशन की दरें इस प्रकार हैं ;

रैंक	अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की सेवा पेंशन की दरें जो			
	15 अगस्त 1948 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए		1-1-1973 से अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त हुए	
	न्यूनतम रु० प्रति माह	अधिकतम रु० प्रति माह	न्यूनतम रु० प्रति माह	अधिकतम रु० प्रति माह
सिपाही . . .	5	6	76	122
नायक	7	9	86	145
हवलदार	9	15	98	177
नायब सूबेदार	25	40	127	239
सूबेदार	45	75	162	308
सूबेदार मेजर . . .	95	125	197	366

सरकार द्वारा समय समय पर मंजूर की गई अस्थायी/तदर्थ वृद्धियों और आवधिक राहतों और इस समय ग्राह्य 40 रुपए की न्यूनतम पैंशन को हिसाब में लेते हुए 1-1-1973 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के वर्गों को मिलने वाली 111 रुपए से 494 रुपए प्रति माह की पेंशन की तुलना में 15-8-1948 से पूर्व सेवा निवृत्त होने वालों कार्मिकों को कुल पेंशन 90 रुपए से 183 रुपए प्रति माह मिलती है।

स्कूटर्स ंडिया लिमिटेड, लखनऊ में उत्पादन, लाभ एवं हानि

8856. **श्री के० प्रधानी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ ने अब तक कितने स्कूटरों का निर्माण किया और बेचा है ;

(ख) इस उपक्रम को गत वर्ष कितना लाभ अथवा हानि हुई है; और

(ग) उस अवधि के दौरान यदि उक्त इस उपक्रम को कोई हानि हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) वर्ष 1977-78 के अंत तक मे० स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने 58,904 स्कूटरों का उत्पादन किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने स्कूटरों के लिए 24,912 पावर पैकों का भी निर्माण किया है । इसी अवधि में उन्होंने 57,867 स्कटर तथा स्कूटरों के लिए 24,912 पावर पैकों को बेचा है ।

(ख) वर्ष 1977-78 में कम्पनी की मुख्य ह्रास से पूर्व 240 लाख रुपये की हानि हुई थी।

(ग) हानि मुख्य रूप से क्षमता का पूरा उपयोग न होने के कारण हुई थी। गाड़ी की क्वालिटी तथा कार्य-क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जिससे आशा है कि क्षमता का बेहतर उपयोग होगा और बिक्री में मदद मिलेगी।

छठी योजना में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं

8857. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास की पहले की योजनाओं का लाभ सभी सम्बद्ध क्षेत्रों में एक समान न होने के कारण छठी योजना में अब छोटे एवं सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों के समूहों के लक्ष्य पर विशेष बल दिया जायेगा जिससे गरीबी और बेरोजगारी की मूल समस्याएं हल की जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और इस दिशा में ठोस एवं व्यावहारिक उपायों वाले कार्यक्रम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) पंच वर्षीय योजना के प्रारूप (1978-83) में कृषि और संबद्ध कार्यकलापों तथा ग्राम और लघु उद्योगों के जरिए रोजगार के अवसर सर्जित करने का उद्देश्य है । ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम लक्षित समूह अर्थात् छोटे और मझौले किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण दस्तकारों पर विशेष रूप से केन्द्रित होंगे।

देश में 5100 खंडों में से 3000 खंड इस लघु कृषक विकास अभिकरण, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम और नियंत्रण क्षेत्र विकास जैसे विशेष कार्यक्रमों में से एक या अधिक कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं। इनमें से 2000 खंडों को त्वरित विकास और अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सर्जन के लिए चुना जा रहा है । स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी इन में से कुछ कार्यक्रमों को किए जाने की आशा है । 20 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले खंडों को पहली प्राथमिकता के रूप में लिया जाना है । योजना के हरेक वर्ष में अन्य और 300 खंड जोड़ दिए जाएंगे और अप्रेल, 1983 से आरंभ होने वाली अगली पंचवर्षीय अवधि में लिए जाने के लिए 1600 खंड रह जाएंगे।

कुशलता की कमी और श्रमिकों की अगतिशीलता जैसी बाध्यकारिताओं को, कुशलता के निर्माण और श्रमिकों को अधिक रोजगार वाले क्षेत्रों में लेजा ने की व्यवस्था करके दूर करने का प्रस्ताव है। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा योजना के प्रारूप दस्तावेज में दी गई है।

पर्यावरण अनुसंधान समिति से 1977-78 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव

8858 **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण अनुसन्धान समिति को 1977-78 के दौरान कोई नए प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रस्ताव मंजूर कर लिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) (क) जी, हां।

(ख) संलग्न सूची 'क' में दिए गए 23 प्रस्ताव।

(ग) कुल मिलाकर 4 अनुसंधान परियोजनाओं (1976-77 में प्राप्त एक परियोजना सहित) को 1977-1978 में अनुमोदत किया गया, जिन्हें संलग्न सूची 'ख' में दिया गया है । 17 अनुसंधान प्रस्ताव प्रक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। 3 परियोजनाओं को उपयुक्त नहीं पाया गया था।

विवरण

1977-78 के दौरान प्रस्तावों की सूची क

प्रस्तावों के शीर्षक	संस्थाएं
1. परिष्करण शाला अपशिष्टों का सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक उपयोगीकरण	सर एम० वी० कालिज आफ साइंस, बम्बई।
2. कृषि पीड़क नाशियों पर एकीकृत अध्ययन पादपों और प्राणियों में पीड़कनाशी अवषेष और मछलियों और कशेरुकी प्राणियों पर इनके हानिकारक प्रभाव और जातिविषालता।	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
3. फ्लूओराइड विषालता और फ्लूओरोसिस प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य से संबंधी एक समस्या।	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
4. अक्षारीय जल में अस्थिल मछलियों के ऊपर रसायन पर कीट-नाशियों का प्रभाव।	रीजनल कालिज आफ एजूकेशन, भोपाल।
5. वातावरण, जल और कृषि उत्पादों का प्रदूषण विश्लेषण।	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, खड़गपुर।
6. रायलसीमा के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण का मानीटरन और निगरानी कार्य और वहां के जलीय और अन्य जीवों में प्रदूषक और पीड़कनाशी संदूषकों के निराविषीकरण के लिए जीव वैज्ञानिक विधियां।	श्री वैंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति।
7. गौला जल ग्रहण क्षेत्र, जिला नैनीताल, का इसके जल संतुलन के विशेष संदर्भ में, भू-जल वैज्ञानिक अन्वेषण।	कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
8. अशल्क मीन हेटेरोप्न्यूस्टस फोसिलिस (ब्लाख) में प्रजनन और लिपिड चयोपचयता पर पीड़कनाशियों का प्रभाव।	बोस संस्थान, कलकत्ता।
9. कालीनदी का स्वच्छता सर्वेक्षण।	जाकिर हुसैन कालिज आफ एंजिनियरिंग एंड टैक्नोलोजी, अलीगढ़।
10. परिस्थिति विज्ञान की दृष्टि से संतुलित पर्यावरणीय अभिकल्प सहित अवसंरचनात्मक पद्धति के भारों (जल आपूर्ति और अपशिष्ट संग्रह ग्रिड कार्य) के न्यूनन के लिए इष्टतम नगरीय फार्म।	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
11. यमुना नदी के जल की गुणवत्ता के प्रतिमानन के लिए परियोजना।	देहली कालिज आफ एंजिनियरिंग, दिल्ली।
12. आवास संरचना, स्तर और उन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रतिमानों के अध्ययनों के लिए अनुसंधान प्रस्ताव।	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, बंगलौर।
13. बड़ौदा के औद्योगिक पर्यावरण के विशेष सन्दर्भ में वहां का जल और वायु प्रदूषण और तत्संबंधी स्वास्थ्य संकट।	एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा।
14. यमुना नदी के जल प्रदूषण पर अध्ययन और इसका आगरा नगर की जल-आपूर्ति पर प्रभाव।	आगरा कालिज, आगरा।
15. विशाखापत्तनम पर नागरीय वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन और इसका पर्यावरण पर प्रभाव।	आंन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर।
16. मानव आवास के लिए नीति सम्बन्धी ढांचा।	नेशनल इन्स्ट्टीयूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली।

प्रस्तावों के शीर्षक	संस्थाएं
17. उप नगरीय क्षेत्रों में अपशिष्टों का उपचार।	रोजनल इंजिनियरिंग कालिज, कुरुक्षेत्र ।
18. एक छोटी बस्ती का विशद योजना कार्य एक प्रायोगिक परियोजना	कोंसिल फार सोशल डिवलेपमेन्ट, नई दिल्ली।
19. औद्योगिक काम्प्लैक्स में वायु प्रदूषण का मानीटरन।	इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टक्नालोजी, बम्बई ।
20. नवीनतर वोल्टामीटरी तकनीकों पर अध्ययन और पर्यावरणीय अध्ययनों में इनके अनुप्रयोग।	जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
21. नगरीय और ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली का इष्टतमीकरण।	इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ़ टैक्नालाजी, बम्बई ।
22. इन्दौर औद्योगिक क्षेत्र के जलीय प्राणिजात के जीव विज्ञान पर औद्योगिक अपशिष्टों का प्रभाव ।	होल्कर साइंस कालिज, इन्दौर ।
23. नर्मदा नदी के विशेष लक्षणों का फ लूओरोमापी अध्ययन।	सी० एस० इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी एण्ड साइंस इन्दौर ।

विवरण

1977-78 के दौरान अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की सूची ख

परियोजना का नाम	संस्थाएं
1. परिष्करणशाला अपशिष्टों का सूक्ष्म जीव-वैज्ञानिक उपयोगीकरण।	सर एम० वी० कालेज आफ साइंस, बम्बई ।
2. रायलसीमा के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण का मानीटरन एवं चौकसी तथा जलीय तथा अन्य जीवों में प्रदूषकों तथा पीड़कनाशी संदूषणों के निराविषकारी करने के लिए जैविक प्रणालियां।	श्री वैंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति ।
3. उपनगरीय क्षेत्रों में अपशिष्टों का उपचार।	रीजनल इंजिनियरिंग कालिज, कुरुक्षेत्र ।
*4. पश्चिमी बंगाल के दुर्गपुर-आसन्सोल औद्योगिक क्षेत्र में दामदोर नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण के अध्ययन ।	विश्व-भारती शांति निकेतन, पश्चिमी बंगाल ।

* (वस्तुतः यह परियोजना 1976-77 में प्राप्त की गई थी परन्तु प्रमुख अन्वेषक द्वारा इसे पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और 1977-78 में इसे अनुमोदित किया गया)।

खादी आयोग के कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध जांच

8859. श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कि खादी आयोग में कार्यकारी अधिकारी के पद पर एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया है जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश की सरकार सेवाओं संबंधी अनेक मामलों में जांच कर रही है तथा उस पर मुकदमा चला रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खादी आयोग जैसे महत्वपूर्ण विभाग से ऐसे व्यक्ति को हटाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) कार्मिक विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में सेवा निवृत्ति के मामलों पर पुनर्विचार

8860. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में वहां के प्रशासन द्वारा जबर्दस्ती सेवा निवृत्त किये गये या छंटनी किये गये लोगों के मामलों पर सरकार ने पुनर्विचार पूरा कर लिया है ; और

(ख) इस निर्णय को लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) अण्डमान व निकोबार प्रशासन ने आपात स्थिति के दौरान जबरदस्ती सेवा निवृत्ति के मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए एक विशेष पुनरीक्षण समिति गठित की थी। 18 मामलों में जबरदस्ती सेवा निवृत्ति के आदेश रद्द किये गये हैं जबकि 19 मामलों में विशेष पुनरीक्षण समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कर्मचारियों की जबरदस्ती सेवा निवत्ति न्यायोचित थी। दो मामलों पर विशेष पुनरीक्षण समिति विचार नहीं कर सकी क्योंकि वे न्यायाधीन थे। शेष 8 मामलों में उनके पुनर्विचार करने के लिए पूर्ण सूचना एकत्र की जा रही है। आपातस्थिति के दौरान किसी कर्मचारी की छटनीं नहीं की गई थी।

EXPENDITURE ON COLOUR UNIT OF PHOTO DIVISION

8861. SHRI MADAN TIWARY : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1282 on the 1st March, 1978 and state :

(a) the break-up of foreign and indigenous capital investment in the colour unit of the Ministry; and

(b) the approximate profit accrued to Government from this unit during the period from March, 1977 to March, 1978 ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) The equipment used in the colour unit of the Photo Division is imported. The capital investment on this equipment is Rs. 5.45 lakhs.

(b) Photo Division is a service department working on non-commercial basis. The utility of colour unit of the Photo Division can, therefore, be measured only in terms of service rendered.

ALL WEATHER PORT OF PORBANDAR

8862. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it has been reported in the newspapers that all-weather port of Porbandar in Saurashtra in Gujarat will be opened in June, 1978 and if so, whether any trial has been made before opening this port and if so, when and how;

(b) if not, when and how this trial will be made; and

(c) the number of steamers for which it has berthing capacity and the maximum weight of steamers, in tonnes for which it has berthing capacity ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) to (c) The responsibility for the operation and maintenance of ports other than major ports vests with the State Governments concerned. The State Government have intimated that the new deep water berth at Porbandar is expected to be opened between 15th and 24th May, 1978. They have not found it necessary to undertake any trial berthing before opening. The berth is 237 metres long and can accommodate one vessel of upto 20,000 d.w.t.

HINDI ADVISORY COMMITTEE

8863. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in his Ministry; and

(b) if so, the names of members thereof and the number and names, among them, of those nominated on the recommendations of the Official Languages Department ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Yes Sir.

(b) A list of members of the Hindi Advisory Committee is attached. Four members (Sl. No. 7 to 10 of the list) were nominated on the recommendations of the Department of Official Languages.

STATEMENT

The names of the members of the Hindi Advisory Committee (Hindi) (Salahkar Samiti) are as follows :

1.	Shri George Fernandes Minister of Industry.	Chairman
2.	Shrimati Abha Maiti Minister of State.	Vice-Chairman
3.	Thakur Ramapati Singh Member, Lok Sabha.	Member
4.	Shri Madan Lal Shukla Member, Lok Sabha.	"
*5.	Shri Ganesh Lal Mali Member, Rajya Sabha.	"
*6.	Shri Shyam Lal Gupta Member, Rajya Sabha.	"
7.	Shri Krishan Chander Vidyalankar Editor 'Vitt', New Delhi.	"
8.	Shri Amrit Rai Hans Prakashan, Allahabad.	"
9.	Dr. Ram Darsh Misra Delhi University, Delhi.	"
10.	Shri Uma Shanker Joshi 26, Setu, Sardar Patel Nagar, Ahmedabad.	"
11.	Shri R. P. Naik, Secretary Raj Bhasha Vibhag and Hindi Adviser to the Govt. of India.	Ex-Officio Member
12.	Shri S. S. Marathe Secretary, Deptt. of Industrial Development.	"
13.	Shri V. Krishnamurthy Secretary, Deptt. of Heavy Industry.	"
14.	Brig. B. J. Shahaney Secretary (TD) and Director General Technical Development.	"
15.	Shri L. Kumar Chairman, Bureau of Industrial Costs & Prices.	"
16.	Shri M. A. Rangaswamy Special Secretary, Deptt. of Industrial Development.	"
17.	Shri G. V. Ramkrishna Additional Secretary, Deptt. of Industrial Dvelopment.	"

*Since ceased to be members of Rajya Sabha and hence of the Hindi Advisory Committee also.

18.	Shri S.J. Coelho . . . . . Joint Secretary, Deptt. of Industrial Development.	Ex-Officio Member
19.	Shri B. R. R. Iyengar . . . . . Joint Secretary, Deptt. of Industrial Development.	"
20.	Shri Naresh Chandra . . . . Joint Secretary, Deptt. of Heavy Industry.	"
21.	Shri I. C. Puri . . . . Development Commissioner, Small Scale Industries.	"
22.	Dr. Bimal Jalan . . . . Economic Adviser	"
23.	Shri P. S. Krishnan . . . . Chairman, All India Handicrafts Board.	"
24.	Shri Mani Narayanaswami . . . . Development Commissioner for Handlooms.	"
25.	Shri K. Sreenivasan . . . . Chairman, National Textile Corporation	"
26.	Shri G. N. Mehra . . . . Joint Secretary, in-charge of Hindi work (Deptt. of I. D.)	Member-Secretary

लारेंस रोड में दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

8864. **श्री के० लकप्पा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लारेंस रोड क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनेक कालोनियां के बनने और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अनेक उद्योग स्थापित होने से उस क्षेत्र की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है परन्तु वहां दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाओं की संख्या कम रही है और जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में उसमें सुधार नहीं हुआ है ।

(ख) क्या उन्हें पता है कि (एक) अपर्याप्त और अनियमित बस सेवाओं के कारण उस क्षेत्र के लोगों को क्षेत्रों में अपने कार्य स्थलों को जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, (दो) कि उस क्षेत्र से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और दक्षिण दिल्ली के उन स्थानों जहां अनेक अस्पताल और शैक्षिक संस्थाएं स्थित हैं, के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है, (तीन) कि वहां के स्थानीय निवासियों की एसोसिएशनों ने प्राधिकारियों को इस आशय के अभ्यावेदन दिए हैं कि उस क्षेत्र से बस सेवा के कुछ नए रूट आरम्भ किए जाएं और वर्तमान सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं । लारेंस रोड क्षेत्र के लिए दिल्ली परिवहन निगम की मौजूदा बस सेवाएं उस क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समझी गयी हैं।

(ख) यह सच नहीं है कि कालोनी को और वहां से अपर्याप्त और अनियमित बस सेवाओं के कारण उस क्षेत्र के निवासियों को अन्य क्षेत्रों में अपने कार्यस्थलों को जाने में कठिनाई हो रही है । परन्तु यह सही है कि उस क्षेत्र से नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन और दक्षिण दिल्ली में अन्य स्थानों के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है । क्षेत्र के निवासियों ने अभ्यावेदन दिए हैं कि उस क्षेत्र के लिए कुछ नये रूट चालू किए जाएं और मौजूदा बस सेवाओं की बारम्बरता में वृद्धि की जाय ।

(ग) रूट सं० 920 पर दो और बसें लगा दी गयी हैं और व्यस्ततम समय की मांग की पूरी करने के लिए रूट सं० 93 पर एक विशेष फेरे की व्यवस्था की गयी है । कालोनी रिंग रोड से कुछ ही दूरी पर है जहां से आई० टी० ओ० कम्पलैक्स और दक्षिण दिल्ली के क्षेत्रों को जाने के लिए मुद्रिका सेवा उपलब्ध है । निगम के लिए यह संभव नहीं है कि नगर के सभी स्थानों को सीधी बस सेवा से जोड़ा जाये ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को तीन यूनिटों में विभक्त करना

8865. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को तीन छोटी यूनिटों में विभक्त करने का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसा करने से क्या लाभ होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

ग्रामीण उद्योगों के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

8866. **श्री सरत कार :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में ग्रामीण उद्योग परियोजना के लिए उड़ीसा सरकार को गत तीन वर्षों में दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) राज्य में ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) उड़ीसा के चार जिलों अर्थात् बोलनगीर कटक, गालाहण्डी तथा सम्बलपुर को ग्रामीण उद्योग परियोजना स्कीम में शामिल कर लिया गया है । 1975-76 से 1977-78 तक इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार को 60.72 लाख रु० की राशि दी (रिलीज की) गई है । इस राशि में 31.70 लाख रु० का अनुदान एवं 29.02 लाख रु० का ऋण शामिल हैं।

(ख) उड़ीसा राज्य में ग्रामीण उद्योग परियोजना द्वारा मार्च, 1977 तक की गई प्रगति निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

उड़ीसा में ग्रामीण उद्योग परियोजना स्कीम की प्रगति दर्शाने वाली तालिका ।

सेवा में व्यवधान माफ करने के बारे में आर्डनेंस फैक्टरी, पुणे (महाराष्ट्र) के भूतपूर्व कर्मचारियों से अभ्यावेदन

8867. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को 14 नवम्बर, 1977 अथवा उसके आस-पास आर्डनेंस फैक्टरी पुणे (महाराष्ट्र) के भूतपूर्व कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सेवा में व्यवधान को माफ करने के उनके मामलों को निपटाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) पुणे (महाराष्ट्र) में कोई आर्डनेंस फैक्टरी नहीं है और 14-11-77 अथवा उसके आस-पास की तारीख का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । परंतु, आर्डनेंस फैक्टरी, किरकी (पुणे के समीप) के दो भूतपूर्व कर्मचारियों से दिनांक 30-9-76 का एक संयुक्त अभ्यावेदन माननीय सदस्य के माध्यम से जुलाई 1977 में प्राप्त हुआ था । इस अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

लाइसेंसों और आशयपत्रों का जारी किया जाना

8868. **श्री डी० अमात** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान कितने औद्योगिक लाइसेंस और आशय पत्र जारी किए गए ; और

(ख) ये लाइसेंस किन वस्तुओं के लिए जारी किए गए ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) तथा (ख) वर्ष 1977 में 533 आशय पत्र तथा 518 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे । आशय पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा जिसमें पार्टी का नाम, तैयार की जाने वाली वस्तु क्षमता परियोजना का स्थापना स्थल आदि शामिल होते है वीकली बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेस, इम्पोर्ट लाइसेंसेज तथा एक्सपोर्ट लाइसेंसेज" और मैथलीलिस्ट आफ लैटर्स आफ इन्टैन्ट एण्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज, में प्रकाशित किया जाता है । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

HINDI ADVISORY COMMITTEE

8869. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN, SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in this Ministry; and

(b) if so, the names of the members thereof and the names and number among them appointed on the recommendation of the Department of Official Language ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) Names of the members are given in the statement attached. One member has been appointed to the re-constituted Committee on the recommendation of the Department of Official Language and his name is at Serial No. 18 of the above statement.

STATEMENT

1.	Minister for Shipping & Transport	Chairman
2.	Shri Jagdev Singh Talwandi, M. P. (Lok Sabha)	Member
3.	Shri Sukhendra Singh, M. P. (Lok Sabha)	Member
4.	Shri B. R. Munda, M. P. (Rajya Sabha)	Member
5.	Shri Nathi Singh, M. P. (Rajya Sabha)	Member
6.	Secretary, Ministry of Shipping & Transport	Member
7.	Director General (Roads Development) & Additional Secretary	Member
8.	Director General (Shipping), Bombay	Member
9.	Director General (Lighthouses & Lightships) New Delhi	Member
10.	Chairman, Delhi Transport Corporation, New Delhi	Member
11.	Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Govt. of India	Member
12.	Chairman, Commission of Scientific & Technical Terminology, New Delhi	Member
13.	Shri Sudhakar Dwivedi, Joint Secretary, Department of Official Language, New Delhi	Member
14.	Shri G. P. Nene, Treasurer, All India Federation of Hindi Institute 75, Jawahar Lal Nehru Marg, New Delhi	Member
15.	Shri Kalyan Mal Lodha, Calcutta University	Member
16.	Shri K. P. Mishra, 3/3, East Patel Nagar, New Delhi	Member
17.	Shri S. S. R. Raju, B-5/117, Safdarjang Enclave, New Delhi	Member
18.	Shri Kanhaiya Lal Nandan, Editor 'Parag', New Delhi	Member
19.	Joint Secretary (Shipping).	Member-Secretary

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन का बढ़ाया जाना

8870. **श्री दलीप चक्रवर्ती :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पेशन को राज्य पेशन से अलग करने के पश्चात स्वतन्त्रता सेनानियों की पेशन 15 अगस्त, 1972 से 135 रु० प्रतिमास से बढ़ा कर 200 रु० प्रतिमास कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को सभी पेंशन प्राप्त कर्ताओं से उक्त वृद्धि के लिए प्रार्थना पत्र मिले है अथवा प्रत्येक स्वतन्त्रता सेनानी उक्त प्रयोजन के लिए किसी आवेदन-पत्र को भरे बिना ही बढी हुई दर पर पेंशन का हकदार है ; और

(ग) जिला उन्नाव के कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को संशोधित दरों के अनुसार पेन्शन मिल रही है और उनमें से कितनों के मामले मंत्रालय के विचाराधीन हैं तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सितम्बर, 1976 में किए गए सरकार के निर्णय के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 1-10-1976 से न कि 15-8-1972 से, जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा कहा क्या है, राज्य पेंशन का समायोजन किए बिना बढ़ाकर 200/- रु० प्रतिमास कर दिया गया है ।

(ख) राज्य पेंशन का समायोजन करने के बाद, 200/- रु० प्रतिमाह से कम की केन्द्रीय पेंशन प्राप्ति करने वाले हर स्वतंत्र सेनानी को अपनी पूर्व पेंशन का ब्यौरा देते हुए वृद्धि के लिए इस मंत्रालय को औपचारिक तौर पर आवेदन करना होता है । वृद्धि के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं हो रहे हैं ।

(ग) उन्नाव जिले में कुल 208 मामलों में से, 25 मामलों में 1-10-76 से केन्द्रीय पेंशन को बढ़ाकर 200/- रु० कर दिया गया है । पेंशन स्वतः नहीं बढ़ायी जाती । पहले दी गई मंजूरियों की, राज्य सरकारों के परामर्श से, सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है । अकेले उत्तर प्रदेश में, 15403 मामलों में पेंशन मंजूर की गई है और वृद्धि किए जाने से पहले इन सभी मामलों की समीक्षा किया जाना अपेक्षित है । समीक्षा जल्द करने के लिए तथा, जहां-कहीं स्वीकार्य हो, पेंशन बढ़ाने के लिए हर कोशिश की जा रही है।

गुमनाम शिकायतों पर कार्यवाही

8871. **श्री मनोहर लाल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने को कृपया करेंगे कि गुमनाम शिकायतों पर कार्यवाही करने के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में 27 जुलाई, 1962 में सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है और दिन प्रतिदिन की जरूरतों से निपटने के लिए समय समय पर उनमें क्या परिवर्तन किए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : 27 जुलाई, 1962 को जारी किए गए अनुदेशों में उन परिस्थितियों के संबंध में मार्गनिर्देशन निर्धारित किए गए थे जिनमें गुमनाम/छदनाम शिकायतों की जांच की जा सकती है तथा जिनमें इनकी उपेक्षा की जा सकती है।

1965 में, और आगे विचार करने पर इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि किसी भी गुमनाम/छदमनाम शिकायत पर कोई कार्रवाई न की जाए।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के फुटकर बिक्री केन्द्रों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

8872. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा प्रत्येक राज्य में कितने फुटकर बिक्री केन्द्र खोले गये हैं और उनमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने अपनी शिकायतों के बारे में कोई ज्ञापन दिया है और देशव्यापी हड़ताल की धमकी भी दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और मामले को किस प्रकार निपटाया गया है अथवा निपटाने का विचार है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इन कर्मचारियों से कुछ मांगों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है परन्तु देशव्यापी हड़ताल की कोई धमकी नहीं है।

(ग) शिकायतें कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों से सबंधित हैं। जबकि इन मामलों में से कुछ बातचीत करके पहले ही सुलझाए जा चुके हैं तथा अन्य विषयों पर बातचीत चल रही है।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड देशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड का विपणन प्रभाग 28 फरवरी, 1978 तक 235 खुदरा दुकानें खोल चुका है।

राज्य/किन्द्र शासित प्रदेश का नाम	खुदरा दुकानों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	27	256
2. आसाम	1	6
3. बिहार	13	133
4. गुजरात	8	46
5. हरियाणा	8	29
6. हिमाचल प्रदेश	1	4
7. जम्मू और कश्मीर	2	14
8. कर्नाटक	22	118
9. केरल	17	94
10. मध्य प्रदेश	7	39
11. महाराष्ट्र	9	50
12. उड़ीसा	1	2
13. पंजाब	4	23
14. राजस्थान	5	20
15. तामिल नाडू	59	329
16. उत्तर प्रदेश	22	101
17. पश्चिमी बंगाल	15	53
18. दिल्ली	14	114
योग	235	1431

व्हाई० डी० टी० सी० इज स्लो' शीर्षक से समाचार

8873. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 13-4-1978 के 'स्टेट्समैन में' "व्हाई डी० टी० सी० इज स्लो" (दिल्ली परिवहन निगम धीमा क्यों) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्ध को सुधारने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) अखबारों में दी गयी मुख्य बातें ये है कि दिल्ली परिवहन निगम के स्टाफ को प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है और वहां कोई पुनश्चर्या पाठ्यक्रम नहीं है, दिल्ली परिवहन निगम के स्टाफ के लिए पदोन्नति के अवसर अपेक्षाकृत कम हैं और ड्राईवरों और कन्डक्टरों से भिन्न कर्मचारियों के लिए कोई प्रोत्साहन योजनाएं नहीं है ।

दिल्ली परिवहन निगम अपने कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल चला रहा है जहां विशेषकर ड्राईवरों और कंडक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

स्टाफ के लिए स्लैक्शन ग्रेड शुरु करने और जहां इस समय पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं है, वहां नये अवसर पैदा करने के प्रश्न पर निगम विचार कर रहा है ।

निगम से, कर्मचारी वर्ग के लिए ऐसी उचित प्रोत्साहन योजनाएं शुरु करने की संभाव्यता पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, जिनसे उत्पादन में वृद्धि और व्यय में कमी अथवा राजस्व में बढ़ोतरी होने की संभावना हो ।

आल इण्डिया एम० ई० एस० सिविलियन इंजीनियर्स एसोसिएशन, पुणे से अभ्यावेदन

8874. **श्री कुण्डलीक हरि दानवे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को मार्च, अथवा अप्रैल, 1978 के महीने में आल इंडिया एम० ई० एस० सिविलियन इंजीनियर्स एसोसिएशन, पुणे क्षेत्र (महाराष्ट्र) से मांगों संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगें की गई हैं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) एसोसिएशन की मांगें संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

(क) सुपरिंटेन्डेंट ग्रेड-1 के वेतन-मानों को संशोधित करके 550-750 से 550-900 कर दिया जाए और उन्हें पिछली तारीख से लागू किया जाए ।

(ख) सरकार के दिनांक 1 फरवरी, 1977 के पत्र में दिए गए निर्णय के अनुसार सहायक इंजीनियर श्रेणी-II और सहायक कार्यपालक इंजीनियर श्रेणी-I का भर्ती अनुपात जब तक 1:1 नहीं हो जाता है तब तक विभाग में संघ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों की भर्ती रोक दी जाये ।

(ग) सहायक इंजीनियर श्रेणी-II के सभी रिक्त स्थानों को कार्यरत सिविलियन सुपरिन्टेन्डेन्ट ग्रेड-I को ही पदोन्नत करके विभागीय तौर पर भरा जाए ।

(घ) जो विभागीय अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं/साक्षात्कार में भाग लेना चाहते हों उनके लिए आयु सीमा का शर्त समाप्त की जाए ।

(ङ) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार के 22 फरवरी, 1978 के इस निर्णय को उनके संवर्ग पर भी लागू किया जाए कि जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के बहुत कम अवसर हैं उन्हें समय-वेतनमान पदोन्नति दी जाए ।

(च) सुपरिन्टेंडेंट ग्रेड-I और ग्रेड-II के बीच अनुपात को सुपरिन्टेंडेंट ग्रेड-II के रिक्त स्थानों को बढ़ा कर 1:1 किया जाए और इसके परिणामतः खाली होने वाले रिक्त स्थानों को सुपरिन्टेंडेंट ग्रेड-II से पदोन्नति करके भरा जाए ।'

उपर्युक्त भागों से सबंधित अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

स्टेनोग्राफर ग्रेड 'सी०' की पदोन्नति

8875. **श्री बी० के० नायर**
श्री शिव नारायण सरसूनिया } : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में ग्रेड 'सी०' में सीधे भरती किए गए स्टेनोग्राफरों को पदोन्नति के अवसर उसी श्रेणी में सीधे भरती किए गए असिस्टेंटों की तुलना में बहुत कम हैं और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता श्रेणी के स्टेनोग्राफरों में व्यापाक और बहुत असंतोष है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने और पदोन्नति के मामलों में दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) ग्रेड 'ग' आशुलिपिक तथा सहायक भिन्न भिन्न सेवाओं से संबंधित है तथा भिन्न-भिन्न नियमों द्वारा शासित होते हैं। परिणामत: इन दो सेवाओं के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति के अवसर भिन्न-भिन्न हैं और इस प्रकार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सीधी भर्ती के ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों को पदोन्नति के अवसरों की तुलना केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सीधे भर्ती किए गए सहायकों के अवसरों के साथ करना उपयुक्त नहीं होगा। फिर भी, हाल ही में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 'ग, आशु लिपिकों के लिए एक चयन ग्रेड लागू किया गया है।

सांख्यिकी विभाग में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नियमित करना

8876. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांख्यिकी विभाग के कम्प्यूटर सेंटर तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अधिकारियों ने चपरासी, फर्राश तथा स्वीपरों के पदों पर काम करने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अभी तक नियमित नहीं किया है हालांकि वे लगातार दो वर्ष से भी अधिक (पूर्णकालिक) समय तक दैनिक मजूरी श्रमिक के रूप में सेवा कर चुके हैं और स्पष्ट रूप से अनेक पद खाली पड़े हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) संगणक केन्द्र और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में स्वीपर एवं फर्राश का कोई रिक्त पद नहीं है। तथापि, चपरासियों के ग्रेड में कुछ रिक्त पद हैं, ऐसे पदों के भरने पर लगे प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए रिक्त पद नियमित आधार पर नहीं भरे जा सके।

दैनिक मजूरी पर रखे गये कुछ कर्मचारी हैं (जिनमें कुछ अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी सम्मिलित हैं) जो नियमित पदों पर नियुक्त होने के पात्र हैं। उनका मामला समीक्षाधीन है।

स्टोर कीपिंग कर्मचारियों के वेतनमानों में एकरूपता

8877. **श्री किशोर लाल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री देवनाथ की अध्यक्षता में गठित कार्य अध्ययन दल और तीसरे वेतन आयोग ने सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में काम कर रहे स्टोर कीपिंग कर्मचारियों के वेतनमानों और पदोन्नति के अवसरों में एकरूपता लाने के लिए सरकार से सिफारिश की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सैन्य आयुध कोर के स्टोर कीपिंग कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बहुत ही कम हैं और सरकार के अन्य विभागों में काम कर रहे स्टोर कीपिंग कर्मचारियों की तुलना में उनके वेतनमानों में असंगति है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में स्टोर कीपिंग कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों और उनके वेतनमानों में एकरूपता लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) देवनाथ समिति ने आर्डनेंस कारखानों को छोड़कर शेष रक्षा प्रतिष्ठानों में स्टोर रखने वाले कर्मचारियों के प्रत्येक ग्रेड के लिए ग्रेड संरचना, ग्रेडों के वेतन-मानों और उपयुक्त

पदनामों के साथ ग्रेडों की संख्या के बारे में नवम्बर, 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई न करने का निर्णय किया था। उसके बाद, तृतीय वेतन आयोग ने विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों में वेतन-मानों की विविधता और स्टोर रखने वाले कर्मचारियों के स्तरों पर विचार किया था और वेतन-मानों के साथ छः स्तरों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को 1-1-1973 से लागू किया गया था।

(ख) तथा (ग) आर्डनेंस सेवाओं के निदेशालय के अन्तर्गत स्टोर रखने वाले कर्मचारियों के वेतन-मान अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों जैसे ही हैं परन्तु आयोग ने 700-900 रुपए के वेतन-मान में छटे स्तर की विशेष रूप से सिफारिश की थी जिसे केवल आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशालय और नौसेना में स्टोर रखने वाले कुछ संवर्गों पर ही लागू किया गया है। चूंकि एक स्तर से दूसरे में पदोन्नति अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त स्थानों की उपलब्धि पर निर्भर करेगी इसलिए सभी प्रतिष्ठानों में पदोन्नति के एक जैसे अवसर उपलब्ध नहीं हो सकते।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ को छोड़कर चले जाने वाले वैज्ञानिक

8878. **श्री भगत राम:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन वैज्ञानिकों तकनीशियनों और मैकेनिकों की संख्या कितनी है, जो गत चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन को छोड़कर चले गये।

(ख) उनके द्वारा संगठन छोड़ने के क्या कारण हैं ;

(ग) उनमें कितने विभागाध्यक्ष थे और कितने परियोजना समन्वयकर्ता थे ;

(घ) क्या उनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने आपात स्थिति के दौरान लिखित अभ्यावेदन भेजे थे, जिनमें परेशान किये जाने और काम करने की सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाया था ; और

(ङ) क्या कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) गत चार वर्षों के दौरान, बावन व्यक्तियों ने संगठन छोड़ा है।

(ख) संगठन छोड़ने के कारण निम्नलिखित हैं:—

अच्छे भविष्य के लिये, व्यक्तिगत कारणों, अपना निजी व्यापार शुरु करने के लिये।

(ग) चार प्रभागों के प्रधान थे (विभागों के नहीं) जिनमें से दो परियोजना समन्वयक थे।

(घ) आपात काल के पूर्व, उनमें से कुछ ने सी० एस० आई० ओ० चण्डीगढ़ में कार्यसुविधाओं और स्थितियों के सबंध में सी० एस० आई० आर० में अभ्यावेदन भेजा था।

(ङ) जी हां, कमेटी का साथ ही साथ निर्णय यह है कि निदेशक के विरुद्ध लगाये गये आरोप और शिकायतें निराधार थे।

उपक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या

8879. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य कर रहे निम्नलिखित प्रत्येक उपक्रम में कुल कितने व्यक्ति श्रेणीवार (प्रथम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) कार्य कर रहे हैं,

(एक) सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,

(तीन) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड,

(चार) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड,

(पांच) मुगल लाइन लिमिटेड,

(छ) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति प्रत्येक श्रेणीं और प्रत्येक उपक्रम में कार्य कर रहे है ;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भरती और पदोन्नति के मामलों में रिक्त पदों के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	सरकारी उपक्रम का नाम	वर्ग (श्रेणी)	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड,	वर्ग-क (श्रेणी-1)	136	3	1
		वर्ग-ख (श्रेणी-2)	53	1	—
		वर्ग-ग (श्रेणी-3)	767	24	2
		वर्ग-घ (श्रेणी-4)	4376	853	19
2.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,	वर्ग-क (श्रेणी-1)	132	3	—
		वर्ग-ख (श्रेणी-2)	106	3	1
		वर्ग-ग (श्रेणी-3)	695	40	5
		वर्ग-घ (श्रेणी-4)	726	93	27
3.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड,	वर्ग-क (श्रेणी-1)	53	2	—
		वर्ग-ख (श्रेणी-2)	84	2	—
		वर्ग-ग (श्रेणी-3)	1646	65	5
		वर्ग-घ (श्रेणी-4)	5278	712	22
4.	इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड,	वर्ग-क (श्रेणी-1)	8	—	—
		वर्ग-ख (श्रेणी-2)	3	—	—
		वर्ग-ग (श्रेणी-3)	9	—	—
		वर्ग-घ (श्रेणी-4)	1	1	—
5.	मुगल लाइन लिमिटेड,	वर्ग-क (श्रेणी-1)	406	3	—
		वर्ग-ख (श्रेणी-2)	167	—	—
		वर्ग-ग (श्रेणी-3)	209	4	4
		वर्ग-घ (श्रेणी-4)	39	5	1
6.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,	वर्ग-क (श्रेणी-1)	2165	18	6
		वर्ग-ख (श्रेणी-2)	1222	19	3
		वर्ग-ग (श्रेणी-3)	1927	95	12
		वर्ग-घ (श्रेणी-4)	326	69	—

(ग) जी हां, सिवाय इसके कि (1) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बताया है कि पदोन्नति के संबंध में भारत सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन करना उनके लिए संभव नहीं हो सका है और (2) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन ने लिखा है कि भारत सरकार के आदेशों को पूर्णरूपेण क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

(घ) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पदोन्नति के मामले में पदों के आरक्षण से संबंधित आदेशों का कड़ाई से पालन न कर सकने का कारण यह बताया गया है कि शिपयार्ड उन विभिन्न संवर्गों के निर्माण की प्रक्रिया में से गुजर रहा है, जो अभी स्थिर नहीं हुए हैं। फिर भी, शिपयार्ड स्थिरीकरण की प्रक्रिया जारी रखने के साथ-साथ पदोन्नति के मामलों में आरक्षण संबंधी आदेशों को क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करेगा।

इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा आरक्षण संबंधी आदेशों का पूर्णरूपेण पालन न कर पाने का कारण यह बताया गया है कि निगम हाल ही में 20-12-1976 को अस्तित्व में आया और प्रारंभ में, इसके कार्यों को शीघ्र आरंभ करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए बिना कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ी वे अब अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों की भर्ती करने का प्रयास कर रहें हैं।

मिजोरम में गांवों को पुनः सामूहिक रूप से बसाया जाना

8880. **डा० आर० रोथुआम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम में वर्ष 1966 के उपद्रव के बाद सही संख्या में कितने गांवों को पुनः सामुहिक रूप से बसाने के लिए उन्हें जलाया गया तथा उजाड़ा गया तथा उससे सही संख्या में कितने परिवार प्रभावित हुए ;

(ख) ऐसे उजड़े हुए परिवारों के लिए नगदी अथवा वस्तु के रूप में कितनी विशिष्ट सहायता अनुदान की मंजूरी दी गई तथा प्रत्येक परिवार के लिए ठीक-ठीक कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितने प्रभावित परिवारों को अब तक ऐसी सहायता मिली है ;

(ग) कितने गांवों और परिवारों को उनके अपने पहले वाले गांवों में वापस जाने की अनुमति दी गई है;

(घ) ऐसे पुनः बसाये गए गांवों की संख्या क्या है जिनको राज्य सरकार ने गांवों के रूप में मान्यता दी है; और

(ङ) राज्य सरकार ऐसे पुनः बसाये गए गांवों को मान्यता देने में क्या मापदंड अपनाती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ङ) तक वर्ष 1966 में उपद्रवों के तुरन्त बाद, गांव वालों को छिपे लोगों द्वारा डराए धमकाए जाने तथा परेशान किए जाने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए मिजोरम में गांवों को सामूहिक रूप से बसाने की एक योजना शरू की गई थी। छोटे-छोटे गांवों को ऐसे उपयुक्त स्थानों पर पुनः बसाया गया जहां कि उन्हें आसानी से मूल सुविधायें भी प्रदान की जा सकें। मिजोरम सरकार के पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है जिससे यह मालूम होता हो कि सामूहिक रूप से बसाने के लिए किसी गांव को जलाया गया था।

सामूहिक रूप से बसाने का कार्य उस समय किया गया था जबकि मिजोरम असम सरकार का ही एक जिला था और प्रभावित ग्रामवासियों को सी० जी० आई० चादरें, परिवहन, खाद्यान इत्यादि के रूप में पुर्नवास सहायता दी गई थी। इस समय परिवार-वार सही-सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। उसे प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

यह योजना अभी तक लागू है और किसी नई बस्ती के लिए सरकारी तौर पर कोई अनुमति नहीं दी जाती है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति

8881. **श्री प्रद्युम्न बाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के शेयरधारियों के शेयर की वर्तमान कीमत क्या हैं ;

(ख) क्या शेयरधारी अपनी शेयर राशि वापिस ले सकता है और यदि हां, तो किस प्रकार है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान समिति ने अपने शेयरधारियों से कितने शेयर वापिस लिये।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) 'शून्य' क्योंकि समिति भारी घाटा उठाती रही है।

(ख) तथा (ग) जी नहीं, श्रीमान् । शेयरों को समिति द्वारा वापिस नहीं लिया जा सकता है, परन्तु एक शेयरधारी अपना शेयर किसी भी पात्र व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है।

विदेशों से जहाज खरीदने हेतु ऋण देने के लिए निर्धारित राशि

8882. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी की गारंटी पर 1977-78 और 1978-79 के दौरान विदेशों से जहाजों को खरीदने के लिए ऋण देने हेतु कितना धन निर्धारित किया है ;

(ख) वर्ष 1977-78 के दौरान विभिन्न जहाजरानी कम्पनियों को अलग-अलग नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि के ऋण दिए गए; और

(ग) इन ऋणों के मामले में, अलग-अलग भुगतान की अवधि क्या है तथा उन पर क्या ब्याज दर ली गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) 500.00 करोड़ रुपये।

(ख) 1977-78 के दौरान दिए गए ऋणों का कंपनी-वार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण नीचे रखा है।

(ग) इन ऋणों का भुगतान ऋण लेने के दो वर्षों के बाद 20 अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में दस वर्षों में किया जाएगा। ऋण लेने वाली नौवहन कंपनियों के लिए ब्याज की लागू दर $7\frac{1}{2}\%$ प्रति वर्ष है।

विवरण

क्र० सं०	नौवहन कंपनी का नाम	1978-78 के दौरान दी गई ऋण-राशि रु०	नामित राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम
1.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड बम्बई	54,81,04,530	स्टेट बैंक आफ इंडिया ।
2.	सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड बम्बई	7,67,85,600	—यथोक्त—
3.	रत्नाकर शिपिंग कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता	5,55,32,000	—यथोक्त—
4.	तौलानी शिपिंग कंम्पनी लिमिटेड	2,27,46,070	—यथोक्त—
5.	गरवारे शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड	3,83,73,540	बैंक आफ इंडिया ।
6.	पंचशील शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	89,28,760	बैंक आफ बड़ौदा ।
	कुल :	75,04,70,500	

जयपुर-राजगढ़ को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाना

८८८३. **श्री चतुर्भुज** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने झालावाड़ (राजस्थान) अकलेरा और मनोहरथाना से होकर जयपुर राजगढ़ सड़क को राजगढ़-बम्बई सड़क के राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जोड़ने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से पूर्व इस पर पुलों के निर्माण कार्य के लिये तीन धार, परवन नदी के सर्वेक्षण कार्य जैसी अन्य सभी प्रक्रियायें पूरी कर ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति

८८८४. **श्री आर० लोकनाथइवेलु**
श्री ए० मुरुगेसन
श्री प्रद्युम्न बाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति के 50 प्रतिशत शेयर खरीदे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कुल कितने मुल्य के शेयर खरीदे हैं ;

(ग) क्या यह समिति भारी घाटे पर चल रही है ;

(घ) यदि हां, तो इसमें लगी अपनी पूंजी को संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस समिति को अपने नियंत्रण में लेकर उसे सुपर बाजार के साथ सम्बद्ध करने का है ताकि समिति का स्टोर एक ही प्रबन्ध के अधीन प्रभावीरूप से चल सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) रुपए 6,41,640.00

(ग) जी हां।

(घ) समिति कल्याणकारी उपायों के लिए है और वह विशुद्ध रूप से कोई वाणिज्यिक उपक्रम नहीं है। सरकार ने समिति के निदेशक मण्डल तथा प्रशासन मण्डल में सदस्यों को नामित किया है जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी निवेश का संरक्षण किया जा सके।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति द्वारा जब्त की गई वस्तुओं का बेचा जाना

8885. **श्री के० ए० राजू** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति द्वारा जब्त की गई वस्तुयें बेची जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जब्त की गई वस्तुओं को काला बाजार में बेचे जाने के बारे में कोई शिकायत हाल में प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान। परन्तु केवल पुराना माल ही।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में प्लाईवुड कारखाने की स्थापना

8886. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में प्लाईबुड का कारखाना स्थापित करने के लिये कोइ प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने के बारे में ब्यौरा क्या है और यह कहां पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार ने आगामी पंच-वर्षीय योजना 1978-83 के लिये बड़े तथा मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिये अपने प्रस्तावों के अंग के रूप में 50 लाख रुपये के परिव्यय के लिये प्लाईवुड का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया था । कारखाने के स्थापना-स्थल आदि के बारे में अन्य कोई ब्यौरा नहीं भेजा गया था । किन्तु राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 1978-79 में प्लाईवुड कारखाने के लिये किये जा रहे किसी भी प्रावधान का प्रस्ताव नहीं किया था। पंचवर्षीय योजना 1978-83 अभी निर्माणाधीन है तथा त्रिपुरा सरकार के प्लाईवुड कारखाने के प्रस्ताव पर अगली पंचवर्षीय योजना के लिये कुल योजनागत प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की अगली पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में विचार किया जायेगा।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में मजदूर संघ की मान्यता समाप्त करना

8887. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने केरल सरकार से थुम्बा में विक्रम सारभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के मजदूर संघ की मान्यता समाप्त करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) उस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) मेरा मत यह रहा कि वैज्ञानिक अनसंधान एवं विकास संगठनों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, अथवा ट्रेड यूनियन अधिनियम की दृष्टि से उद्योगों की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता । यह मत भूत-काल में न्यायालयों द्वारा इस पक्ष में दिये गये अनेक निर्णयों पर आधारित था कि जिस संगठन के कार्य का हेतु लाभ कमाना न हो वह 'उद्योग' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता ।

(ग) राज्य सरकार ने मेरे पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया अब तक व्यक्त नहीं की है, किन्तु समाचार पत्रों के अनुसार केरल के मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि इस मामले पर निर्णय लेने से पहले राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा विचार-विमर्श किया जायेगा ।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति

8888. **श्री श्याम लाल धुर्वे :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, लिमिटेड नई दिल्ली की आम सभा की बैठक 22 अप्रैल, 1978 को हुई थी; और

(ख) उस बैठक में क्या सिफारिशें की गई और उस पर प्रबन्धकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सिफारिशें, सदन के पटल पर रखे गए बैठक के कार्यवृत्त में (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2244/78 में दी गई हैं । प्रबन्धकों ने विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन का कार्य हाथ में ले लिया है ।

टेलीविजन द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर वाद-विवाद का प्रसारण न किया जाना

8889. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष बोस जन्म दिवस को छुट्टी का दिन घोषित करने तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों का दूसरा नाम रखने के बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के दो विधेयकों पर यद्यपि सभी दलों ने इन दोनों विधेयकों का समर्थन किया था, लोक सभा में हुए वाद-विवाद का टेलीविजन से प्रसारण नहीं हुआ था ;

(ख) क्या आकाशवाणी से समाचार प्रसारण में भी इस वाद-विवाद का उल्लेख नगण्य रूप से ही किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और ऐसे विवादों की उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं । दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से 24 फरवरी, 1978 को टेलीकास्ट किए गए समाचार बुलटिनों में नेताजी जन्म दिवस को छुट्टी का दिन घोषित करने के बारे में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर हुई बहस पर आधे मिनट का समाचार दिया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दुसरा नाम रखने के बारे में विधेयक पर हुई बहस को भारी संख्या में समाचारों के प्राप्त होने के कारण समाचार बुलेटिनों में स्थान नहीं मिल सका।

(ख) बहस को 24 फरवरी, 1978 को लोक सभा की कार्यवाहियों की अंग्रेजी और हिन्दी दोनों की समीक्षाओं में कुछ हद तक स्थान दिया गया था । इसको 25 फरवरी, 1978 के प्रातः 8 बजे के हिन्दी बुलेटिन में भी शामिल किया गया था।

(ग) इस प्रकार की बहसों को जानबूझकर उपेक्षा करने का प्रयास नहीं किया जाता । संसद के दोनों सदनों में किए जाने वाले भाषणों और उसकी सभी महत्वपूर्ण और समाचारिक महत्व की घटनाओं को समाचार बुलेटिनों और संसदीय कार्यवाहियों की समीक्षा में स्थान दिया जाता है । तथापि, संसद की प्रत्येक घटना एवं बहस को समाचार बुलेटिनों या संसदीय कार्यवाहियों की समीक्षा में विक्षेषकर जब भारी संख्या में समाचार प्राप्त हों, शामिल करना सदैव संभव नहीं है ।

NON-BROADCASTING OF NEWS REGARDING RELIEF OPERATIONS IN RESPECT OF CYCLONE AFFECTED PEOPLE OF A.I.R., JAIPUR

8890. SHRI NATHU SINGH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a news was broadcast in the first week of January an orders from the Director of Jaipur Radio Station that no news regarding relief operations in respect of cyclone affected people would be broadcast;

(b) if so, whether a decision to this effect was taken by Government; and

(c) whether a cricket Match was organised in Jaipur on the 22nd January by the Janata Yuva Morcha in aid of people affected by cyclones in South India the news of which was not given by the Akashvani deliberately ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There was no question of not giving the news deliberately. Normally, All India Radio does not give publicity to shows arranged by private organisations for the collection of funds.

पत्र सूचना कार्यालय की मलयालम भाषा की विज्ञप्ति में गलती

8894. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्र सूचना कार्यालय की मलयालम भाषा की विज्ञप्ति संख्या वी० पी० 321 दिनांक 6 फरवरी, 1978 में प्रादेशिक भाषाओं के चित्रों की डब करने की बात कहते हुए यह कहा गया था कि सूचना और प्रसारण मंत्री श्री आई० के० गुजराल ने अपनी सरकार के इरादे व्यक्त किए हैं। आदि-आदि; और

(ख) उस संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जिसने यह सूचना देते समय श्री गुजराल की सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में उल्लेख किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख) की गई चूक पर अप्रसन्नता दोषी अधिकारी को सूचित कर दी गई थी।

रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, जम्मू का निदेशक

8892. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समिति की सिफारिश के विरुद्ध रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जम्मू के वर्तमान निदेशक को भरती की सामान्य प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे सहायक निदेशक से निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था : और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। पद को विज्ञापित किया गया था और सामान्य नियमों के अनुसार चयन किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोर्ट फोलियो केसों की खरीद

8893. **श्री सैयद काजिम अली मिर्जा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976, 1977 में और 1978 में मार्च, तक गृह विभाग ने कितने मूल्य के कितने पोर्ट-फोलियों केस खरीदे हैं;

क्या उनकी खरीद "टैण्डर" मंगाकर की गई थी; और

(ग) ये पोर्टफोलियो केस किन लोगों के लिए खरीदे गये थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) :-

वर्ष	कितने खरीदे गये	औसत मूल्य
1976	54	54 रु०
1977	70	56 रु०
1978 (मार्च तक)	35	59 रु०

(ख) जी नहीं, श्रीमान। पोर्टफोलियो (ब्रीफ) केस अधिक मात्रा में नहीं खरीदे जाते हैं बल्कि थोड़े-थोड़े खरीदे जाते हैं। इन परिस्थितियों में तथा इनकी आवश्यकताओं में परिवर्तन होने के कारण इसमद के लिए टेंडर मंगाना संभव नहीं है।

(ग) सामान्यतया ब्रीफ केस की आवश्यकता अवर सचिव तथा ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए होती है।

संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता

8894. **डा० रामजी सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद सस्दयों के लिए एक आचार संहिता बनाने का है; और

(ख) सरकार का विचार कब तक ऐसा विधेयक लाने का है जिसके अनुसार सभी संसद सदस्यों को अपनी आस्तियों की प्रत्येक वर्ष घोषणा करनी होगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) पहले से ऐसे प्रस्ताव पर कभी कभी विचार किया गया है । अब इस पर सक्रिय रूप से विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) जैसा कि सदन में 14-12-1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3987 के उत्तर में बताया गया था, सरकार का एक विधेयक को जिसके प्रारूप को तैयार किया जा रहा है, अंतिम रूप दिए जाते ही उसे पेश करने का विचार है, जिसके अनुसार सभी संसद सदस्यों को अपनी आस्तियों आदि की घोषणा करनी होगी ।

JAI BANGLA MARTYR MEMORIAL COMMITTEE

8895. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Jai Bangla Martyr Memorial Committee, Kandhar, a registered institution, conducted a survey No. 21 to build a national memorial in a village of Kandhar Tehsil in Nanded District of Maharashtra in memory of those brave Indian soldiers who laid down their lives in the historic Indo-Pak war of 1971 in which India won glorious victory and Bangladesh became independent;

(b) whether this Memorial Committee had requested the Government on 22-12-77 to display the remains of Patton Tank or Sabre Jet captured from Pakistan at Jai Bangla Memorial Mujib Park;

(c) whether the Chief Minister of Maharashtra had accepted the proposal of the Jai Bangla Memorial Committee and recommended to the Central Government on 11-1-78 to display the remains of Patton Tank, or Sabre Jet at Jai Bangla Memorial, Mujib Park; and

(d) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH) : (a) to (d) A request for the supply of a Patton tank captured, or the remains of a Sabre Jet collected, during the Indo-Pak Conflict, for display in a memorial, was received from the Jai Bangla Martyr Memorial Committee. The request was also subsequently supported by the Chief Minister of Maharashtra. Efforts are continuing to see whether either of these items can be made available.

राज्य विद्युत बोर्डों को हुआ घाटा

8896. **श्री ओ० वी० अलगेशन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1975—76, 1976—77 तथा 1977—78 के अन्त तक में प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड को कितना-कितना घाटा हुआ है; और

(ख) वित्तीय वर्ष 1975—76, 1976—77 तथा 1977—78 के अंत में (एक) औद्योगिक कारखा-खानों (दो) सरकारी-राज्य तथा केंद्रीय और (तीन) अन्य उपभोक्ताओं पर प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड की कितनी कितनी राशि बकाया थी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) वित्त वर्ष 1975—76 और 1976—77 के अन्त में प्रत्येक बोर्ड को संचित हानियों को दर्शाने वाला विवरण सं० एक संलग्न है । तथापि, 1977—78 के लेखों को सितम्बर, 1978 तक ही अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ख) 1975—76 और 1976—77 के अन्त में प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को उपभोक्ताओं पर कुल बकाया राशि बताने वाला विवरण सं० दो संलग्न है। वर्ष 1977—78 के अंत में बकाया राशि और श्रेणीवार ब्यौरे राज्य बिजली बोर्डों से मंगाये गये हैं और इनकी प्रतीक्षा है ।

"विवरण--एक"

राज्य बिजली बोर्ड को 1975-76 और 1976-77 के दौरान संचित हानियां (आकस्मिक दायित्वों सहित)।

बोर्ड का नाम	संचित हानियां 1975—76 तक	1976—77 तक
	(आंकड़े करोड़ रुपयों में)	
आंध्र प्रदेश	38.1	35.26
असम (मेघालय सहित)	26.07	उपलब्ध नहीं
बिहार	92.5	104.8
गुजरात	33.00	उपलब्ध नहीं
हरियाणा	36.00	48.1
कर्नाटक	—	—
केरल	40.3	43.5
मध्य प्रदेश	—	—
महाराष्ट्र	—	11.4*
उड़ीसा	15.7	उपलब्ध नहीं
पंजाब	83.00	96.7
राजस्थान	57.07	48.74
तमिलनाडु	—	—
उत्तर प्रदेश	80.5	124.00†
पश्चिम बंगाल	30.4	38.4**
हिमाचल प्रदेश	9.9	उपलब्ध नहीं
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	12.07	उपलब्ध नहीं

*इसमें अनन्तिम रुप से अवरुद्ध 10.3 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

†विद्युत प्रदाय अधिनियम की धारा 67 के अन्तर्गत अदेय किन्तु राज्य सरकार द्वारा बिनियोजित ब्याज इसमें शामिल है।

**देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज इसमें शामिल है।

विवरण—2

सप्लाई की गई बिजली के लिए बोर्डों की 1975-76 और 1976-77 के अन्त में बकाया राशि

(लाख रुपयों में)

बोर्ड का नाम	1975-76	1976-77
आंध्र प्रदेश	2607	2673
असम	316	उपलब्ध नहीं
बिहार	2103	2882
गुजरात	1756	उपलब्ध नहीं
हरियाणा	336	319
कर्नाटक	787	उपलब्ध नहीं
केरल	1200	1602
मध्य प्रदेश	2013	2427
महाराष्ट्र	1294	उपलब्ध नहीं
उड़ीसा	907	उपलब्ध नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पंजाब				303	389
राजस्थान				1843	2792
तमिलनाडु				2559	3189
उत्तर प्रदेश				5846	6763
पश्चिम बंगाल				1277	1240
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान				2426	उपलब्ध नहीं
हिमाचल प्रदेश				72	102

AMENDMENTS TO I.A.S. (PAY) RULES, 1954

8897. SHRI RAMDEO SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether in July, 1975 the Department of Personnel and Administrative Reforms had sent a communication to the Chief Secretaries of all the States enclosing therewith a draft of amendments proposed to be made in the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 and had invited suggestions of all State Governments thereon;

(b) whether it was also indicated in the said communication that the amendments proposed to be made in the Indian Administrative Service Pay Rules, 1954 will also be made in the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954; and

(c) whether the proposed amendments in the Indian Administrative Service Pay Rules, 1954 had been made through a Government notification dated 5th June, 1976 but no such notification has been issued in respect of Indian Police Service Pay Rules; and

(d) if so, the reason thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir.

(c) Amendment to the IAS (Pay) Rules 1954 was notified on the 5th June, 1976. The corresponding amendment to the IPS (Pay) Rules has been notified on the 27th February, 1978.

(d) Question does not arise.

तारा कोलियरी, आसनसोल में खनिकों की मृत्यु

8898. **श्री फकीर अली अंसारी** / **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल की निकट तारा कोलियरी के गैलरी जंक्शन में छत का एक भाग 31 मार्च 1978 को गिर जाने से पांच खनिकों की मृत्यु हो गई थी और सात अन्य गम्भीर रूप से घायल हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो मृतक तथा घायलों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण थे और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) पांच कामगार मारे गए और अन्य सात घायल हुए, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हुए थे ।

(ख) प्रत्येक मृत कामगार के शोक संतप्त परिवार को कंपनी द्वारा अनुग्रह के रूप में 100/– तथा अन्तिम संस्कार के लिए 200/— रुपए की धनराशि दी गई है । मृतक के एक सगे आश्रित को कंपनी ने नौकरी देने का प्रस्ताव किया । इस प्रकार के दो आश्रित काम पर आ गए हैं । शेष तीन के भी जल्दी ही आने की संभावना है । कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन मुआवजे की रकम का भुगतान मुआवजा, आयुक्त, दुर्गापुर, द्वारा किया जाएगा ।

(ग) इस दुर्घटना का कारण छत गिरना है । दुर्घटना की जांच करके खान सुरक्षा महानिदेशालय जो रिपोर्ट देगा उसकी प्रतीक्षा है ।

TECHNIQUE TO MAKE COAL DUST FREE

8899. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether Government propose to adopt a new technique to make coal dust free; and

(b) if so, by what time ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) and (b) Government are not aware of any method by which coal can be made completely dust free. However, the proposals for installation of centrifugal dedusters in coal beneficiation plants to separate dust from coal are under study.

दिल्ली में गलत 'फिटनेस' प्रमाणपत्र तथा ड्राईविंग लाइसेंस दिए जाना

8900. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के निरीक्षकों को गलत "फिटनैस" प्रमाण पत्र तथा ड्राईविंग लाइसेंस जारी करते पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 28-2-78 को भ्रष्टाचार निरोधी शाखा के डी० एस० पी० ने, जिनके साथ संयुक्त निदेशक (प्रवर्त्तन) तथा प्रशासन के कुछ अन्य अधिकारी भी थे, उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद निरीक्षण फिट से वापस आ रही तीन गाड़ियों (एक बस, एक ट्रक और एक तिपहिए टैम्पो) को इस विचार से रोका कि निरीक्षण वोर्ड द्वारा निरीक्षित गाड़ियों की पुनः जांच की जाए । इस दल की रिपोर्ट के अनुसार, जहां बस में 34 त्रुटियां थीं, वहां तिपहिए टैम्पो में 11 और ट्रक में 19 त्रुटियां थीं । इन गाड़ियों को चार मोटर गाड़ी निरीक्षकों के निरीक्षण बोर्ड द्वारा उपयुक्तता प्रमाणपत्र दिए गए थे । दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, केन्द्रीय सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के अन्तर्गत चार मोटर गाड़ी निरीक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है ।

प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि जनवरी 1978 में गाड़ी लाइसेंस अधिकारी (मुख्यालय) को यह शिकायत करने पर कि 2 मोटर गाड़ी निरीक्षकों ने गुरु नानक गाड़ी चालन प्रशिक्षण विद्यालय के 15 उम्मीदवारों को, जो चालन परीक्षा में वास्तविक रूप में उपस्थित नहीं हुए थे, चालन लाइसेंस दिए । मोटर लाइसेंस अधिकारी, नई दिल्ली तथा मुख्यालय निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे एक अन्य मोटर गाड़ी निरीक्षक ने उन उम्मीदवारों को चालन परीक्षा में पुनः उपस्थित होने के लिए कहा । दस उम्मीदवार पुनः परीक्षा में उपस्थित हुए और उनमें नौ उम्मीदवार भाग-1 या भाग 2 अथवा दोनों भागों में अनुत्तीर्ण हो गए । परिणामतः उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किए गए । चालन लाइसेंस उन पांच उम्मीदवारों को भी जारी नहीं किए गए जो उक्त परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए ।

उक्त नियम 14 के अन्तर्गत इन दो मोटर गाड़ी निरीक्षकों के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

आगरा में उपभोक्ताओं को साफ्ट कोक की सप्लाई

8901. **श्री एस० एन० चतुर्वेदी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं को साफ्ट कोक सप्लाई करने संबंधी प्रबन्ध क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों अथवा जिलों को साफ्ट कोक की सप्लाई में कोई कटौती की गई है; और

(ग) आगरा के लिए साफ्ट कोक की सप्लाई का कोटा क्या है और गत तीन वर्षों में साफ्ट कोक के डिब्बों की सप्लाई में कितनी कमी रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) साफ्ट कोक के वितरण पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उपभोक्ताओं का साफ्ट कोक की सप्लाई का विनियमन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

मथुरा में डिटरजेंट प्लांट

8902. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोलियम के रसायन डिवीजन द्वारा अपनी लागत से मथुरा में लगाये जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के प्रथम डिटरजैन्ट प्लांट का क्या हुआ ;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की लागत पर कई लाख रूपए की राशि बट्टे खाते डाल दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) कम्पनी ने परियोजना का कार्य आगे न बढ़ाने का निश्चय किया था क्योंकि सिंथेटिक डिटरजेंट बाजार में भारी परिवर्तन आ जाने से एक नया उत्पादक एकक चालू करना अनुकूल नहीं रह गया था ।

(ख), (ग) तथा (घ) कुल 94,378,75 रु० का व्यय हुआ जो मुख्यत: परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर हुआ था । यह रिपोर्ट निवेश प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बोर्ड आफ डायरेक्टर्स पब्लिक इन्वैस्टमेंट बोर्ड और वित्तीय संस्थानों को अनिवार्य थी ।

औद्योगिक मदों पर उत्पादन शुल्क दर में वृद्धि

8903. **श्री नटवरलाल बी० परमार :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेष मद पर उत्पादन शुल्क दर में वृद्धि अथवा कमी करते समय उद्योग मंत्रालय से परामश किया जाता है;

(ख) क्या उत्पादन शुल्क दर में वद्धि की सहमति देने से पूर्व मंत्रालय उद्योग विशेष में अप्रत्युक्त क्षमता की ओर ध्यान देता है;

(ग) क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय वित्त मंत्रालय का इस बारे में मार्गदर्शन करता है कि उत्पादन में वृद्धि से उत्पादन शुल्क आय में कैसे वृद्धि की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा किन-किन उद्योगों में किया गया था?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) तथा (ख) राजकोषीय नीतियां, जिनमें उत्पादन कर की दरों का पुनरीक्षण शामिल है, वित्त मंत्रालय से संबंधित है जो उपयुक्त समझे जाने पर उद्योग मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से परामर्श करता है ।

ऐसे अवसरों पर जो उद्योग मंत्रालय से औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन शुल्क में परिवर्तन के बारे में परामर्श किया जाता है तो यह संगत वार्ता को जिसमें अप्रयुक्त क्षमता, शुल्क में प्रस्तावित परिवर्तन का उत्पादन पर प्रभाव आदि शामिल है, ध्यान में रखता है ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

लो पावर विंड इलेट्रिक जेनेरेटर

8904. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर स्थित राष्ट्रीय वैमानिकी परीक्षणशाला द्वारा विकसित "लो पावर विंड इलेक्ट्रिक जैनरेटर" की लागत तकनीक और संचालन व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऊर्जा उत्पादन के मामले में मध्यम स्तर गोबर गैस संयंत्र की तुलना में उक्त उपकरण द्वारा कितनी ऊर्जा एम्पीयर प्रति घंटा की दर हे पैदा होती है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विन्ड इलेक्ट्रिक जैनरेटर के आदि प्रारूप पर कार्य निष्पादन परीक्षण किए जा रहे हैं । बड़ी मात्रा में यदि इसका उत्पादन किया जाये तो लगभग दो हजार रूपये लागत आयेगी । इस जैनरेटर में एक स्थायी चुम्बक युक्त स्वतः संचालित क्रियाशील आल्टरनेटर का प्रयोग होता है और इसको चालू होते ही विद्युतधारा उपलब्ध होने लगती है । इसे चालू करने के लिये बैटरी की आवश्यकता नहीं होती । इसके अभिकल्प के अन्य भाग प्रचलित तरीके के हैं । रखरखाव की लागत बहुत कम है क्योंकि कभी कभी हैड असेम्बली और आस्टरनेटर बियरिंगों स्लेस की आवश्यकता पड़ती है ।

(ख) यह युक्ति सामान्य वायुमय दिन में चौबीस वोल्ट एम्पीयर घंटी की विद्युतधारा का उत्पादन कर सकती हैं । इसकी तुलना गोबर गैस संयंत्र से नहीं की जा सकती । क्योंकि यह जैनरेटर बहुत छोटा है और यह सुदूर स्थानों में निम्नविद्युत शक्ति अनुप्रयोग के लिये है ।

कर्नाटक के स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन की मंजूरी

8905. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार से पेंशन पाने के लिए कर्नाटक से, जिले वार कितने स्वतन्त्रता सेवनानियों के आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया है;

(ख) जिलावार कितने आवेदन पत्र रद्द किये गये, मंजूर किये गये तथा वापस भेजे गये; और

(ग) कितने स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन-पर सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क), (ख) और (ग) कर्नाटक से स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की मंजूरी के लिए 13035 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और 31-3-78 तक उन पर विचार किया गया है । 17294 मामलों में पेंशन मंजूर कर दी गई है । 4198 मामले नामंजूर कर दिए गए हैं । प्रारम्भिक जांच के लिए कोई मामला अनिर्णीत नहीं है । 1543 मामलों में आवेदकों को सूचित कर दिया गया है कि स्वीकार्य दस्तावेजी सबूत/सूचना और/अथवा राज्य सरकार की विशिष्ट सिफारिशों के अभाव के कारण उनके मामलों को अंतिम रूप देना संभव नहीं हुआ है । जिला वार विवरण संलग्न है ।

विवरण

कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त किए गए/विचार किए गए, मंजूर किए गए, नामंजर किए गए तथा वापस भेजे गए आवेदन पत्रों की संख्या का विवरण (जिलावार)

क्र० सं०	जिला का नाम	प्राप्त किए गए/विचार किया गया	मंजूर किए गए गए	नामंजूर किए गए	दस्तावेज साक्ष्य के अभाव के कारण वापस भेजे गए
1	2	3	4	5	6
1.	बेलगाम	4734	2855	1564	315
2.	बैंगलौर	940	508	312	120
3.	बीजापुर	622	393	185	44
4.	बेल्लरी	161	82	46	33
5.	बीदार	145	69	54	22
6.	कुर्ग	132	74	37	21
7.	चित्रादुर्ग	567	271	284	12

1	2	3	4	5	6
8.	चिकमंगलूर	149	27	89	33
9.	धारवाड	2083	1492	397	194
10.	हसन .	250	129	98	23
11.	कोलार	429	138	188	103
12.	माँडिया	229	111	89	29
13.	नार्थ कनारा . .	740	404	285	51
14.	साउथ कनारा ० ०	459	169	94	196
15.	मैसूर	264	111	101	52
16.	तुमकूर	293	100	110	83
17.	ग्रायचूर .	294	91	95	108
18.	गुलबर्गा . .	191	62	68	61
19.	शिमोगा	353	208	102	43
		13035	7294	4198	1543

SHORT SUPPLY OF COAL TO TEXTILE INDUSTRIES

8906. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of ENERGY be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5769 on the 5th April, 1978 and state :

(a) the reasons for the short supply of coal to the textile industries in the North India even after increased supply of coal during the period from April, 1977 to February, 1978 as compared to that supplied during the corresponding period last year; and

(b) whether the Eastern Coal Fields Limited has increased the coal supply to these industries and if so, the quantity of coal supplied by it from January, 1978 to to-date as compared to that supplied during its corresponding period last year ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) and (b) Though there has been increased supply of coal to the textile industry during the period April 1977 to February 1978 compared to the corresponding period last year, there were occasional shortfall in the supply compared to demand to textile mills in northern India. During the past few months the supply was adversely affected because of non-availability of adequate transport.

The comparative supplies to these industries for January to March 1977 and 1978 from Eastern Coalfields are shown below :

	January		February		March	
	'77	'78	'77	'78	'77	'78
			(in thousand tonnes)			
U. P. .	13·2	8·4	14·6	8·9	13·6	13·6
Haryana	2·5	1·1	3·0	3·8	7·7	1·5
Punjab	2·4	2·6	2·5	3·5	3·3	3·9
Delhi . .	0·4	0·5	0·8	0·5	..	0·5
Himachal Pradesh	..	..	..	..		..
Jammu & Kashmir	0·2	..	..	..	..	..
Total	18·7	12·6	20·9	16·7	24·6	19·5

हल्दिया चैनल

8907. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में भारी धनराशि खर्च करने के बाजजूद हल्दिया चैनल में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) क्या विदेशी फर्म को तलकर्षण कार्य सौंपने पूर्व इस फर्म की क्षमता और हल्दिया चैनल के लिये कर्षण में सुधार लाने के लिये अनुमानित लागत के बारे में कोई अध्ययन किया गया था,

(ग) क्या विदेशी फर्म के साथ किये गये करार में संभावित समय और कार्य की किस्म के बारे में विशेष उल्लेख किया गया था, और

(घ) क्या सरकार का विचार विलम्ब के कारणों, अधिक खर्च और फर्म द्वारा किये गये घटिया किस्म के कार्य के बारे में जांच कराने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) योजन की अनुमानित लागत का अध्ययन करने और ठेकेदारों की क्षमता का पता लगा लेने के बाद ही हल्दिया जलमार्ग का निकर्षण कार्य आरंभ किया गया, हुगली नदी की जल संबंधी सम और विषम परिस्थितियों के कारण जैसे भारी गाद जमा हो जाने अथवा कटाव के कारण निकर्षण के प्रयास कार्यो तथा प्राप्त गहराई के बीच सीधा संबंध स्थापित करना कठिन है और इसी कारण से ठेके समयानुकूल दर के आधार पर दिए गए जिसमें कार्य की निरंतर समीक्षा की जाती रही ।

बाहरी मुहाने के निकर्षण का ठेका 12 महीनों की अवधि के लिए था जो 6-5-74 को आरंभ हुआ । इसे 30-4-75 को ही समाप्त कर दिया गया जब कि अपेक्षित डुबाव प्राप्त हो गए।

उसी प्रकार से भीतरी मुहाने निकर्षण का ठेका समयानुकूल दर के आधार पर दिया गया जो नवम्बर 1973 में आरंभ हुआ । यह ठेका दिसम्बर 1975 तक बढ़ा दिया गया जब मंत्रालय का अपना निजी निकर्षक एम० ओ० टी०-6, प्राप्त हो गया । इस ठेके की अवधि के दौरान, निकर्षण ने कुल 20.08 मिलियन घन मीटर निरर्थक मिट्टी उठाई और निकर्षण का यह प्रयास कार्य, जिसका ठेके की पूरी अवधि के दौरान लगातार मूल्यांकन किया जाता रहा, संतोषजनक समझा गया । ठेकेदारों के निकर्षक द्वारा भीतरी मुहाने के निकर्षण से और फिर फरवरी, 1975 में इस कार्य में मंत्रालय के निजी एक और निकर्षक को लगा देने से डुबाव में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ क्योंकि गाद बहुत अधिक थी । मंत्रालय के दोनों निकर्षक अर्थात एम० ओ० टी० 5 और एम० ओ० टी०-6 (जो अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारतीय निकर्षण के हैं) अभी भी भीतरी मुहाने में कार्य कर रहे हैं । चूंकि भीतरी मुहाने में संभावित डुबाव प्राप्त करने में प्राप्त असफलता के कारण में ठेकेदारों का कोई दोष नहीं है, अतः मामले में किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

सेवाओं में पदों का आरक्षण

8908. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार के अन्तर्गत ऐसे स्वायत्तशासी निकायों/संगठनों/कार्यालयों/संस्थाओं के नाम क्या हैं जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में पदों के आरक्षण संबंधी आदेश अब तक लागू किए गए हैं और उन्हें कार्यान्वित भी किया गया है;

(ख) ऐसे स्वायत्तशासी निकायों/संगठनों/कार्यालयों/संस्थाओं के नाम क्या हैं जहां अब तक ये आदेश न तो लागू किए गए हैं और न ही उन्हें कार्यान्वित किया गया है और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के लिए अनुचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकारी आदेशों का पालन करना आवश्यक है । जहां तक स्वायत्तशासी निकायों/संस्थाओं आदि का संबंध है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को कहा गया था कि वे अपने नियंत्रणाधीन ऐसे निकायों/संस्थाओं को अनुदेश जारी करें कि वे सरकार के अधीन पदों/सेवाओं पर लागू होने वाले आरक्षण की योजना का अनुपालन करें स्वायत्तशासी निकायों/संस्थाओं के नामों के बारे में मांगी गई सूचना सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

कागज के लघु संयंत्रों के लिए आवेदन-पत्रों की संख्या

8909. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कागज के लघु संयंत्र यूनिटों से सरकार को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : कागज के बहुत छोटे मिनी संयंत्र एककों के लिये कोई विशिष्ट 'प्रोत्साहन योजना' नहीं है किंतु दिनांक 31 मार्च 1978 के एक प्रैस नोट के द्वारा घोषित की गई योजना के अन्तर्गत कागज के लघु संयंत्रों के लिये पुराने उपकरणों का आयात करने की अनुमति देने का निश्चय किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । पुराना कच्चा माल प्रयोग में लाने वाली कागज की छोटी मिलें भी उत्पादन शुल्क में कुछ रियायतों की हकदार हैं।

पश्चिम जर्मन के विशेषज्ञों का तापीय संयंत्रों का दौरा

8910. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मन के विशेषज्ञों ने भारत के तापीय संयंत्रों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो की सिफारिशें क्या थीं; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) अक्टूबर-नवम्बर 1977 के दौरान पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों के एक दल ने भारत में तीन ताप विद्युत संयंत्रों का दौरा किया था । उनकी सिफारिशें इस वर्ष अप्रैल में प्राप्त हुई थीं और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा संबंधित विद्युत केंद्रों द्वारा उनकी सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है।

विद्युत केंद्रों में जल-रसायन संबंधी कमियों की ओर तथा विद्युत केंद्रों में सफाई के स्तरों में सुधार की आवश्यकता की ओर इस रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित किया गया है और इन क्षेत्रों में विशिष्ट सिफारिशें की गई हैं । ताप विद्युत केंद्रों के पदों पर उचित श्रेणी के कार्मिकों का चयन करने के महत्व पर तथा नए ताप विद्युत केंद्रों को चालू करने के लिए केवल अनुभवी कर्मचारी ही तैनात करने की आवश्यकता पर उक्त रिपोर्ट में बल दिया गया है । रिपोर्ट में प्रक्रिया नियन्त्रण इस्ट्रुमेंटेशन के अनुरक्षण में सुधार की आवश्यकता पर भी काफी जोर दिया गया है । उपस्करों के फेल होने के बारे में अन्वेषण करने का महत्व भी इस रिपोर्ट में बताया गया है ।

अनेक अन्य तकनीकी सिफारिशें भी की गई हैं जिनमें ये शामिल हैं : विद्युत केंद्रों के कार्यकरण के विभिन्न पहलू, उपस्कर, विद्युत उत्पादन में निवेश, प्रचालन और अनुरक्षण सेवाएं, कार्मिकों का चयन और प्रशिक्षण आदि । केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में इनका अध्ययन किया जा रहा है। संबंधित विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया जा रहा है ताकि वे इन सिफारिशों का महत्व सही परिपेक्ष में समझ सकें और इनको कार्यान्वित करने में सुविधा मिले ।

छोटी कारों के निर्माण के लिए लाइसेंस

8911. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कारों के कुछ निर्माताओं ने आशय पत्र के लिये सरकार से आवेदन किया है;

(ख) इन में से कितने निर्माताओं को लाइसेंस दिये गये थे तथा उनमें से कितने निर्माताओं ने वस्तुत: छोटी कारों का निर्माण किया है;

(ग) क्या यह सच है कि सनराइज आटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर बादल नामक एक तिपहिया छोटी कार का निर्माण पहले कर चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकारी अधिकरियों ने उसके व्यावहारिकता, क्षमता तथा विक्रय मूल्य की जांच कर ली है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) यात्री कारों के निर्माण के लिए आशय पत्र देने के बारे में 10 अगस्त, 1970 को संसद के दोनों सदनों में घोषित सरकार की नीति के अनुसरण में अनेक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर सरकार ने विचार किया है ।

(ख) यात्री कारों के निर्माण के लिए दो पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस दिए गए थे। अर्थात् मे० मारुति लिमिटेड, गुड़गांव और श्री मनुभाई एच० ठक्कर, बड़ौदा । इसके अलावा, मे० सनराइज आटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर को तीन पहिए वाली यात्री कारों के निर्माण हेतु तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास पंजीकृत किया गया है । इन तीन एककों में से मे० मारुति लिमिटेड, गड़गांव ने उत्पादन शुरु होने की रिपोर्ट दी थी लेकिन वह कभी की बन्द हो गई है। मे० सनराइज आटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर में भी उत्पादन शुरू हो गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मे० सनराइज आटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर की आद्यरूप गाड़ी का वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर द्वारा परीक्षण किया गया था और सड़क पर चलने योग्य घोषित किया गया था । तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास पंजीकृत एककों के मामले में सरकार द्वारा एकक की क्षमता का निर्धारण इसमें कुछ समय तक उत्पादन होने के बाद ही किया जाता है। अपने पंजीकरण आवेदन में फर्म ने 3000 कारों की क्षमता बताई थी । कारों के बिक्री मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है । "बादल" कार का कारखाने से निकलते समय का मूल्य, जैसा निर्माता ने निर्धारित किया है, 13,750 रुपए है ।

नागली और खामपुर हाई पावर ट्रांसमीटरों के इंजीनियरिंग स्टाफ के लिए परिवहन सुविधा

8912. **श्री मही लाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग स्टाफ, जिसे नागली और खामपुर स्थित हाई पावर ट्रांसमीटरों पर देर रात गये तक पारियों में ड्यूटी करनी पड़ती है, को आवश्यक स्टाफ के रूप में माना जाता है; और

(ख) क्या नागली और खामपुर स्थित इन हाई पावर ट्रांसमीटरों पर देर रात गये तक ड्यूटी करने वाला स्टाफ सरकारी परिवहन सुविधा के लिए हकदार है, यदि हां, तो इस सुविधा के वापस लेने के क्या कारण हैं ।

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) : (क) जी, हां

(ख) विषय समय कार्य करने वाले कर्मचारियों को सरकारी परिवहन की सुविधा उपलब्ध को जाती है यह सुविधा वापिस नहीं ली गई है ।

कोयले के मूल्यों सम्बन्धी बावेजा समिति का प्रतिवेदन

8913. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्यों संबंधी बावेजा समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) समिति के सुझावों से कोयले के उद्योग का कार्यकरण का किस प्रकार सुधार होगा ?

उर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 मई, 1978 तक का समय और दिया गया है ।

(ख), (ग) व (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

पटसन उद्योग की विस्तार की गुंजाइश

8914. **श्री चित्त बसु :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पटसन उद्योग के बारे में छठी योजना के दास्तावेज में इस आशय की टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि इस उद्योग के विस्तार के लिये गुंजाइश सीमति है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल की अर्थ व्यवस्था पर इस नीति का संभावित क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) योजना आयोग की यह टिप्पणी कि जूट उद्योग के और अधिक विस्तार के लिए कम गुंजाइश है, देश में काफी अप्रयुक्त क्षमता का मौजूद होना है जिसका प्रमुख कारण कच्चे जूट की अनिश्चित उपलब्धता और जूट की बनी वस्तुओं की घटती बढ़ती मांग पर आधारित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के कुल 68 जूट मिलों में से 56 पहले से ही पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, जट उद्योग का और अधिक विस्तार न होने की दशा में भी पश्चिम बंगाल की अर्थ व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र के विकास के लिए सहायता

8915. **श्री मुकुन्द मण्डल:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्रों के विकास के लिये केंद्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का क्या रवैया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला औद्योगिक केन्द्रों का स्वरूप

8916. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) जिला औद्योगिक केंद्रों के लिये प्रस्तावित संगठन का स्वरूप क्या है तथा पहला केंद्र कब खोला जायेगा ?

(ख) क्या सरकार इन केंद्रों का स्वायत्तशासी सरकारी कम्पनियों के रूप में चलाने के विचार को व्यवहार्य मानती है जिनमें एक यूनिट एक शेयर के आधार पर जिले में लघ और कुटीर उद्योगों की शेयर पूंजी कम होगी; और

(ग) पहले चरण में ये केंद्र किन जिलों में खोले जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र का सबसे बड़ा अधिकारी एक महाप्रबन्धक होगा और उसकी सहायता के लिए विभिन्न विषयों के सात कार्यकारी प्रबन्धक होंगे जो आर्थिक अन्वेषण, मशीनरी एवं उपकरण, अनुसंधान, विस्तार एवं प्रशिक्षण, कच्ची सामग्री, ऋण, विपणन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और ग्रामीण उद्योग परियोजना सम्बन्धी कार्यों की देख रेख करेंगे। पहले चरण में 100 से अधिक केंद्र होंगे जिन में मई, 1978 से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

(ख) जी, नहीं। जिला उद्योग केंद्र योजना एक विभागीय योजना होगी जिसका क्रियान्वयन उद्योग विभाग के जरिये राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ग) 10 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में 138 जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना करने के बारे में पहले ही प्राप्त प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। इसके अलावा 7 राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है और इनके लिये शीघ्र ही स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा मे भंग

8917. **श्री अहसान जाफरी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पाक युद्ध के कारण पाकिस्तान में नजरबन्द रहे सरकारी कर्मचारियों के सेवा भंग के बारे में विचार करने का निर्णय किया है;

(ख) इस समय ऐसे कितने मामले सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया हो तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० डी० पाटिल) : (क) इस तरह का कोई मामला कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अथवा वित्त मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विमदलाल जांच आयोग

8919. **श्री मुख्तियार सिंह**
श्री जी० एम० बनातवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे एक सदस्यीय आयोग विमदलाल ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी और यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आयोग का प्रतिवेदन जब प्रस्तुत हो जाएगा तो उसके बाद उसे जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3(4) के उपबन्धों के अनुपालन में यथाशीघ्र लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

"ब्यूरोक्रेसी किल्स स्माल यूनिट्स ग्रोथ" शीर्षक से समाचार

8919. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 10 मार्च, 1978 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्साह की पहली लहर में प्रस्तावित कई योजनाओं की क्रियान्विति में अधिकारियों के अनिर्णय और हिचकिचाहट के कारण विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न में दिये गये समाचार से प्रेस रिपोर्टर के दृष्टिकोण का पता चलता है । सरकार इससे सन्तुष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिये अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं या कार्यान्वित की जा रही हैं ।

हथकरघा उद्योग, केरल के प्रतिनिधिमंडल से ज्ञापन

8920. **श्री के० ए० राजन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के हथकरघा उद्योग के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में नई दिल्ली में मन्त्री को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क), जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

ज्ञापन में उठाये गए मुद्दे	की गई कार्रवाई
1	2
1. कताई मिलों पर दबाव डाला जाना चाहिये कि वे पर्याप्त मात्रा में अंटी के धागे का उत्पादन करें और उसका निश्चित मूल्यों पर संभरण करें।	वस्त्र नियंत्रण आदेश के अधीन कताई मिलों के लिये यह कानूनी दृष्टि से जरूरी है कि वे अपने उत्पादन के एक निर्दिष्ट अनुपात म अंटी के धागे का उत्पादन करें। तथापि यान के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। ये मूल्य रूई के मूल्यों एवं अन्य बातों से संबद्ध है। फिर भी राज्य सहकारी समितियों और अन्य शीषस्थ संस्थानों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि वे सीधे कताई मिलों से अपनी आवश्यकतानुसार मिल से बाहर निकलते समय के मूल्य पर धागे की इकट्ठी खरीद कर सके।
2 प्राथमिक सहकारी समितियों एवम् केरल हथकरघा शीर्षस्थ समिति, दोनों में ही नहीं मात्रा में हथकरघे का कपड़ा इकट्ठा हो गया है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 20 प्रतिशत की छूट (10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा) मंजूर की जाए।	भारत सरकार हथकरघा बुनकरों के शीर्षस्थ निकाय और केरल की प्राथमिक सहकारी समितियों के पास जमा हो गये हथकरघे के कपड़े के स्टाक में कमी करने के उपायों और तरीकों पर विचार कर रही है।
3. केवल अन्य व्यक्तिगत सदस्यों को हटा कर पूर्णरूपेण सहकारी समितियों को ही सदस्य बनाने हेतु फेब्रिक मार्केटिंग सोसायटी के विधान में उचित संशोधन किए जाएं।	भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ इस मामले पर विचार करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया है इस अध्ययन दल की रिपोर्ट जून, 1978 के अंत तक प्राप्त होने की आशा है। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही इस सिफारिश पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
4. हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम को एक स्वतन्त्र निगम में बदल दिया जाना चाहिये जिसमें राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प निगम के सदस्य ही रखे जाने की व्यवस्था हो।	हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच० एच० ई० सी०) भारतीय राज्य व्यापार निगम के पूर्ण स्वामित्व वाला एक सहायक निगम है। यद्यपि राज्य हथकरघा/हस्तशिल्प निगमों को हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम का सदस्य बनाना संभव नहीं है तो भी, राज्य हथकरघा निगम के उत्पादन कार्यक्रम को हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम के विकास खरीद और निर्यात कार्यक्रम में यथा संभव संबद्ध करने के लिए कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

1	2
5. ग्रामीण उद्योग विकास योजना के अधीन अलग-2 बुनकरों को 4 प्रतिशत की दर पर ऋण दिया जाता है और सहकारी समितियों के सदस्यों को $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज पर नगद ऋण दिया जाता है। सुझाव दिया जाता है कि नगद ऋण योजना के अधीन प्रारम्भिक समितियां और शीर्षस्थ समिति द्वारा दी गई वित्तीय सहायता पर केवल 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाना चाहिए।	भारतीय रिजर्व बैंक की हथकरघा वित्तीय योजना के कार्यकरण की संवीक्षा करने के लिए अक्टूबर 1977 में नियुक्त किया गया अध्ययन दल अन्य बातों के साथ-साथ सहकारिता के दायरे में आने वाले और उसके बाहर के हथकरघा बुनकरों के लिए ब्याज दर को प्रेषित बनाने के प्रश्न पर भी विचार कर रहा है। यद्यपि ब्याज योजना की भिन्न दरों का लाभ आवश्यक तौर पर लाभान्वित होने वाले अर्द्ध वर्णों जिसमें योजना में परिमाणित बुनकर शामिल है तक ही सीमित होना चाहिए हथकरघा बुनकरों को दिए जाने वाले ऋण की दरों में कमी करने और एकरूपता लाने की संभावना भी अध्ययन दल द्वारा जांच की जा रही है।
6. आरक्षण आदेशों को लागू करने का दायित्व एक केन्द्रीय अभिकरण (एजेंसी) को दिया जाना चाहिए।	इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि राज्य सरकारें उल्लंघनों का पता लगाने और आवश्यक होने पर दण्डात्मक कार्यवाही करने की उत्तम स्थिति में होंगी आरक्षण आदेशों को लागू करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई है।
7. देश में बुनकरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जानी चाहिए अथवा कम से कम एक क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जानी चाहिए।	हथकरघा उद्योग में जो एक बहुत ही अधिक विकेन्द्रीकृत उद्योग सम्भव है न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी नीति लागू कर पाना व्यावहारिक न हो। फिर भी राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने के किसी प्रश्न पर मजदूरी आय और मूल्य संबंधी समिति की रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

8. नियन्त्रित कपड़ा

सरकार ने जनता कपड़ा का निम्नतम विक्रय मूल्य निश्चित किया है, जब कि इस प्रकार की किस्मों का उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाय जाने वाले धागों के मूल्यों पर जो प्रायः घटते बढ़ते रहते हैं कोई नियन्त्रण नहीं है। जनता वस्त्रों के लिए दायित्व प्राप्त अभिकरणों से धागों के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण अधिक हानि उठाने की	योजना के अधीन भुगतान की 1 रु० प्रति वर्गमीटर की राजसहायता की व्यवस्था ऐसे उतार चढ़ाव के कारण होने वाली हानि यदि कोई हो की प्रतिपूर्ति करने से की गई है। पिछले चार महीनों की अवधि में धागों की कीमतों में गिरावट आई है जनता साड़ियों और धोतियों के उत्पादन

1	2
आशा नहीं की जा सकती अतः यह अनिवार्य है कि जनता वस्त्र का !उत्पादन करने के लिए उचित और निश्चित मूल्य पर धागे उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए । अभिकरणों को धागों की कीमत में हुई वृद्धि जिस पर अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए यह| राजसहायता भारत सरकार द्वारा जनता वस्त्रों की बिक्री पर अनुमानित राज्य सहायता से अतिरिक्त होनी चाहिए।	लागत ढांचे की सार्वधिक संवीक्षा करने के लिए योजना में प्रावधान किया गया है। अगली संवीक्षा मई, 1978 के मध्य तक की जानी है।

साइलेन्ट घाटी पनबिजली परियोजना

8921. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें राज्य के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, हाल में नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से भेंट की थी;

(ख) क्या इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रधगन मंत्री से यह अनुरोध किया था कि इस राज्य को प्रस्तावित साईलेंट वैली पनबिजली परियोजना को मंजूरी दे दी जाए; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : जी, नहीं ।

(ग) इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कलकत्ता में ईस्टर्न रोजन लोड डिस्पेच सेन्टर की स्थापना करना

8923. **श्री के० राममूर्ति :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी कलकत्ता में 7.2 करोड़ रुपये की लागत के ईस्टर्न रोजन लोड डिस्पेच सेंटर की स्थापना में सहायता कर री है त।कि इस क्षेत्र में बिजली व्यवस्था का सुचारु रूप से परि॰चालन हो सके;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार का केन्द्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में विजली व्यवस्था का सुचारु रूप से परिचालन ।कस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) सरकार ने कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है । परियोजना की संशोधित लागत 768.59 लाख रुपए है । इस केंद्र के लिए कुछ उपस्कर अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण के अन्तर्गत प्राप्त किए जा रहे हैं ।

(ख) पांच क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, अर्थात् उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

साम्प्रदायिक अपराधों की तुरन्त सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय

8924. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक अपराधों पर तुरन्त सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए संसद् के समक्ष कोई विधेयक पेश करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : साम्प्रदायिक अपराधों पर सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के गठन के लिए उपद्रवी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 में उपबंध पहले से ही विद्यमान है । कुछ मामलों में तुरन्त सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों को भी प्राधिकृत किया जाता है । अतः इस बारे में कोई नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव नहीं है ।

'शार्ट वेव' कार्यक्रमों को सुनना

8925. **श्री कुदनतई एन० रामलिंगम :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोई डी० एक्स० क्लब है और यदि हां, तो क्या आकाशवाणी उनमें से किसी के साथ संबद्ध है; और

(ख) क्या सूचना और प्रसारण मंत्री मंत्रालय के भारत में 'शार्ट वेव' को सुनने की रुचि का संवर्द्धन करने की कोई योजना है ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) : (क) भारत में कुछ डी० एक्स० क्लबें कार्य कर रही हैं । आकाशवाणी किसी भी डी० एक्स० क्लब का न तो सदस्य है और न ही वह इस प्रकार की किसी भी क्लब से प्रत्यक्ष रूप से सहयोजित है । तथापि, इस प्रकार की एक क्लव अर्थात् इंडियन डी० एक्स० क्लब इन्टरनेशनल, जिसका मख्यालय कलकत्ता में है, आकाशवाणी के सम्पर्क में है ।

(ख) जी, नहीं चंकि डी० एक्स० संग मूलतः एक वैयक्तिक उद्यम है, इसलिये किसी प्रसारण संगठन का अधिक सीधे संबंधित होना न तो वांछनीय है और न ही आवश्यक ।

DEPARTMENTAL PROMOTION FOR POSTS OF A.S.D. IN A.I.R.

8926. SHRI T. S. NEGI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCAST-NG be pleased to state :

(a) the qualifications of those Programme Secretaries who were made Assistant Station Directors on the basis of promotion and the fields in which they are experts;

(b) whether these persons were rejected in the direct recruitment made by Union ublic Service Commission for the posts of Assistant Station Directors; and

(c) if so, the reasons for their promotion and whether Government propose to put n end to the departmental promotion for the post of Assistant Station Directors in future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND ROADCASTING (SHRI JAGBIR SINGH) : (a) The names and educational qualifica-ons of those Programme Secretaries who were made Assistant Station Directors on the sis of promotion, are given in the Annexure.

In the recruitment rules for the posts of Assistant Station Directors in the departmental omotion quota, no specific provision for expertise in any particular field has been prescribed. wever, the minimum period of service rendered by such persons in the lower grades fore becoming eligible for consideration for promotion to the grade of Assistant Station rector enables/enabled them to acquire sufficient expertise in the field of their work.

(b) Of the 14 persons in question, six had applied for the posts of Assistant Station rector in the direct recruitment made for the said posts by Union Public Service Com-ssion in the year 1976; none of these six persons was able to find a place in the select nel drawn by U.P.S.C. for direct recruitment to the post of Assistant Station Directors.

(c) Under the existing recruitment rules for the posts of Assistant Station Director in l India Radio, 75% of the posts are filled by promotion through a Departmental Promo-n Committee presided over by a Member of the UPSC and the remaining 25% by ect recruitment. The two methods of recruitment are different from each other and the t that certain candidates have not been able to find a place in the panel of direct recruits es not debar them for promotion in the departmental promotion quota. This system plies not only to the posts of Assistant Station Director in All India Radio but to all sts in Government of India where the posts are filled by direct recruitment and through partmental promotion.

There is, at present, no proposal with Government to put an end to the departmental promotion for the post of Assistant Station Director in future.

STATEMENT

LIST SHOWING THE NAMES AND EDUCATIONAL QUALIFICATIONS OF PROGRAMME SECRETARIES WORKING IN THE ALL INDIA RADIO WHO WERE MADE ASSISTANT STATION DIRECTORS ON THE BASIS OF PROMOTION

S. No.	*Name and educational qualifications*
1.	Shri C. Nargunam, B.A. (Hons.)
2.	Shri P. Srinivasan, M.A.
3.	Shri Mohd. Mazhruddin, M.A.
4.	Shri M. R. Rajagopalan, Intermediate
5.	Shri T. S. Natarajan, B.A.
6.	Shri Amir Chand Khera, B.A.
7.	Shri M. S. Z. Razvi, B.A. (Hons.)
8.	Shri K. Ramasubramanyan, B.A.
9.	Smt. Roshan R. Nasirabadvalla, B.A.
10.	Shri T. V. R. K. S. Rao, B.A.
11.	Shri W. R. Saraf, M.A., LL.B.
12.	Shri S. R. Das, B.Sc.
13.	Shri B. N. Saxena, B.A.
14.	Shri M. M. Srivastava, M.A. LL.B.

वैज्ञानिक तथा ग्रौद्योगिक ग्रनुसंधान परिषद् में विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त वैज्ञानिक

8927. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में प्रशिक्षण-प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी संख्या में वैज्ञानिक तथा ग्रौद्योगिक ग्रनुसंधान परिषद् में ग्रपना नाम दर्ज करा रखा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ग्रौर उनमें से कितने वैज्ञानिकों को रोजगार दिया गया है; ग्रौर

(ग) ग्रन्य वैज्ञानिकों को रोजगार देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) ग्रौर (ख) बीस हजार नौ सौ छियालीस (20,946) प्रशिक्षित भारतीय वैज्ञानिक इंजीनियर, प्रौद्योगिकी विद ग्रौर चिकित्सा कार्मिक सी० एस० ग्राई० ग्रार० के राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय ग्रनुभाग में 31-3-1978 तक दर्ज थे । नामों का पंजीकरण स्वैच्छिक है । पंजीकृत व्यक्तियों में से 10,203 ने ग्रपनी भारत वापसी की सूचना दी है । उपलब्ध सूचना के ग्रनुसार उनमें से 9,571 वापस ग्राये थे ग्रौर उन्होंने नियमित रोजगार प्राप्त किया ग्रौर 31-3-78 को 284 पूल ग्रधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे थे ।

(ग) राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय ग्रनुभाग में पंजीकृतों के मामले जिनको भारत में रोजगार नहीं मिला है, को ग्राम तौर पर उनके भारत वापिस ग्राने से दो मास पूर्व वैज्ञानिकों के पूल में चयन करने पर विचार किया जाता है । जो व्यक्ति पूर्ण योग्यता प्राप्त नहीं है का पूल में चयन नहीं किया जाता ।

पूल ग्रधिकारियों को नियमित पदों पर समाहृत करना निम्न बातों पर निर्भर करता है :—

(i) विशेषज्ञता के क्षेत्र में रिक्त पद ।

(ii) रोजगार देने वाले ग्रभिकरणों के भर्ती के सामान्य नियम

(iii) संबंधित वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत कार्यकलाप ।

SETTING UP OF HYDRO-ELECTRIC GENERATOR IN TILAIYA DAM UNDER D.V.C.

†8928. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether two hydro-electric generators are installed in Tilaiya Dam under the Damodar Valley Corporation and the third generator, which was imported from Japan, is lying unutilised and rusting though the provision for the site in Tilaiya Dam has been made for the third generator at the time of its construction; and

(b) if so, whether Government propose to instal the third generator soon, conserve the water which is flowing out of gates and going waste and generate electricity therefrom for supplying it to the people in rural areas so as to promote irrigation and if so, by what time ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Two generators have been installed in the Tilaiya Dam. The third generator was never purchased.

(b) Does not arise.

सेना अधिकारियों तथा भारतीय सेवा अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु एक समान करना

8929. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सेना अधिकारियों के पद पर ध्यान दिये बिना उनके तथा भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु को एक समान करने की योजना विचाराधीन है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं । सैनिक अफसरों की सेवानिवृत्ति की आयु उनके कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर निश्चित की गई है जिसकी अनिवार्य शर्त यह है कि उनमें अधिक ऊंचाई और शून्य से नीचे के तापमान जैसे सभी तरह की जलवायु में कार्य करने की शारीरिक क्षमता बनी होनी चाहिए । चूंकि उनके कार्य की आवश्यकताएं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों से भिन्न हैं इसलिए उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के बराबर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

परमाणु संस्थापनों को क्षति

8930. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्फोट और अन्य कारणों से परमाणु संस्थापनों को हुई क्षति के बारे में सरकार ने जांच पड़ताल की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और वर्ष 1977—78 में कितनी क्षति हुई है; और

(ग) इन संस्थापनों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) जी, हां। भारी पानी संयंत्र बड़ौदा में 3 दिसम्बर, 1977 को हुए विस्फोट के कारणों की जांच परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित एक समिति द्वारा की जा रही है। विस्फोट से अथवा किसी अन्य कारण से देश के न्यूक्लीय संस्थानों को क्षति पहुंचने का कोई और मामला नहीं हुआ है । समिति की प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार यह विस्फोट अमोनिया-शामक असैम्बली की वलनी की खराबी की वजह से हुआ था । आशा कि रिपोर्ट विस्तृत जांच के पूरा हो जाने पर प्राप्त होगी । बाह्य-क्षति को ऊपरी तौर से देखने पर यह अनमान लगाया गया है कि लगभग 1.20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है । यह राशि मुख्य रूप से क्षति ग्रस्त भागों की मरम्मत-उपस्करों को बदलने के लिए आवश्यक होगा ।

(ग) देश के सभी न्यूक्लीय संस्थानों में पहले ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लागू है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के निदेशक के विरुद्ध आपात काल में की गई ज्यादतियों सम्बन्धी शिकायतें

8931. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निदेशक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग, योजना मंत्रालय के विरुद्ध आपात काल में की गई ज्यादतियों संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का स्वरूप क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त अधिकारी की सेवावधि बढ़ाये जाने संबंधी मामला विचाराधीन है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में चार निदेशक हैं । आपात कालीन अवधि में क्षेत्र संकाय प्रभाग के निदेशक द्वारा किये गये कुछ निर्णयों के विरुद्ध सांख्यिकी विभाग की विभागीय परिषद् में कुछ शिकायतें की गई थी । जांच-पड़ताल करने पर शक्ति के दुरुपयोग की शिकायतें प्रमाणित नहीं हुई ।

(ग) ये अधिकारी राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे । प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर उनकी सेवाएं 1 मई, 1978 (पूर्वाह्न) से पुनः राजस्थान सरकार को सौंप दी गयी हैं ।

सुपर ताप संयंत्रों में गैस टर्बाईन जेनरेटरों की स्थापना

8932. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सुपर ताप-संयंत्रों में सावधानी उपायों के रूप में, गैस **टर्बाईन** जैनरेटर स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैस टर्बाइन जैनरेटर कैसे प्राप्त किये जायेंगे; और

(घ) क्या गैस टर्बाईन जैनरेटरों का आयात किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी के छतरपुर केन्द्र के इंजीनियरिंग असिस्टेंट द्वारा आत्महत्या

8933. **श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा**
श्री राजकेशर सिंह
श्री टी० एस० नेगी } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र के इंजीनियरिंग असिस्टेंट द्वारा 28 फरवरी, 1978 को किए गए आत्मदाह के मामले में सरकारी जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच का स्वरूप क्या था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) : (क) से (ग) प्रारम्भिक जांच, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी और आकाशवाणी के अपर मुख्य इंजीनियर द्वारा पहले ही की जा चुकी है । प्रारम्भिक जांच के आधार पर, छतरपुर के सहायक केंद्र इंजीनियर और केंद्र इंजीनियर को निलम्बित कर दिया गया है और केंद्र निदेशक को स्थानांतरित कर दिया गया है । उन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शरु कर दी गई है जो प्रथम दृष्टि में श्री आर० सी० अग्रवाल को तंग करने के उत्तरदायी पाये गये हैं ।

गजरात के पिछड़े हुए जिलों के विकास के लिए प्रोत्साहन

8934. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित किया गया है;

(ख) इन जिलों के विकास के लिए क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं और क्या योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) क्या जिले के हिस्सों को भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित किया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) गुजरात में 10 जिले रियायती वित्त की सुविधाओं के पात्र बनने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े चुने गए हैं ।

(ख) इन जिलों में उद्योग स्थापित करने लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं :—

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया) की रियायती पुनर्वित्त योजना ।

(2) आयकर में कटौती ।

(3) तकनीकी सेवाओं के लिये परामर्शदायी सेवा ।

(4) नये एककों का पंजीकरण और उन वस्तुओं, जिनके उत्पादन पर देश में अन्यथा प्रतिबन्ध लगा है, के सम्बन्ध में विद्यमान एककों का विस्तार करना ।

(5) ब्याज पर राज सहायता ।

(6) नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, लिमिटेड द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों का संभरण।

(7) कच्चे माल का आयात करने के लिए विशेष सुविधाएं देना ।

इन 10 जिलों में से 3 जिले पूंजी निवेश राजसहायता योजना के भी पात्र हैं।

राज्य सरकार द्वारा इन जिलों के विकास के लिए योजना बनाई जा रही है।

(ग) रियायती वित्त सुविधाओं के पात्र बनने के लिए सम्पूर्ण जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े माने गए हैं । सम्बधित राज्य के औसत क्षेत्र वाले जिलों के समान जिलों/क्षेत्रों की निर्दिष्ट संख्या तथा समीपवर्ती पिछड़े जिलों में शामिल निकटवर्ती खण्ड पूंजी निवेश राजसहायता योजना के लिए भी हकदार चुने गए हैं।

IMPORT OF TURBINES FOR POWER GENERATION

†8935. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have made a complaint to the effect that great hurdle is being created in power generation as the turbines manufactured by Bharat Heavy Electricals Ltd. used in power projects are not working properly;

(b) if so, the instructions given by the Central Government in this regard; and

(c) whether with a view to solve this problem Government propose to import turbines from foreign countries so as to achieve the target in regard to power generation?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) and (b) On a reference received from the Government of Uttar Pradesh, the performance of both BHEL supplied and imported power generation units installed in U.P. was reviewed and areas requiring immediate attention have been identified. An action plan has been drawn up for improving the performance of the generating sets.

(c) There is no proposal under consideration of Government for import of generating equipment because of the performance of indigenously manufactured units.

काकरी की मांग और उत्पादन और उसके एककों की संख्या

8936. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय काकरी की मांग और उत्पादन क्या है;

(ख) देश में इस समय कितने एकक कोकरी का उत्पादन कर रहे है; और

(ग) इनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और वास्तविक उत्पादन कितना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) देश में झाकरी बड़े क्षेत्र/संगठित क्षेत्र के साथ साथ लघु क्षेत्र में भी तैयार की जाती है। इस समय बड़े क्षेत्र/संगठित क्षेत्र के 13 एकक झाकरी तैयार कर रहे हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 34,046 मी० टन प्रति वर्ष है। वर्ष 1977 में इन एककों का उत्पादन 17,150 मी० टन था।

लघु क्षेत्र के झाकरी बनाने वाले एककों की संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है। लघु उद्योगों की विगत गणना के अनुसार जो वर्ष 1972 में की गई थी, 148 लघु एकक झाकरी बनाने में लगे हुए थे और उस वर्ष उनका उत्पादन 2.29 करोड़ रु० के मूल्य का हुआ था। इस समय इन एककों की कुल अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन उपलब्ध नहीं है।

देश में इस समय झाकरी की मांग लगभग वर्तमान उत्पादन के बराबर ही है।

EXPENDITURE ON H.M.T. UNIT AT GHORAKHAL (NAINITAL)

8937. SHRI BHARAT BHUSHAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the total amount provided for expenditure on the proposed H.M.T. watch factory at Ghorakhal (Nainital);

(b) the expenditure incurred so far on setting up this factory;

(c) the amount provided therefor in 1978-79;

(d) the total number of employees in the factory at present; and

(e) the time by which this factory will be fully commissioned and the production capacity thereof and the number of persons to be provided employment thereby ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) tc (c) The H.M.T. assisted watch factory at Nainital is being developed by the U.P. State Industrial Development Corporation with the assistance of Hindustan Machine Tools Ltd. The project cost is estimated at Rs. 25 lakhs. This cost is being met entirely by the U.P. State Industrial Development Corporation. No direct expenditure is incurred by H.M.T. or by the Central Government on this project.

(d) Total number of employees at present is around 50.

(e) The operations have commenced since December, 1977. The unit has completed assembly of 60,000 watches during 1977-78. The production capacity of assembly of 2.4 lakh watches per year is expected to be reached in the next two years, providing employment for about 100 persons.

सिक्किम में आकाशवाणी का केन्द्र

8938. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिक्किम राज्य में आकाशवाणी का केंद्र खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अनवरत योजना (1978—83 दरों में जो प्रस्ताव शामिल किया गया है उसमें सिक्किम में गंगटोक में 20 किलोवाट का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर, ग्रहण सुविधायें, स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर स्थापित करने का विचार है। तथापि, इसका कार्यान्वयन वित्तीय आबंटनों की उपलब्धि तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

PURCHASE OF GOODS BY COAL INDIA LTD. FOR WEST COAL FIELDS CO.

8939. SHRI SUBHASH AHUJA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the value (in rupees) of goods purchased in 1977-78, State-wise by Coal India Ltd. for West Coal Fields Co. under Coal India Ltd.;

(b) whether Central Government had entered into any agreement with the Government of Madhya Pradesh regarding purchase of goods while establishing office of West Coal Fields Co. at Nagpur; and

(c) if so, the details of the agreement?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

न्यायिक जांच के निष्कर्ष

8940. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या रक्षा मंत्री जोरहाट के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना की जांच करने वाले आयोग के प्रतिवेदन के बारे में 22 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3912 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक जांच (कोर्ट आफ इनक्वारी) के निष्कर्षों की जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायिक जांच के प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार की टिप्पणियों को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) इस रिपोर्ट पर इस समय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और सदन को जांच के निष्कर्षों से शीघ्र ही अवगत कराया जाएगा ।

COAL MINES UNDER COAL INDIA LTD.

8941. SHRI Y. P. SHASTRI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the total number of coal mines in the country which are under the management and control of Coal India Limited;

(b) the coal production of the mines managed by the Coal India Limited, from April, 1977 to 31st January, 1978 and the loss incurred after calculating the entire expenditure incurred by Coal India Limited thereof; and

(c) the reasons for this loss?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) The total number of coal mines in the country which are under Coal India Ltd. is 356.

(b) The total coal production from these mines of Coal India Ltd. from April, 1977 to January, 1978 is 70.74 million tonnes. The accounts for the year 1977-78 are not yet available. The company will, however, sustain loss.

(c) While revising the price of coal from 1st July 1975 the Government allowed a price increase of Rs. 17.50 per tonne only, even though the Inter-Ministerial Committee which went into this question, had recommended an increase of Rs. 21.80 per tonne on the basis of cost of production. The cost of production has since gone up on account of ex-gratia payment in lieu of bonus, increase in the cost of stores, power, machinery and other inputs. As the price of coal has remained unchanged since July 1975 and the cost of production has gone up, Coal India Ltd. continued to incur losses.

PUBLICATIONS BROUGHT OUT BY P.M.'S OFFICE

8942. SHRI RAM PRASAD DESHMUKH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the names of the publication newspapers and journals brought out by Prime Minister's Office during 1977;

(b) the number out of them brought out in Hindi also and the names of those not brought out in Hindi and the reasons therefor;

(c) whether all those publications, newspapers and journals being brought out in English at present, are proposed to be brought out in Hindi; and

(d) if so, the steps taken so far by Government in this regard?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) The Prime Minister's Office have not brought out any publication, newspaper and journal during 1977.

(b) to (d). Does not arise.

COMMITTEE OF MEMBERS OF PARLIAMENT FOR UPLIFT OF TRIBALS

8943. SHRI AGHAN SINGH THAKUR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to constitute a Committee of Members of Parliament for making suggestions to Government for the uplift of tribals; and

(b) if so, the details in this regard; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) and (b). There is already a Standing Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

जवानों की भरती

8944. **श्री के० मालन्ना :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना में जवानों की भरती करने के लिए कोई मूल नियम हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार, कितने जवानों को भरती किया गया;

(ग) सरकार उनके वेतन और भत्तों पर प्रति वर्ष कितना व्यय करती है;

(घ) गत तीन वर्षों में कितने अधिकारियों की भरती की गई और सरकार ने प्रतिवर्ष उनके वेतन और भत्तों पर कितना व्यय किया; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य से कितने जवान भरती किए गए ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । जवानों की भर्ती के लिए मूल नियम सैनिक भर्ती विनियमावली 1960 में निर्धारित किए गए हैं ।

(ख) से (ङ) गत तीन वर्षों में जवानों की भर्ती और उनके वेतन तथा भत्तों पर किया गया व्यय निम्नलिखित है :—

वर्ष	भर्ती	व्यय
1974-75	57124	1710.58 लाख रुपए
1975-76 . . .	50305	1785.37 लाख रुपए
1976-77	48512	1715.14 लाख रुपए

गत तीन वर्षों में भर्ती किए गए अफसरों की संख्या और उनके वेतन तथा भत्तों पर किया गया व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	भर्ती	व्यय
1974-75 . .	1187	27.65 लाख रुपए
1975-76	1311	34.00 लाख रुपए
1976-77	1396	35.27 लाख रुपए

गत तीन वर्षों में कर्नाटक से सेना में भर्ती किए गए जवानों की संख्या इस प्रकार है :—

1974-75	1400
1975-76	1314
1976-77	1084

पश्चिम बंगाल को उचित दर पर नमक

8945. **श्री गदाधर साहा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार आवश्यकता का लगभग 50 प्रतिशत नमक रेल द्वारा सप्लाई करने हेतु सहमत हुई है;

(ख) पश्चिम बंगाल को नमक ले जाने के बारे में क्या योजना है;

(ग) भारत सरकार के नमक विभाग द्वारा उस योजना को क्रियान्वित करने में असफल रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि चुने हुए निर्धारित उत्पादकों से उचित दरों पर नमक न मिलने का कारण नमक उत्पादकों द्वारा मुनाफाखोरी करना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) तथा (ख) कलकत्ता से तूतीकोरीन तथा पश्चिमी तट को कोयला ले जाने वाले जहाजों को वापसी माल ले जाने वाले जहाजों का सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि पश्चिमी बंगाल के लिये आवश्यक नमक की समस्त मात्रा समुद्र एवं रेल मार्ग से भेजी जाये । किंतु छोटे उत्पादकों के लिये सहायता की व्यवस्था करने तथा पश्चिमी बंगाल में नमक की सप्लाई की स्थिति को आसान बनाने के लिये सरकार ने अगस्त 1977 में यह निश्चय किया था कि उपलब्ध रेल क्षमता के अनुसार कुछ प्रायोजित माल को रेल द्वारा ले जाने की भी अनुमति दी जाये । इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रति वर्ष लगभग 1,44,000 मीट्रिक टन (अर्थात 25 वैगन प्रतिदिन) नमक सभी रेल मार्गों से पश्चिम बंगाल को ले जाया जा सकता है ।

(ग) इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(घ) पश्चिमी बंगाल म अब नमक उचित मूल्यों पर मिल रहा है ?

LEGISLATION TO ERADICATE CASTE SYSTEM

8946. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to abolish the caste system; and if so, why and the manner in which it is proposed to be done; and

(b) whether a legislation is proposed to be enacted to eradicate caste system; and if so, the outlines thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b). There is no such proposal under consideration at the moment.

सी० एस० आई० ओ० चण्डीगढ़ द्वारा टेलीफोन लगाने पर व्यय

8947. **डा० सरदीश राय :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० एस० आई० ओ० चण्डीगढ़ (सी० एस० आई० आर० प्रयोगशाला) द्वारा गत तीन वर्षों में नए टेलीफोन लगाने तथा उसमें सामन्जस्य स्थापित करने के लिए धनराशि खर्च की है;

(ख) क्या खर्च करते समय सरकार द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता के बारे में आदेशों का पालन किया गया था;

(ग) क्या संगठन के एक अधिकारी को टेलीफोन की मुख्य लाइन का दुरुपयोग करते हुए पाया गया था जिसमे संगठन को भारी हानि हुई थी; और

(घ) क्या उसकी कोई जांच की गई है यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला तथा क्या कार्यवाही की गई ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान आठ नये टैलीफोन लगाने के लिये डाक और तार विभाग में तेंतीस हजार एक सौ पंद्रह रुपए जमा कराये गये थे । आठ में से तीन टेलीफोन सी० एस० आई० ओ० प्रधान कार्यालय चण्डीगढ़ के लिये थे और पांच टेलीफोन उनके सेवा और रख-रखाव केंद्र जो अन्य स्थानों पर हैं के लिये हैं । ये टेलीफोन इनकी जरूरत संबंधी आवश्यकताओं का सत्यापन करने के बाद स्वीकृत किये गये थे । इस सबंधं में सरकार द्वारा जारी किए गये मितव्ययिता संबंधी निर्देशनों पर विचार किया गया था ।

(ख) और (घ) निदेशक सी० एस० आई० ओ० द्वारा अक्टूबर, 1977 में एक आरोपपत्र भी प्राप्त हुआ था । जो सी० एस० आई० ओ० के एक अधिकारी द्वारा टेलीफोन लाइन का दुरुपयोग करने से संबंधित था । निदेशक ने तीन वरिष्ठ वैज्ञानिकों की एक कमेटी आरोप की जांच करने के लिये गठित की है । रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

नई ऊर्जा नीति तैयार करना

8948. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई ऊर्जा नीति बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां । देश में तथा देश के बाहर हाल ही में हुए विकासों को दृष्टिगत रखते हुए ऊर्जा को वर्तमान स्थिति की विस्तृत जांच करने व अगले 5-15 वर्षों के लिए सम्भाव्यताओं का विकास करने के लिए था ऊर्जा के गैर-परम्परागत साधनों सहित ऊर्जा के उपलब्ध साधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए समुचित नीति संबंधी उपायों की सिफारिश करने के लिए योजना आयोग ने एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है ।

कागज के मूल्य में वृद्धि

8949. **श्री उग्रसेन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कागज मिल मालिकों ने गत सप्ताह कागज के मूल्य में 15 प्रतिशत वृद्धि कर दी है और यदि हां तो क्या वह इस बात को स्पष्ट करेंगे और सभा को आश्वासन देंगे कि कागज के मूल्य में वृद्धि नहीं होने दी जायेगी;

(ख) कागज के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप मिल मालिकों को कितना अतिरिक्त लाभ हुआ और देश में कागज की कितनी मात्रा की आवश्यकता है और यह आवश्यकता किस प्रकार पूरी की जाती है; और

(ग) क्या बाजार में कागज की कमी है और यदि हां तो इस कमी को शीघ्र दूर करने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जनवरी, 1978 में कुछ कागज मिलों ने कुछ किस्मों के कागजों के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की थी । ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य मिलों में से अधिकांश मिलों ने जिन्होंने पहले ऐसी मूल्य वृद्धि नहीं की थी, अब ऐसी कार्यवाही की है । यद्यपि कागज की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है किन्तु सरकार उद्योग को किसी औचित्य के बिना कीमतों में एक पक्षीय वृद्धि करने से निरुत्साहित करती रही है।

(ख) प्रत्येक एकक द्वारा मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप अर्जित वास्तविक अतिरिक्त लाभ अनेक आधारों पर जैसे निवेशों की लागत उत्पादन लागत, जिनके मूल्यों में वृद्धि की गई है उन उत्पादित किस्म के कागजों की मात्रा एवं मूल्य वृद्धि की सीमा निर्भर करते हैं जिनमें भिन्नताएं होती हैं ।

वर्ष 1977-78 में कागज तथा गत्ते का उत्पादन लगभग 9.34 लाख मी० टन हुआ। जो देशी मांग के लिए पर्याप्त था। केवल विशेष प्रकार के कागजों का इस समय आयात किया जा रहा है।

(ग) यद्यपि कागज के उत्पादन में समग्रतः वृद्धि हुई है, किन्तु वर्ष 1977 में कलचरल कागज के उत्पादन की प्रतिशतता में गिरावट आई है। लिखाई तथा छपाई के कागज की सामान्य किस्मों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए कागज (उत्पादन विनियमन) आदेश, 1978 के अधीन कदम उठाये गये हैं तथा अग्रेतर विनियमनकारी अभ्युपायों और आयात करने की सम्भावना के प्रश्न पर विचार परिणामों को देखने के पश्चात किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में बिजली संयंत्रों को ट्यूबों का लाक करना

8950. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के लगभग सभी बड़े बिजली संयंत्रों में ट्यूबों के लॉक करने के कारण हाल में एक खास खराबी उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि इन संयंत्रों के विदेशी सप्लाईकर्ताओं के दबाव में आकर ट्यूबों की किस्म की महत्वपूर्ण शर्त को जहां तक सुरक्षात्मक उपायों का संबंध है, समाप्त कर दिया गया था; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सरकार को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के ताप विद्युत् केन्द्र, अन्य कारणों के साथ-साथ, ट्यूब की खराबी के कारण जबरन बन्दी पर रहे हैं। वर्ष 1977-78 के दौरान ट्यूब की खराबी यद्यपि संथालडीह में 6 बार हुई किन्तु इसी अवधि में बेन्डेल विद्युत् केन्द्र के मामले में यह खराबी 12 बार और दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड के मामले में 3 बार हुई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में क्षेत्र का प्रभावी क्रियान्वयन

8951. **श्री जी० मुवाराहन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में क्षेत्र-प्रचार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या क्षेत्र-प्रचार विभाग के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सलाहकार समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

विवरण

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा विभिन्न राज्यों में अपनी यूनिटों के प्रभावी कार्य संचालन के लिए उठाए गए कदम दिए गए हैं :—

1. ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अधिकाधिक संख्या में कार्यक्रमों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों और यात्राओं की क्रमबद्ध योजना तैयार की गई है।

2. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा प्रादेशिक कार्यालयों के दो स्तरों पर कार्यक्रमों को मानिटर करने और उनकी मूल्यांकन करने की पद्धति विकसित की गई है और इन विश्लेषणों के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारियों को सतत मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

3. यात्रा दिनों और फिल्म कार्यक्रमों की संख्या के लिए मानक, कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता और महंगाई तथा वाहनों के लिए पैट्रोल तथा अन्य स्नेहक तेलों के लिए बजट आबंटनों के आधार पर निश्चित कर दिए गए हैं। कार्यक्रम निष्पादन का यह सुनिश्चित करने के लिए विश्लेषण किया जाता है कि मानक प्राप्त हों।

4. क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों को भारतीय जन संचार संस्थान में सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए क्रमबद्ध रूप में भेजा जाता है।

5. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के प्रादेशिक अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों की मौके पर अकस्मात जांच-पड़ताल किए जाने की व्यवस्था की गई है।

6. दो बड़े रीजनों अर्थात् उत्तर प्रदेश और बिहार को यूनिटों के बेहतर प्रशासन के लिए दो भागों में विभाजित कर दिया गया है।

7. प्रादेशिक कार्यालयों का प्रशासन, बड़े प्रदेशों में प्रशासनिक अधिकारियों तथा उन सभी में प्रवर श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति कर सुदृढ़ कर दिया गया है। इस व्यवस्था से प्रादेशिक अधिकारी कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके प्रभावी पर्यवेक्षण की ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

8. बेहतर प्रशासन और कार्यक्रमों का अच्छा निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय के प्रादेशिक कार्यालयों के निरीक्षण की गति तेज कर दी गई है।

9. निदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि वे जिला अधिकारियों से सतत सम्पर्क बनाए रखें ताकि केन्द्र और राज्यों की क्षेत्रीय यूनिटों के काम में अनावश्यक पुनरावृत्ति न हो।

10. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों और केन्द्रीय तथा राज्यों की प्रचार एजेंसियों की गतिविधियों में प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अन्तः माध्यम प्रचार समन्वय समितियां गठित कर दी गई हैं।

अस्वच्छ कार्यों में लगे हुए अनुसूचित जातियों के काम करने की स्थितियों में सुधार करना

8952. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अस्वच्छ कार्यों में लगे हुए अनुसूचित जातियों के लोगों के काम करने और रहन-सहन की स्थितियों में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों द्वारा इस राशि का कितना उपयोग किया गया है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) उन अनुसूचित जातियों के कार्य करने तथा रहन-सहन की दशा में सुधार करने के लिए जोकि अस्वच्छ कार्यों में लगे हुए हैं, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं है। तथापि कुछ राज्यों के पास राज्य योजना के अपने पिछड़े वर्ग/सामान्य क्षेत्रों के कार्यक्रमों में ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनमें केन्द्रीय सहायता खंड ऋणों तथा खंड अनुदानों के जरिए उपलब्ध हैं।

फिर भी, निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने एक पायलट परियोजना के रूप में 1974-75 से शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने का कार्यक्रम शुरू किया है ताकि कामकाज की दशा में सुधार किया जा सके और इस समय 9 राज्यों में 15 योजनाएं चल रही हैं।

वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान 9 राज्य सरकारों को दी गयी धनराशि के बारे में सूचना संलग्न है। 1978-79 के दौरान, योजनाएं पूरी होने के समय तक धन राशि इस्तेमाल होने की संभावना है।

विवरण

शुष्क शौचालयों को बदलने के कार्यक्रम की स्थिति—राज्यों को दी गयी धनराशि का विवरण :—

क्रम सं०	राज्य	योजना	दी गई धनराशि 1976-77 में	1977-78 में (रुपये लाखो में)
1.	कर्नाटक	राणेधानूर	3.50	2.00
2.	महाराष्ट्र	1. लोनावाला	—	3.50
		2. डेगलूर	—	3.00
3.	गुजरात	1. वल्लभ विद्या नगर	3.00	—
		2. उप्लेता टाऊन	1.50	—
4.	उत्तर प्रदेश	1. शिकोहाबाद	—	2.50
5.	असम	करीमगंज	—	2.00
6.	उड़ीसा	भवानी पटना	9.62	6.00
7.	तमिल नाडु	1. थिरूवारूर	5.00	—
		2. पलानी	5.00	2.50
		3. लब्बायीकुदी काडू	0.38	5.00
8.	पंजाब	1. कोट कपूरा	3.00	5.50
		2. बरनाला	3.00	8.00
9.	पश्चिम बंगाल	राणाघाट	5.00	—
		जोड़	39.00	40.00

CONFIRMATION OF LECTURERS IN HINDI TEACHING SCHEME

8953. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of lecturers in Hindi Teaching Scheme working on *ad hoc* basis for the last about 5 years;

(b) whether these employees have been continuously working on *ad hoc* basis;

(c) if so, the reasons for not regularising them so far; and

(d) whether it is a fact that *ad hoc* lecturers from northern region only have not been regularised ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Fourteen;

(b) Yes, Sir.

(c) The posts of Hindi Teachers are being filled in by the Services Selection Board on the basis of open competitive examination, requisition for which has already been placed. *Ad hoc* Hindi Teachers are free to take part in the competitive examination and those who are selected by the Commission would be regularised.

(d) This is not correct.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को ठेके/लाइसेंस दिया जाना

8954. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय सरकारी उपक्रमों सहित उससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा मार्च 1977 से कुल कितने ठेके/लाइसेंस दिये गये और उनमें ऐसे ठेकों/लाइसेंसों की प्रत्येक श्रेणी में यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को कोई अंश मिला तो वह कितना था ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : अपेक्षित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है तथा इसे एकत्र करने में अत्यधिक समय और खर्च लगेगा।

लघु उद्योग के बारे में श्राई० एस० पुरी का प्रतिवेदन

8955. **श्री कैलाश प्रकाश** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को कोई प्रोत्साहन और सुविधायें देने के बारे में लघु उद्योगों के विकास आयुक्त श्री आई० एस० पुरी ने कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं और उनमें से सरकार ने किन-किन सुझावों को स्वीकार किया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती श्राभा मयती) : (क) श्री आई० सी० पुरी विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने जो एक समिति के अध्यक्ष थे लघु उद्योगों की बैंक ऋण सम्बन्धी समस्याओं पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश निम्नलिखित हैं :--

(1) सभी बैंकों द्वारा 25,000 रु० तक के और 25,000 रु० से 2,00,000 रु० के बीच के अग्रिमों के लिए सरलीकृत आवेदन और मूल्यांकन प्रपत्र अपनाया जाना चाहिए।

(2) मार्जिनों के मामलों में लघु उद्योगों के बारे में अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से कुशलता प्राप्त उद्यमियों की जीव्य योजनाओं के लिए न्यूनतम मार्जिन में लोचकता होनी चाहिए। उद्यमियों को उनकी आवश्यकतानुसार थोड़ा थोड़ा करके इक्विटी अंशदान देने, उदार ऋण सहायता निधि अथवा एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्थापित करने की अनुमति होनी चाहिए।

(3) बैंकों की परियोजना की जीव्यता पर निर्भर करना चाहिए। छोटे ऋणों के मामलों में नैमित्ति तरीके से तीसरे पक्ष की गारन्टी प्राप्त करने की पद्धति समाप्त की जानी चाहिए। आनुषंगिक प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्त की गई ऋण मुक्त औद्योगिक आस्तियां वास्तविक आवश्यकता पड़ने पर पूर्व प्रभार से मुक्त की जानी चाहिए। बैंकों को उसके समान बंधक स्वीकार करना चाहिए।

(4) पुनर्भुगतान कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिशेष जनियण क्षमता पर विचार किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए भुगतान शुरू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए; एकक द्वारा फालतू उत्पादन शुरू कर देने के बारे ब्याज आसान किस्तों में इकट्ठी की जानी चाहिए बिजली की कटौती, मन्दी और प्राकृतिक प्रकोपों के मामलों में पुनर्भुगतान कार्यक्रम की संवीक्षा की जानी चाहिए और उसे फिर से तैयार किया जाना चाहिए।

(5) 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक ऋण सम्बन्धी निर्णय शाखा स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए शाखा प्रबन्धों की सविवेक से निर्णय लेने सम्बन्धी शक्ति की फिर से संवीक्षा की जानी चाहिए। छोटे कर्जदारों के आवेदन पत्रों को 4 सप्ताह के भीतर ही निपटा दिया जाना चाहिए।

(6) ब्याज दर के लिए एक सोपान (स्लैब) प्रणाली अपनायी जानी चाहिए। पुनःजीवित किए जा रहे रुग्ण एककों के मामलों में ब्याज दर में विशेष रियायत दी जानी चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में रियायती ब्याज दर होनी चाहिए। लघु उद्योगों के अग्रिमों पर बैंकों द्वारा सेवा प्रभार नहीं लगाया जाना चाहिए। बैंकों को सामान्य तौर पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनः वित्तीयन प्राप्त करना चाहिए और ऐसा न करने का निर्णय करने की अवस्था में अपनी निजी रियायती ब्याज दर ऐसे ऋणों पर लागू करनी चाहिए।

(7) बिल डिस्काउन्टिग योजना के अधीन लघु औद्योगिक एककों के बिलों को कोई विशिष्ट सीमा निश्चित किए बिना स्वीकार किया जाना चाहिए।

(8) परियोजना का मूल्यांकन करने, रुग्ण एककों को पुनर्स्थापित करने, प्रभार वसूल करने और विपणन सहायता के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थानों का बैंकों द्वारा पूर्णतम उपयोग किया जाना चाहिए।

सरकार को लघु उद्योग सेवा संस्थानों में कुशलता को समुन्नत करने के लिए अभ्युपाय करने चाहिएं; उद्यमियों को आंकड़े पेश किए जाने चाहिए और योजनाओं पर बैंकों द्वारा बिचार विमर्श किया जाना चाहिए ।

(9) इस रिपोर्ट के कार्यानियन की निगरानी के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता लघु उद्योगों, रिजर्व बैंक और बैंकरों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जानी चाहिए ।

सिफारिशें वित्त मंत्रालय के विचारार्थ भेज दी गई हैं ।

सीमेंट कारखानों द्वारा बोरों की खरीद

8956. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सीमेंट निगम के अन्तर्गत प्रत्येक सीमेंट कारखाने द्वारा खरीदे गये पुराने और नये बोरों के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं;

(ख) सप्लाईकर्ताओं के नाम और पते क्या हैं और प्रत्येक ने कितनी मात्रा तथा [कितनी] कीमत के बोरे सप्लाई किये; और

(ग) वर्तमान सप्लाईकर्ताओं के, जिन्हें बोरों की सप्लाई के ठेके दिये गये हैं, नाम और पते क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) भारतीय सीमेंट निगम के प्रबन्ध के अधीन आने वाले प्रत्येक सीमेंट कारखाने द्वारा पुराने तथा नये बोरों की वार्षिक खरीद के गत तीन वर्षों की ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	मन्धार फैक्टरी		करकुंटा फैक्टरी		बोकाजन फैक्टरी	
वर्ष	नये बोरे	पुराने बोरे	नये बोरे	पुराने बोरे	नये बोरे	पुराने बोरे
1975	2496400	679725	1060000	2050155	—	—
1976	3053950	1141858	1922500	1624650	—	—
1977	2531200	1776648	1230450*	1446775	1633500	556359

*नवम्बर और दिसम्बर की प्राप्तियों को छोड़कर ।

(ख), (ग) दो विवरण संलग्न हैं ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल टी-2245/78]

LOSS TO FOOTWEAR CORPORATION IN KANPUR

8957. CHAUDHURY RAM GOPAL SINGH : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Tannery and Footwear Corporation, Kanpur is incurring loss to the tune of lakhs of rupees every month;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action being taken to improve its working ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The Tannery & Footwear Corporation of India Ltd., Kanpur, has been incurring losses since its inception in 1969, and its total accumulated loss upto 31-3-1978, is of the order of Rs. 8.95 crores.

(b) The main reasons for the continued losses sustained by the Corporation are as follows :—

(i) Under-utilisation of installed capacity in respect of footwear due to lack of orders;

(ii) very high administrative over-heads because of the large labour force and excessive staff;

(iii) weak marketing set up resulting in heavy accumulation of finished stocks;

(iv) old and dilapidated plant and equipment effecting productivity and quality;

(v) instability in raw material prices resulting in wide fluctuations between the estimated and actual cost of production;

(vi) heavy interest burden on account of past Government loans; and

(vii) weak and ineffective management.

(c) The following measures have been taken or are being taken to improve the working of the Corporation :

(i) The top management has been re-vamped;

(ii) A foreign footwear technician has been appointed to improve the quality of footwear production and train Indian personnel;

(iii) The services of a number of senior Managers have been terminated and new Managers recruited in their place;

(iv) A Vigilance Cell has been set up to identify and root out sources of corruption in the Corporation;

(v) A phased programme of modernisation and replacement of plant and machinery is under implementation;

(vi) Vigorous efforts are being made to increase production, improve marketing, recover outstanding dues and liquidate the high inventory;

(vii) A Corporate plan to diversify and increase production upto the optimum level is being prepared for implementation.

दिल्ली के लिए पुलिस आयुक्त

8895. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के लिये पुलिस आयुक्त प्रणाली आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पुलिस आयुक्त की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रणाली कब से कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ग) सरकार दिल्ली के लिए शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली आरम्भ करने के लिए उत्सुक है। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विधेयक का प्रारूप बनाया जा चुका है। इस पर दिल्ली महानगर परिषद की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

TOTAL LOSS SUFFERED BY THE MADHYA PRADESH MILLS DURING LAST THREE YEARS

8959. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the total loss suffered by the mills in Madhya Pradesh run by National Textile Corporation during the last three years;

(b) whether Government propose to conduct an enquiry in regard to this loss; and

(c) the value of the cloth, in lakhs of rupees in the stocks for sale of the textile mills in Madhya Pradesh at present, separately ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The NTC mills in Madhya Pradesh suffered a net loss of Rs. 20.93 crores (provisional) during the period April 1975 to February, 1978.

(b) No, Sir. However, the working of these mills is reviewed by the Board of Directors of the Holding Company regularly.

(c) The mill-wise position of saleable stocks of finished goods as on 31st January, 1978 was as under :—

Name of the mill	Value of Stock (Rs. in lakhs)
1. Indore Malwa United Mills, Indore	116·10
2. Kalyanmal Mills, Indore . . .	121·97
3. Swadeshi Cotton and Flour Mills, Indore .	150·32
4. Hira Mills, Ujjain .	131·65
5. Burhanpur Tapti Mills, Burhanpur .	77·89
6. Bengal Nagpur Cotton Mills, Rajnandgaon	137·43
7. New Bhopal Textile Mills, Bhopal	35·37
Total	770·73

आपात स्थिति के दौरान हिन्दी शिक्षकों की पदोन्नति

8960. **श्रीमती चन्द्रावती :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षकों की सहायक निदेशकों के रूप में पदोन्नति की गई थी;

(ख) यदि हां तो क्या ऐसा करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को, जैसी नियमों में व्यवस्था की गई थी, उचित प्राथमिकता दी गई थी। पदोन्नति के नियमों में पिछड़े वर्गों के लोगों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

ROAD TRAFFIC

†8961. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of SHIPPING AND TANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government feel that owing to different octroi duty and different transport laws in various States, lot of time is wasted in movement of road traffic and they provide an opportunity to police to indulge in corrupt practices; and

(b) if so, the efforts being made by Government to remove the said road transport difficulties ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) The question of abolition of octroi is under consideration.

The rules framed by the State Governments under the Motor Vehicles Act differ from State to State according to local conditions. However, to ensure uniformity, to the extent possible, it is proposed to circulate fresh model rules to the State Governments and Union Territory Administrations for guidance while framing the Motor Vehicles Rules or making amendments in them.

छोटा नागपुर का पृथक राज्य के रूप में गठन

8962. **श्री पायस टिर्की :**
श्री रीतकाल प्रसाद वर्मा
डा० रामजी सिह : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटा नागपुर का पृथक राज्य के रूप में गठन के लिये बिहार के कितने मंत्रियों और विधान सभा सदस्यों ने आन्दोलन में भाग लिया तथा कितने व्यक्तियों को इसके लिये नियुक्त समिति में शामिल किया गया; और

(ख) क्या छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासियों के शोषण को समाप्त करने के लिये सरकार की कोई योजना है; यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंण्डल) : (क) राज्य सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार संख्या क्रमशः 14 व 3 (केवल बिहार के विधायक) थी। इनमें कोई मंत्री शामिल नहीं था।

(ख) राज्य सरकार आदिवासियों के शोषण को समाप्त करने के लिये उत्सुक हैं। उनके द्वारा किये गये उपायों में कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिये छोटा नागपुर-संथाल परगना विकास प्राधिकरण का द्विभाजन तथा आदिवासियों आदि के समन्वित सर्वतोमुखी विकास के लिये 75 करोड़ रुपये के परिव्यय की आदिवासी उपयोजना का कार्यान्वयन शामिल हैं। शोषण के विरुद्ध आदिवासियों के संरक्षण के लिये अनेक कानून विद्यमान हैं।

कपड़ा मिलों को कोयले और बिजली का कोटा

8963. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग को दिये जाने वाले कोयले के कोटे में 40 प्रतिशत कमी कर दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कपड़ा उद्योग को बिजली की सप्लाई भी अनियमित है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह भी सच नहीं है कि कपड़ा मिल संघ ने एक प्रैस विज्ञप्ति में 40 प्रतिशत कटौती की शिकायत की थी;

(घ) क्या सरकार ने शिकायत की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : प्रश्न में मांगी गई जानकारी रेलवे तथा ऊर्जा मंत्रालय से एकत्रित की गई है जो इस प्रकार है:—

(क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसी कोई भी प्रैस रिलीज इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

SETTING UP OF INDUSTRIES IN CITIES OF MORE AND LESS THAN 5 LAKHS POPULATION

8964. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of applications pending as on 31-12-1977 for seeking permission to set up industries in the cities having population more than 5 lakhs and less than 5 lakhs respectively;

(b) the number of cases under examination for setting up industries in public sector and the number of cases in respect of which decisions have been taken for the setting up of industries in big cities; and

(c) the steps taken by Government to ensure that factories are not set up in big cities in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to (c). In all, 18 industrial licensing applications, out of which one application was from public sector unit, were due for disposal as on 31-12-1977. Generally, industrial licensing applications contain information about location upto the Tehsil stage and detailed information regarding applications for units proposed to be set up in cities classified on the basis of population is not mantained centrally. However, in pursuance of the Statement on Industrial Policy laid on the Table of the Houses of Parliament on 23-12-1977, wherein Government have decided that no more licences should be issued to new industrial units within certain limits of large metropolitan cities having a population of more than 1 million and urban areas with a population of more than 5 lakhs according to the 1971 census, a standard condition is now being included in the list of conditions attached to the letters of intent/licences including those issued to public sector undertakings that the new unit should not be located within the standard urban area limit of a large metropolitan city having a population of more than one million and in the urban area of a city with a population of more than 5 lakhs as per the 1971 census.

रक्षा उपकरणों के लिए पश्चिमी देशों को पेशकश

8965. **श्री शरद यादव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एक उच्च अधिकार प्राप्त दल ने पश्चिमी देशों द्वारा विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए की गई पेशकश के बारे में जांच करने के लिए उन देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसा दौरा करने वाले दल का ब्यौरा क्या है, उसने किन देशों का दौरा किया;

(ग) क्या इस विषय पर कोई अन्तिम वार्ता हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) रक्षा सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल ने, जिसमें वायु सेनाध्यक्ष वित्त सचिव और रक्षा उत्पादन सचिव तथा रक्षा वित्तीय सलाहकार थे, कनबेरा और हंटरों के पुराने बेड़े के स्थान पर नए प्रकार के विमान खरीदने और उनका उत्पादन करने के संबंध में बातचीत करने के लिए स्वीडन, फ्रांस और ब्रिटेन का दौरा किया। इस दल ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसपर सरकार का विचार कर रही है।

खुर्जा पौटरी उद्योग

8966. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में खुर्जा में बड़ी संख्या में पौटरी उद्योग स्थापित किये गये हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) क्या और अधिक पौटरी उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से खुर्जा की औद्योगिक क्षमता का मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी हां। खुर्जा में उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में 419 पोटरी एकक स्थापित किए गए हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार समय समय पर खुर्जा में और अधिक पाटरी एकक स्थापित करने हेतु औद्योगिक सम्भाव्यताओं का मुल्यांकन करती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार और अधिक पाटरी एकक स्थापित करने के उदेद्श्य से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की एक सहायक कम्पनी यू० पी० एस० आई० सी० पाटरीज लिमिटेड को एक स्वतन्त्र निगम के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम, बम्बई डिवीजन द्वारा ध्वजारोहण बन्द किया जाना

8967. **श्री बापू साहिब परूलेकर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम, बम्बई डिवीजन ने 15 अगस्त और 26 जनवरी, को सभी शाखा कार्यालयों पर ध्वजारोहण बंद करने का निर्णय किया है क्योंकि वहां पर 24 घण्टे की ड्यूटी पर कोई स्टाफ नहीं होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जीवन बीमा निगम बम्बई डिवीजन द्वारा किया गया निर्णय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गये अनुदेशों के अनुरूप है, अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में पुनरीक्षण

8968. **श्री सूरज भान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में पुनरीक्षण करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कार्य कर रही भूतपूर्व उच्चस्तरीय समिति को वर्तमान सरकार ने पुनः चालू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और वर्ष 1977 78 में उक्त समिति की कितनी बैठकें हुईं; और

(ग) उक्त बैठकों में लिए गए मुख्य निर्णय क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की पुनरीक्षा करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

ALLEGED RESTRICTIONS ON CHOGYAL OF SIKKIM

8969. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chogyal of Sikkim is not allowed to go out of Sikkim and he cannot also meet his relatives or talk to them without the permission of Government of India;

(b) whether it is also a fact that he has not been allowed to meet his wife Smt. Hope Cook and her two innocent children since 1974; and

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative the reasons for subverting this fundamental right of the citizens ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK MANDAL) : (a) and (b) No, Sir. There are no restrictions on the movements of the former Chogyal of Sikkim or on his meetings with relatives and friends; nor has at any time permission been refused to him to go abroad.

(c) Does not arise.

SALT INDUSTRY IN GUJARAT

8970. SHRI AMARSINH V. RATHAWA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of works financed from Gujarat Salt Cess Fund and the names of the place where such works were financed and the amount given for each of them;

(b) the number of the places for which programmes have so far been formulated by Central Government for the Development of salt industry in Gujarat and the details thereof;

(c) the demands made by Gujarat Government to Central Government through salt cess Board and the demands, out of them on which Central Government have paid greater attention and the details thereof; and

(d) whether Central Government propose to constitute an autonomous Board for the promotion of salt cess and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The works in Gujarat sanctioned to be financed out of the salt cess proceeds have been given in Annexure 'I'.

—215LSS/78

(b) and (c). In all 34 proposals for the development of salt industry in Gujarat are under consideration for execution out of the salt cess proceeds.

(d) No proposal for constitution of an autonomous board for promotion of salt cess is under consideration of the Government.

STATEMENT

Sl. No 1	Details of work 2	Estimated Cost Rs. 3	Amount Sanctioned Rs. 4
1.	Water supply scheme for Mundra Port and the salt Works of M/s. Bharat Salt I Chemical Industries, Mundra-Kutch	2,54,000/-	1,27,000/-
2.	Asphalting Kuda-Dhrangadhra Road in Surendernagar District	5,19,000/-	3,46,000/-
3.	Construction of an 'approach road linking National Highway No. 8 A near village Chirai to Salt works in Kutch District.	7,70,370	5,13,580
4.	Construction of road from Maliya Railway Station to Jajasar Salt Works	7,70,400/-	5,13,600/-
5.	Kuda Water Supply Scheme .	19,62,000/-	13,08,000/-
6.	Jafrabad Water Supply Scheme . .	5,06,625/-	2,53,312/-
7.	Construction of Salaya-Chudeswar Road (with drainage works)	23,51,304/-	11,75,652/-
	Total	71,38,699/-	42,37,844/-

एम्बेसेडर कार के मूल्य में वृद्धि

8971. **श्री अनन्त राम जायसवाल**
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1977 से 15 अप्रैल, 1978 के बीच हिन्दुस्तान मोटर लिमिटेड की एम्बेसेडर कार के मूल्य में कितनी बार वृद्धि हुई तथा कितनी वृद्धि हुई;

(ख) क्या कम्पनी ने कार के मूल्य में वृद्धि के बारे में सरकार को पूर्व सूचना दी थी और यदि हां, तो मूल्य में वृद्धि के बारे में सरकार को कितने दिन पूर्व सूचित किया गया था तथा क्या सरकार ने इसे रोकने के लिये कोई कार्यवाही की थी; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या कम्पनी ने मूल्य में वृद्धि का कोई औचित्य बताया था और क्या सरकार उक्त समूची मूल्य वृद्धि को उचित मानती है; और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कार के मूल्य में वृद्धि को घटाकर उस स्तर तक लाने का है जहां तक उस का औचित्य हो ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) अम्बेसेडर कार के मूल्य में 30-11-77 और 15-4-1978 के बीच तीन बार वृद्धि हुई है, वृद्धि की राशि निम्नलिखित है :—

वृद्धि की तारीख	वृद्धि की राशि
24-12-77	1,500.00 रु०
1-3-78	200.00 रु०
1-4-78	2,250.00 रु०

(ख) तथा (ग) 1-1-1975 से यात्री कारों की कीमतों पर से कानूनी नियंत्रण हटा दिया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं द्वारा सरकार को मूल्य वृद्धि के बारे में पूर्व सूचना देना जरूरी नहीं है। सरकार के लिए भी निर्माताओं द्वारा की गई मूल्य वृद्धियों को मंजूर करना अपेक्षित नहीं है।

मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने बताया है कि विभिन्न अन्तर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि के कारण समय-समय पर उत्पादन लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिए उपर्युक्त मूल्य वृद्धि करनी पड़ी थी ।

आंध्र प्रदेश के सीमेंट कारखाने में उत्पादन में कमी

8972. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैगनों की कम सप्लाई होने के कारण आंध्र प्रदेश के प्रत्येक सीमेंट कारखाने में गत दो महीनों में उत्पादन में लगभग 1500 टन की दर से सीमेंट का उत्पादन कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में इस समय 6 सीमेंट फैक्टरियां हैं तथा उनकी अधिष्ठापित मासिक क्षमता 1,68,833 मी० टन है । इन सीमेन्ट फैक्टरियों ने जनवरी में 1,70,767 टन फरवरी (28 दिनों का उत्पाद) में 1,55,280 मी० टन और मार्च 1978 में 1,85,139 मी० टन उत्पादन किया था । इन फैक्टरियों के सीमेंट उत्पादन में प्रगामी वृद्धि हुई है तथा इन 3 महीनों में फैक्टरियों ने 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग किया है । अतः इन फैक्टरियों में वैगनों की कमी की वजह से उत्पादन में कोई हानि नहीं हुई । फिर भी रेलवे से निकट के सम्नवय के सुनिश्चिय के लिए रेलवे वैगनों की उपलब्धता पर नजर रखने के उद्देश्य से एक संवीक्षा समिति नियुक्त की गई है ।

पश्चिमी घाट विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय नियतन

8973. **श्री बापू साहिब परूलेकर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी घाट विकास योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को दी गई राशियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में उक्त धनराशि महाराष्ट्र राज्य की किन परियोजनाओं पर खर्च की गई तथा उक्त परियोजनाओं की क्या प्रगति है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) विवरण-1 के अनुसार सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण-2 भी सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण-1

केन्द्रीय सहायता का राज्यवार आवंटन--पश्चिमी घाट क्षेत्र--1975-76 से 1978-79 तक

(लाख रु०)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79 अनंतिम
1	2	3	4	5
कर्नाटक	27	90	120	138
केरल	34	118	144	168
महाराष्ट्र	45	140	195	234
तमिलनाडु	26	80	107	142
गोवा, दमन और दीव	8	22	30	40
तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण	—	—	4	4
जोड़	140	450	600	726

विवरण-2

पश्चिमी घाट पर व्यय की प्रगति का क्षेत्रवार/कार्यक्रमवार ब्यौरा—महाराष्ट्र—1975-78

(लाख रु०)

क्षेत्र/कार्यक्रम	1975-76†	1976-77	1977-78 प्रत्याशित
1	2	3	4
कृषि	34.50	21.25	21.50
पशुपालन	2.08	3.75	4.82
सड़कें	4.97	23.85	26.68
सिंचाई		43.09	90.00
तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण	0.15	0.86	2.00
उद्योग	—	6.68	12.91
वन उद्योग	1.05	4.80	5.44
डेरी विकास	—	6.73	25.65
गांवों में जलपूर्ति	—	—	6.00
पर्यटन	2.25	8.00	—
जोड़	45.00	119.00	195.00

†अलेखा-परीक्षित

राष्ट्र संघ से पारिस्थितिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी स्थितियों का अध्ययन के लिए सहायता

8974. क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिस्थितिक और पार्यावरण संबंधी स्थितियों के बारे में किये जा रहे अध्ययन और सुधार के मामले में सरकार ने राष्ट्र संघ की किसी एक अथवा अनेक एजेन्सियों अथवा संघों से कोई वित्तीय सहायता और/अथवा तकनीकी और विशेषज्ञ परामर्श के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी, हां।

उपकरणों, विशेषज्ञ परामर्श तथा विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के रूप में संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों से सहायता प्राप्त की गई है। मौटे तौर पर प्राप्त सहायता पर्यावरणीय इंजीनियरी की अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों के संवर्द्धन, प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के कार्यान्वयन, प्रदूषण नियंत्रण में प्रशिक्षण प्रौद्योगिकियों, ठोस अपशिष्टों के प्रबन्ध तथा मौसम विज्ञान जैसे क्षेत्रों से संबंधित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

SCHEME FOR SMALL AND MEDIUM FARMERS IN HILL AREAS

8975. SHRI BALAK RAM : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether there are any schemes for small and medium farmers in hill areas in regard to development of agriculture and irrigation or lift irrigation;

(b) if so, the salient points thereof; and

(c) the number of schemes approved for snowy areas in Himachal Pradesh, out of them, particularly for Simla and Kashmir districts and the names of schemes proposed to be approved for these places in the coming year?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) The important programmes which benefit the Small and Medium Farmers are: (i) Development of Crop Husbandry, minor irrigation, Animal husbandry, Dairying, Co-operation, Area Development and medium irrigation.

(c) Planning Commission do not determine district-wise distribution of schemes/allocation of the approved outlays for the State, which is done by the State Government.

जांच का काम कर रहे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश

8976. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता सरकार ने अपने शासन के पहले वर्ष में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के किन्हीं सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को जांच करने या पूछताछ करने की कोई विशेष जिम्मेदारी सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसे कितने जांच आयोग अभी तक काम कर रहे हैं और उनके कब तक समाप्त होने की आशा है; और

(घ) इन सभी जांच आयोगों पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत जांच का काम सौंपा गया है ।

(1) **न्यायमूर्ति श्री जे० सी० शाह :** उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधिपति । वे, आपातस्थिति के दौरान प्राधिकार के दुरुपयोग, अनाचार तथा ज्यादतियों आदि की जांच करने के लिए, जांच आयोग के अध्यक्ष हैं ।

(2) और (3) **श्री पी० जे० रेड्डी :** उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश । वे हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री बंसीलाल के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए, जांच आयोग के अध्यक्ष हैं । वे, नागरवाला कांड में जांच आयोग के भी अध्यक्ष हैं ।

(4) **न्यायमूर्ति श्री जे० एन० विमद लाल :** आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश । वे, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए, जांच आयोग के अध्यक्ष हैं ।

(5) **न्यायमूर्ति श्री ए० एन० ग्रोवर :** उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश । वे कर्नाटक के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए, जांच आयोग के अध्यक्ष हैं ।

(ग) उपर्युक्त सभी पांचों जांच आयोग कार्य कर रहे हैं और श्री जे० आर० विमदलाल की अध्यक्षता वाले आयोग को छोड़कर, जिसकी कार्य अवधि 30-9-78 तक बढ़ा दी गई है, उनकी मौजूदा कार्य अवधि 30-6-78 को समाप्त हो जाएगी ।

(घ) 28-2-78 तक इन पर कुल व्यय 41,91,386 रुपए है ।

कृत्रिम अंगों का बनाया जाना

8977. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्टिफिशियल लिम्ब मेन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने अक्तूबर 1976 से उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976-77 और 1977-78 के उत्पादन और बिक्री सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं;

(ग) आर्टिफिशियल लिम्ब मेन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा निर्मित कृत्रिम अंगों के उत्पादन को लोकप्रिय बनाने और उनकी बिक्री के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं;

(घ) क्या सरकार ने कृत्रिम अंगों को किसी अन्य देश को निर्यात करने अथवा उनको विभिन्न राज्यों में सरकारी अस्पताल के माध्यम से वितरित करने के लिए कोई प्रयास किये हैं; और

(ङ) क्या आर्टिफिशियल लिम्ब मेन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के पूंजीगत परिव्यय और मशीनरी आदि में लगाई गई पूंजी और वर्तमान देयता से पता चलता है कि उसे बहुत घाटा हो रहा है, यदि हां तो, वित्तीय दृष्टि से सक्षम बनाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिये जाते हैं:—

	उत्पादन	बिक्री
	(आंकड़े लाख रुपये में)	
(i) 1976-77 (छह महीनों का प्रचालन)	13.58	4.98
(ii) 1977-78	41.00	15.36

(ग) आर्टीफिशियल लिम्ब्स मेन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया (ए लिमको) के उत्पादों की बिक्री के संवर्धन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं ।

(i) रोगी व्यक्ति द्वारा स्वयमेव ही इन्हें खरीदा तथा फिट नहीं किया जा सकता है अत: उत्पादों के इस प्रकार के स्वरूप पर विचार करते हुए एलिमको ने संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से समस्त देश में अवयव फिट करने के केन्द्रों की स्थापना करने का कार्य हाथ में लिया है । ये केन्द्र देश में विभिन्न सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में स्थापित किये गये हैं । ये केन्द्र जरूरतमंद रोगियों को एक सुविधाजनक स्थान पर अवयव फिट करने की सेवाएं प्रदान करने के अलावा तकनीशियनों को प्रशिक्षण भी देते हैं, बिक्री केन्द्र का कार्य करते हैं तथा कारपोरेशन के स्रोतों में वृद्धि करते हैं । इस समय 5 क्षेत्रीय अवयव फिटिंग केन्द्र तथा क्षेत्रीय 8 अवयव फिटिंग केन्द्र कार्य कर रहे हैं । कुछ और केन्द्रों में शीघ्र ही कार्य होने लगेगा ।

(ii) एलिमकों के चालू हो जाने से भारत के बाजार में सर्वप्रथम बहुत प्रकार के कृत्रिम अवयव आदि मिलना प्रारम्भ हो गया है अतएवं संवर्धन अभियान के रूप में उत्पादों का विज्ञापन भी किया गया है । इसके अलावा एलिमकों ने अपने उत्पादों के प्रदर्शन हेतु कुछ प्रदर्शीयों में भी भाग लिया है ।

(iii) मिलिटरी तथा सिविल अस्पतालों के माध्यम से सरकारी स्तर पर भी एलिमकों के उत्पादों उपयोग करने हेतु बढ़ावा दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(घ) एलिमकों के उत्पादों का निर्यात करने की संभावनाओं की खोज करने हेतु भी सामूहिक प्रयास किये जा रहे हैं । विदेश के खरीदारों से मिली अनेक पूछताछों पर भी कार्यवाही की जा रही है ।

सरकारी अस्पतालों के माध्यम से एलिमकों के उत्पादों के वितरण के सम्बन्ध में कृपया ऊपर भाग (ग) में दिया गया उत्तर देखें ।

(ङ) कारपोरेशन की अंतर्नियमावली में यह प्रकल्पना भी की गई है कि वह जरूरतमंद लोगों विशेषकर विकलांगों, रक्षा कर्मचारियों, अस्पतालों तथा अन्य कल्याण संस्थाओं को युक्तियुक्त लागत पर कृत्रिम अवयव, इनके सहायक सामान तथा हिस्सेपुर्जों की सप्लाई करेगा । इस मूल लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर तथा यह देखते हुए कि कारपोरेशन के संचालन को अभी कुछ ही समय हुआ है, एक सुदृढ़ बिक्री श्रंखला की स्थापना करना अभी शेष है, कारपोरेशन को 1976-77 में 13.35 लाख रुपये की नकद हानि उठानी पड़ी है । वर्ष 1977-78 में 32.33 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है । तथापि बिक्री में होने वाली प्रगति से यह प्रत्याशा है कि कारपोरेशन हानियों को काम करने की स्थिति में हो जायेगा । विभिन्न अभ्युपायों के माध्यम से भी बिक्री बढ़ाने तथा उत्पादन लागत कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

अल्प संख्यक आयोग तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में संविधान के अनुछेदों में संशोधन करने का प्रस्ताव

8978. **श्री हरि विष्णु कामत**
श्री मही लाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और अतिरिक्त शक्ति देने के लिए सरकार का विचार संविधान के अनुच्छेद 338 और 350 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का संसद् में विधेयक कब पेश करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) सरकार प्रयत्नशील है कि संसद के इसी सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाए जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 तथा 350 ख का संशोधन किया जाए जिससे कि अल्पसंख्यक आयोग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रस्तावित आयोग को संवैधानिक आधार मिल सके।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा स्टील ट्यूबों का उत्पादन

8979. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या उद्योग मंत्री 23 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4146 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील पाईप तथा ट्यूबें बनाने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों की वार्षिक निर्धारित क्षमता का एकक-वार ब्यौरा क्या है और उन उपक्रमों के नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक का वास्तविक वार्षिक उत्पादन कितना था;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे एककों के नाम तथा पते क्या हैं जो अन्य सरकारी क्षेत्र के इस्पात एककों से ऐसे मध्यवर्ती तैयार इस्पात उत्पाद खरीद कर रहे हैं जिसे पाईपों तथा ट्यबों में परिवर्तित किया जा सकता है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के एककों से उसकी प्रति वर्ष कितनी मात्रा में खरीद की जाती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2246/78]**

(ग) वेल्ड की हुई पाइपें इस्पात की मूल कच्ची सामग्री जैसे हाटरोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्ट्रिपों और स्केल्प से बनाई जाती है। बिना जोड़ वाली पाइपे स्टील ब्लूम्स से बनाई जाती है। इस्पाती पाइपों और ट्यूबों के उत्पादन के लिए मध्यवर्ती इस्पात उत्पादों की आवश्यकता नहीं होती है।

(घ) लागू नहीं होता, क्योकि किसी भी मध्यवर्ती उत्पाद की आवश्यकता नहीं होती है।

SELF-SUFFICIENCY IN GUERILLA WARFARE

8980. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 272 regarding self-sufficiency in Missiles on 22-2-1978 and state :

(a) whether we have achieved self-sufficiency in Guerilla Warfare training, and if so, whether it is a fact that monkeys, horses, dogs etc. are used by the army and if so, the names of Army units which use them indicating the species of animals used in the Army, and to what extent;

(b) whether there are some civilian organisations engaged in para-military activities and whether these can be utilised in the army at the time of need and danger posed to the country and if so, the number and names of such organisations in the country and whether Government provide some assistance to them and if so, the nature thereof ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) Training in guerilla warfare and counter-insurgency is part of the normal training in the Army. The level of instructions is so designed as to take into account our defence needs.

As regards employment of animals, dogs are utilised in connection with patrolling, guarding of important installations and for tracing of saboteurs. Horses are used for

riding and mules for transportation of stores and equipment. Monkeys are not utilised in the Army. The animal units in the Army comprise the President's Body Guard, a cavalry regiment, Remount and Veterinary Corps, Army Dog Units and Animal Transport Units.

(b) Para-military forces maintained by the Government also have a role in the defence of the country alongside other armed forces. It will not be in public interest to discuss the details.

WORK ENTRUSTED TO DIRECTOR, J.M.S. R.R.E., KANPUR

8981. SHRI DAYARAM SHAKYA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the Director, JMS R.D.E. Kanpur has been entrusted with the work of more than one post as a result of which he is not able to look after the work of Research Development Organisation (DRDO) resulting in dislocation of work on large scale therein; and

(b) if so, the action by Government to appoint different persons on differents posts there ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No, Sir. The Director, Defence Material and Stores, Research and Development Establishment, Kanpur has *not* been entrusted with the work of more than one post.

(b) In view of (a) above. the question does not arise.

रक्षा उत्पादन की वस्तुओं की सरकारी क्षेत्र से खरीद

8982. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र से वस्तुओं के लिए निविदा दर आमंत्रित करने में क्या मापदण्ड अपनाया जाता है; और

(ख) लघु क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन कार्य में लगे लघु एककों और स्वयं रोजगार में लगे इंजीनियरों को क्या प्रोत्साहन दिया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) **रक्षा पूर्ति विभाग** रक्षा पूर्ति विभाग मुख्यतः उन्हीं मदों के उत्पादन का कार्य करता है जिसका संबंध रक्षा विकास से होता है और जो पूर्णतया रक्षा की मदें होती हैं। इन के बारे में स्थिति इस प्रकार है।

2. रक्षा पूर्ति विभाग रक्षा उत्पादन मदों को निजी क्षेत्र के कारखानों से मुख्यतः सीमित टेंडरों के आधार पर प्राप्त करता है । इस विभाग के अधीन तकनीकी समिति उन फर्मों की सूची रखती है जो विभिन्न प्रकार के स्टोरों के विकास और निर्माण करने की क्षमता रखती हैं। इन सूचियों को लगातार अदयतन किया जाता है। तकनीकी समितियों में बहुत सी लघु यूनिटों के नाम दर्ज हैं।

3. जिन लघु उद्यमियों के पास क्षमता होती है उन्हें टेंडर जारी किए जाते हैं और उन्हें ठेके बड़ी मात्रा में दिए गए हैं। टेंका दे दिए जाने के बाद भी तकनीकी समितियां विकास चरण में और बड़ी मात्रा में उनका उत्पादन करने में तकनीकी सलाह एवं मार्गदर्शन करती हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में पंजीकृत लघु यूनिटों को सिक्यूरिटी जमा कराने से छुट होती हैं रक्षा पूर्ति विभाग "लेखागत" अदायगी के रूप में वित्तीय सहायता दे कर उपयुक्त मामलों में स्टोरों का निर्माण करने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा उपकरण प्राप्त करने में सहायता भी करता है । स्वनियोजन इंजीनियरों द्वारा चलाई जाने वाली लघु यूनिटों को लघु यूनिटों के समान समझा जाता है ।

पूर्ति विभाग/पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय

4. आम उपभोग की मदों को पूर्ति विभाग तथा पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है । उनके बारे में स्थिति नीचे दी गई है।

5. स्टोरों की किस्म और मात्रा के आधार पर सभी क्षेत्रों से अर्थात सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र, से मदों के लिए भाव मंगाने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया जाता है :—

(1) विज्ञापन द्वारा
(2) सीमित टेंडर द्वारा
(3) एकल टेंडर द्वारा

6. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि समय हो तो नियमानुसार 50,000 रु० से ऊपर की सभी मांगों के लिए इंडियन ट्रेड जर्नल में विज्ञापन दिया जाता है । सीमित टेंडर केवल उन्हीं फर्मों को जारी की जाती है जो पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के पास रजिस्टर होती हैं, और/अथवा जिन्होंने पहले सप्लाई की हो और पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की अनुमोदित सूची में जिनका नाम होता है । यह तरीका अति-शीघ्रता वाले मामलों में अपनाया जाता है अथवा उन मामलों में जहां पूर्ति करने के सभी स्रोतों की जानकारी होती है । एकल टेंडर उन मामलों में जारी की जाती है जिनमें मदें स्वामित्व प्रकार की होती हैं और कई अन्य फर्म भाव देने की स्थिति में नहीं होती हैं; ऐसे मामलों में स्वामित्व वस्तु. प्रमाण-पत्र भी देना होता है।

7. लघु उद्योग यूनिटों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :—

(1) बहुत सी मदों को केवल लघु यूनिट क्षेत्र से ही खरीदा जाता है ।

(2) जिन मदों को बड़ी यूनिटों और लघु यूनिटों से खरीदा जा सकता है उन मामलों में लघु यूनिटों को बड़ी यूनिटों के ऊपर 15 प्रतिशत तक मूल्य अधिमान दिया जाता है, प्रत्येक मामले में वास्तविक मात्रा गुणावगुण के आधार पर निश्चित की जाती है ।

(3) लघु उद्योग यूनिटों के पंजीयन का कार्य एक ही स्थान पर पंजीयन योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को सौंप दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में पंजीयन पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय में पंजीयन की तरह ही है ।

(4) जिन मदों के बारे में लघु उद्योग यूनिटें कार्य लेना चाहती हैं उनके लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को लघु उद्योग यूनिटों में बांटने के लिए कई टेंडर सेट दिए जाते हैं ।

8. नियोजित इंजीनियरों द्वारा चलाए जाने वाली लघु उद्योग यूनटों को भी उपयुक्त लाभ दिए जाते हैं ।

मोहन ओर्टमान विदेशी सहयोग

8983 **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोहन ओर्टमान विदेशी सहयोग को कब मंजूरी दी गई थी ;

(ख) टूल्स, जिग्स, फिक्स र्स, रायल्टी, तकनीकी ज्ञान आदि के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी; और

(ग) कौन-सी वस्तुएं तथा किस अकार की मशीनें बनाने के लिये उन्हें लाइसेंस दिया गया और कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी थी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मति आभा मयती) : (क) : विदेशी सहयोग 18-6-1973 को मंजूर किया गया था ।

(ख) कम्पनी को ड्राइंग्स, डिजाइन्स और डाक्यूमेन्टेशन आदि के आयात के लिए विदेशी सहयोगकर्त्ता को 7.5 लाख रु० का एक मुश्त भुगतान करने और उत्पादों कारखाने से निकलते समय के शुद्ध मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से रायल्टी का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी, दोनों भारतीय करों के अधीन थे । इसके अलावा, कुल 31,70,920 रु० मूल्य के पूंजीगत सामान जिसमें मशीनों की विभिन्न वस्तुएं शामिल है, के आयात की अनुमति दी गई थी।

(ग) पार्टी को 25 नग प्रतिवर्ष की क्षमता तक सम्पूर्ण आटोमेटिक बाटलिंग प्लाटों (बोतल वाशर, फिलर और इन्टरमिक्स और सहायक समान सहित) के निर्माण के लिए लाइसेंस दिया गया था।

जनजाति क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन सुधारना

8984. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार जन-जातीय व्यक्तियों तथा हरिजनों के हितों के संरक्षण के लिये राज्यों के जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रशासकीय ढांचे के माध्यम से इन समुदायों के संरक्षण के लिये राज्यों एवं केन्द्र द्वारा क्या कदम पहले उठाये जा चुके हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) पुलिस प्रशासन राज्य सरकारों का विषय है। फिर भी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के विचार से केन्द्रीय सरकार राज्यों सरकारों को समय-समय पर, उपयुक्त सुझाव देती रही है। ऐसे एक सुझाव पर कार्यवाई करते हुए, कई राज्यों में अनसूचित जातियों तथा जनजातियों की शिकायतों की तुरन्त जांच करने के लिए पहले से ही सैल बनाये गये हैं। सरकार द्वारा हाल में नियुक्त राष्ट्रीय पुलिस आयोग भी जांच करेगा और पुलिस द्वारा समाज के ऐसे कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण के लिये उपायों का सुझाव देगा।

आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानों द्वारा शोषण

8985. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय का ध्यान आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानों द्वारा आदिवासियों के शोषण की ओर दिलाया है;

(ख) ऐसी दुकानें बन्द कर देने से राज्यों को होने वाले राजस्व के घाटे के बारे में उस मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उनके मंत्रालय ने तुरन्त नीति निर्णय लेने और उसे लागू करने के लिए सभी सम्बद्ध राज्यों और मंत्रालयों के समन्वय के लिए क्या कार्य किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्र 1977-78 के वास्तविक आवकारी राजस्व को आधार मानते हुए, यह समझता है कि उसे 1978-79 से आरम्भ होने वाले प्रत्येक वर्ष में राज्यों को आवकारी राजस्व की हानि के 50 प्रतिशत तक की क्षतिपूर्ति करनी होगी। इसमें वो सम्भावित वृद्धियां शामिल नहीं होंगी, जो आवकारी राजस्व, प्रवर्तन की लागत इत्यादि में हो सकती हैं।

(ग) गृह मंत्रालय इस नीति के कार्यान्वयन के लिए समाज कल्याण विभाग और राज्यों के साथ संपर्क करता है।

आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानों का समाप्त किया जाना

8986. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों से आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में शराब की दुकान बन्द करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के इस निदेश का किन-किन राज्यों ने उत्तर दिया है;

(ग) वर्ष 1978-79 में अब तक राज्यवार कुल कितनी दुकानें खोली गई

(घ) सम्बद्ध राज्यों द्वारा शराब की दुकाने पूरी तरह बन्द किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस संबंध में केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) राज्यों से कहा गया है कि आदिवासियों की घनी आबादी वाले क्षेत्र में ठेके पर शराब बेचने की प्रणाली को समाप्त किया जाए।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और अद्यतन स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

बस यात्रियों को परेशानियां और कठिनाइयां

8987. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में बस यात्रियों को विशेषकर महिलाओं, बड़े लोगों और बच्चों को निम्नलिखित कारणों से होने वाले असुविधा और कठिनाइयों की जानकारी है,

(एक) डी० टी० सी० मार्गों पर बसों का समय पर न चलना;

(दो) बसों का निर्धारित बस स्टाप पर न रुकना और लोगों का बसों के पीछे दौड़ना;

(तीन) बहुत कम समय के हाल्ट और बसें तेज चलाये जाने के कारण लोगों को बसों पर न चढ़ने देना;

(चार) कुछ बसों पर बस रूट के बोर्डों का न लगाया जाना;

(पांच) ड्राइवरों और कण्डक्टरों के रवैये पर निगरानी न होना; और

(ख) यदि हां, तो बस यात्रियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां।

(ख) नई बसों को खरीद कर दिल्ली परिवहन निगम की वहन क्षमता में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। ड्राइवरों को बसों की नियत स्टापों पर रोकने और सही गन्तव्य बोर्डों को लगाने के अनुदेश जारी किए गए हैं। महत्वपूर्ण स्टापों पर व्यस्ततम समय में निगम के निरीक्षण कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। ताकि यातायात की शीघ्रता से और व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। निगम ने एक विशेष दस्ते का गठन किया है जो कि परिचालन क्षेत्र में ड्राइवरों की दोषी आदतों का पता लगाते हैं तथा स्थल पर ही उनको सुधारने का उपाय करते हं। बसों में सुधार लाने और रखरखाव की भी कार्यवाही की जा रही है।

ड्राइवरों के दुर्व्यवहार के खिलाफ शिकायत सैल स्थापित किया जाना

8988. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्राइवेट आटोरिक्शा और टैक्सियों के ड्राइवरों द्वारा लापरवाही से तेज रफतार से गाड़ी चलाने और दुर्व्यवहार करने के खिलाफ नगर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर और यातायात मुख्यालय में भी शिकायत सैल स्थापित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि डी० टी० सी० रूटस पर बसों के ऐसे ड्राइवरों और कण्डक्टरों के खिलाफ ऐसी शिकायतों के लिए इस प्रकार के सैल स्थापित नहीं किए गये हैं जो उनके पास पड़ी शिकयत पुस्तक मांगने पर प्रायः बिगड़ जाते है, और;

(ग) यदि हां, तो डी० टी० सी० बसों के यात्रियों की शिकायत दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) परिवहन निदेशालय दिल्ली के मुख्य कार्यालय में एक शिकायत सैल की स्थापना की गई है। यह सैल जो चौबीस घंटे काम करता है दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में चलने वाली सभी मोटर गाड़ियों के ड्राइवरों संवाहकों के विरुद्ध शिकायतें सुनता है।

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा एक शिकायत सैल रेलवे स्टेशन आई० एस० बी० टी० कनाट प्लेस, चांदनी चौक और यातायात पुलिस मुख्यालय में भी शिकायत सैल खोले गये हैं जो तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने तथा दिल्ली में ओटो रिक्शाओं व टैक्सिओं के ड्राइवरों के दुर्व्यवहार की शिकायतों को प्राप्त करता है।

(ख) और (ग) यह सच नहीं है। दिल्ली परिवहन निगम ने ड्राइवरों और संवाहकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को सुनने के लिए प्रबंध किया है जो उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करता है। जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है, संबंधित जोन के सहायक महाप्रबंधक (यातायात) को जांच करने और दोषी अमले के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए कहा जाता है।

जी० एन० पी० में से रक्षा पर व्यय

8989. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में जी० एन० पी० की कितने प्रतिशत धनराशि रक्षा पर व्यय की गई;

(ख) क्या गत दशाब्दी में व्यय कम होता गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) गत पांच वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जी० एन० पी०) की प्रतिशतता के रूप में, रक्षा व्यय 3.1 प्रतिशत से 3.8 प्रतिशत के बीच रहा है।

यद्यपि वेतनों, लागत और मूल्यों जैसी आम मदों और अधिकांश अन्य मदों पर व्यय के रूप में रक्षा व्यय में गत एक अथवा दो दशकों में निरपेक्षरूप से वद्धि हुई है परन्तु सकल केन्द्रीय बजट के अनुपात में इस व्यय में कमी हुई है । पिछले दशक के कुल केन्द्रीय बजट में से रक्षा व्यय की प्रतिशतता 1968-69 में 32.9 प्रतिशत से घटकर 1977-78 में 22.8 प्रतिशत हो गयी है। तशत

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

8990. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री सड़क दुर्घटनाएं और उनके शिकार हुए लोगों को मुआवजे के बारे में 29 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4789 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975—76 में तथा मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1977 के अधिनियमन के पश्चात् 1976—77 में, अलग अलग, दिल्ली में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इसी अवधि में मुआवजे के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1977 के अधिनियम के पश्चात् भी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) 1975—76 तथा 1976—77 वित्तीय वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है ? परन्तु कलैन्डर वर्ष 1975, 1976 और 1977 में दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः 3328, 3850, 4032 थी ।

(ख) 1975—76 और 1976—77 के दौरान क्रमशः 1409, 735 रु० तथा 1705077 रु० ।

(ग) तेज तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने तथा नशे में गाड़ी चलाने के जर्माने में वृद्धि के बारे में मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, 1977 के उपबन्धों में क्रमशः 1 सितम्बर, 1977 तथा 1 मार्च, 1978 में लागू किए गये ।

सड़क दुर्घटनाओं पर इनके प्रभाव का अभी अनुमान लगाना समय पूर्व है ।

(घ) (i) मोटर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि ।

(ii) धीमी गति से चलने वाली गाड़ियों की गति में वृद्धि ।

(iii) नियमित यात्रियों की असाधारण वृद्धि और जिसके फलस्वरुप लोक परिवहन सेवा में खतरनाक अत्यधिक यात्री चढ़ाने की समस्या से निपटने के लिए रोक परिवहन सेवाओं की अपर्याप्तता ।

(iv) यातायात पुलिस की अपर्याप्तता ।

अंदमान और निकोबार में उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी और परिवहन राज सहायता

8991. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में उद्योग स्थापित करने के लिए पिछड़े जिले के रूप में दी जा रही पूंजी और परिवहन राजसहायता की जानकारी सरकार को है; यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि की मांग की गई है और उद्योगवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है। तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसी कुल कितनी धनराशि की मांग की गई है जो अब तक दी नहीं गई है और जिसके बारे में निर्णय नहीं किया गया है और कब से अनिर्णीत पड़ा है और न दिये जाने के क्या कारण और ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ग) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में स्थापित किए गए नये एकक पूंजीगत राज सहायता और परिवहन सहायता पाने के लिए अर्ह है। इन योजनाओं के अधीन राजसहायता की मंजूरी राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाती है और इसका वितरण उद्योग निदेशक द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सरकार उद्योग निदेशक द्वारा वितरित की गई राजसहायता की प्रतिपूर्ति करती है।

पूंजीगत राजसहायता योजना के अधीन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों के लिए अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा मांगी गई 36083 रु० की राशि अब तक मंजूर की जा चुकी है :—

क्र० सं०	एकक का नाम	राशि (रुपयों में)
1	2	3
1.	मै० नीरा फ्लूर एण्ड राइस मिल्स	1399
2.	मै० कमला लक्ष्मी राइस मिल्स	1828
3.	मै० वेंकटेश्वर राइस एण्ड फ्लूर मिल्स	832
4.	मै० अंदमान मुरास्	1136
5.	मै० विगनेश्वरा ब्रिक वर्क्स	2276
6.	मै० ज्योति प्रिंटर्स	4297
7.	मै० अंदमान स्टेनलैस स्टील प्रोडक्टस	3138
8.	मै० साव मिल	16916
9.	मै० ओर्नामेंटल फर्नीचर वर्क्स	2474
10.	मै० ए० एन० एस० बाकरी	1787
	योग	36083

पूंजीगत राजसहायता और परिवहन सहायता का और कोई दावा केंद्रीय सरकार के पास अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

सेंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड की एक कोयला खान सिरका सीम आफ गिड्डी का बन्द होना

8992. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मार्च, 1978 को गैस के कारण सेंट्रल कोलफील्डस एम्पलायज लिमिटेड की एक कोयला खान सिरका सीम आफ गिड्डी बंद हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी राशि का घाटा हुआ और गैस के खतरे को दूर करने के लिए या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या वायु निकास प्रणाली (वेंटीलेशन) के दोषयुक्त होने के कारण गैस जमा हो गई थी और श्रमिकों के आग्रह के बावजूद इसके "वेंटीलेशन मैनेजर" ने ढाई महीने तक अपने कार्य की उपेक्षा की ; और

(घ) क्या सरकार श्रमिकों के प्रतिनिधियों को सम्बद्ध करते हुए इस घटना के बारे में विस्तृत जांच करायेगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) 16 मार्च, 1978 को प्रारंभिक अवस्था में ही स्वतः उत्पन्न आंच का पता लग जाने पर सेंट्रल कोलफील्डस लि० के अधीन गिड्डी "ए" कोलियरी की सिरका सीम का एक छोटे डीपिलरिंग पैनल को खान सुरक्षा महानिदेशालय के कर्मचारियों की जांच के बाद 17 मार्च, 1978 को सील बंद कर दिया गया था । उक्त पैनल दो हफ्ते बाद खत्म होने वाला था और केवल 3750 टन के करीब कोयला बचा था । उसके खुदे स्थानों पर गैस इकट्ठी नहीं हुई थी तथा रोशनी और हवादानों में गड़बड़ी नहीं थी । डीपीलरिंग काम में आंच का स्वतः उत्पन्न होना सामान्य बात है ।

डी० वी० सी० धनबाद (बिहार) के मछली पालन कार्यालय के आगे मछेरों का प्रदर्शन

8993. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1978 में डी० वी० सी० के मछली पालन कार्यालय, पंचेट, धनबाद (बिहार) के सामने मछेरों ने प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां । पंचेत ने मीन-उद्योग कार्यालय के सामने स्थानीय मछेरों ने 4 मार्च, 1978 को प्रदर्शन किया था ।

(ख) स्थानीय मछेरों ने यह मांग की थी कि उन्हें दामोदर घाटी निगम के जलाशय में मछली पकड़ने की और पकड़ी गई मछली स्वयं ले लेने की अनुमति दी जाए ।

दामोदर घाटी निगम के मीन-उद्योग अधिकारी ने स्थानीय मछुआरों की मांग के बारे में 10 मार्च, 1978 को उनके साथ विचार-विमर्श किया था । उनको यह स्पष्ट कर दिया गया था कि निगम मछली पकड़ने का कार्य विभागीय तौर पर करता है और जिन स्थानीय मछेरों को निगम इस कार्य में लगाता है उन्हें वह जाल और नावें देता है तथा पकड़ी गई मछली के आधार पर उन्हें नियत दरों पर अदायगी करता है । व्यक्तियों को भी परमिट के आधार पर इस शर्त पर मछली पकड़ने की अनुमति दे दी जाती है कि वे जो मछली पकड़ें उसे वे निगम के पास जमा करा दें और निर्धारित दरों पर अदायगी ले लें । उनको यह भी सूचित कर दिया गया था कि निगम स्थानीय मछेरों को इस शर्त पर सुविधायें देने के लिए इच्छुक है कि वे सहकारी समितियाँ बना लें और मछली पकड़ने के पट्टे निगम से प्राप्त कर लें ।

पिक्चर ट्यूबों का आयात

8994. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **इलेक्ट्रोनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977—78 में कितनी पिक्चर ट्यूबों का आयात किया गया;

(ग) क्या पिक्चर ट्यूबों का देश में निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) देश में दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की मांग और उनके उत्पादन के बीच जिस सीमा तक अंतर है, उसे पूरा करने लिये आयात का सहारा लिया जाता है ।

(ख) 1,36,296 पिक्चर ट्यूबें ।

(ग) तथा (घ) दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण मेसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड तथा मैसर्स टेलीट्यूब प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पहले से ही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इस वस्तु के निर्माण के लिए निम्नलिखित कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं : मेसर्स पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रोनिकी औद्योगिक विकास निगम; मैसर्स अपट्रान आनन्द लिमिटेड, तथा मैसर्स एशियन इलेक्ट्रोनिक्स, तथा साथ ही मैसर्स पंजाब औद्योगिक विकास निगम को एक आशय पत्र जारी किया गया है।

WIDENING OF BRIDGES ON THE NATIONAL HIGHWAY FROM PORBANDAR TO JETPUR

†8995. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) since when the work of widening the narrow bridges on the National Highway from Porbandar to Jetpur in the Saurashtra region of Gujarat and carrying on repairs on the road going on and whether it is likely to be completed before the onset of ensuing rainy season and if so, by what time;

(b) the extent to which the work is remaining to be done in this regard and time by which the remaining bridges will be widened and the construction work will be completed; and

(c) the number of narrow bridges to be widened during 1978-79 and how much work of road construction will be done during the period and the expenditure likely to be incurred thereon ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) to (c). The work of widening/reconstruction of narrow and weak bridges on N. H. 8-B from Porbandar to Jetpur is going on since fourth Plan. Since then out of 108 substandard bridges in this section, 38 have been completed, 21 are in progress and the remaining bridges will be taken up gradually for widening/reconstruction as per availability of funds keeping in view the all-India requirements.

No other improvement work is in progress on this length of the National Highway which in most of its length has a 2-lane carriageway.

जामनगर जिले के बालाचडी में सैनिक स्कूल का कार्यकरण

8996. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के जामनगर जिले के बालाचडी में सैनिक स्कूल कब से कार्य कर रहा है तथा इस स्कूल में इसके खुलने से अब तक प्रति वर्ष कितने छात्रों ने शिक्षा पाई तथा इनमें इस राज्य के छात्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इस स्कूल में किस आयु के बच्चों को दाखिला दिया जाता है तथा बच्चों को प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितनी और किस प्रकार की सहायता दी जाती है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बच्चों को कोई विशेष सहायता दी जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस स्कूल में किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है और क्या उस स्कूल में शिक्षा पूरी होने के पश्चात् आगे शिक्षा देने का कोई प्रबंध है और यदि हां, तो कहां तक तथा यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कितने वर्ष का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) यह सैनिक स्कूल 1961 में जामनगर में खोला गया था और मार्च, 1965 में इसे बालाचडी ले जाया गया। स्कूल खुलने के समय से लेकर इस स्कूल के कुल छात्रों की वर्षवार संख्या तक उनमें से गुजरात के छात्रों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) इस समय प्रवेश के वर्ष में 2 जुलाई को जिन बालकों की आयु 10 से 11 वर्ष के बीच होती है वे इस स्कूल में प्रवेश पाने के पात्र होते हैं बशर्ते कि वे प्रवेश परीक्षा में सफल हों। शिक्षा वर्ष 1979--80 से प्रवेश आयु 10 से 12 वर्ष होगी। जिन बालकों के माता-पिता या अभिभावक मूलरूप से गुजरात राज्य के

निवासी हैं वे राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई छात्रवृत्ति के पूरे अथवा आधे अंश को पाने के हकदार हैं । छात्रवृत्ति माता पिता अभिभावकों की आय पर निर्भर करती है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

माता-पिता/अभिभावक की कुल आय	छात्रवृत्ति की दर
1	2
1. 775 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं	पहले वर्ष के लिए 4000 रुपए प्रतिवर्ष की दर पर पूर्ण-छात्रवृत्ति (जिसमें 500 रुपए का परिधान भत्ता भी शामिल है और परवर्ती वर्षों के लिए 3750 रुपए प्रति वर्ष (जिसमें 250 रुपए का परिधान भत्ता भी शामिल है) ।
2. 776 रुपए और 1550 रुपए प्रतिमाह के बीच	पहले वर्ष के लिए 2000 रुपए प्रति वर्ष की दर पर आधी छात्रवृत्ति (जिसमें 250 रुपए का परिधान भत्ता भी शामिल है) और बाद के वर्षों के लिए 1875 रुपए प्रतिवर्ष (जिसमें 125 रु० का परिधान भत्ता भी शामिल है) ।

इस छात्रवृत्ति को पहले वर्ष के बाद भी जारी रखना छात्र के सन्तोषजनक कार्य पर निर्भर करता है । इस स्कूल में यदि किसी अन्य राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के छात्रों को भी प्रवेश दिया जाए तो वे उन राज्यों द्वारा स्वीकृत की गई छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे बशर्ते कि उन पर भी उपर्युक्त आय-कसौटी लागू होती हो । रक्षा सेवा कार्मिकों के बच्चों को इस स्कल में प्रवेश दिये जाने पर रक्षा मंत्रालय द्वारा भी कुछ छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं ।

(ग) कक्षा 6 में कुल स्थानों का 15 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों के लिए और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाता है । सैनिक स्कूल बालाचडी में प्रवेश दिये गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए गुजरात सरकार पहले वर्ष में 500 रूपए और परवर्ती वर्षों में 200 रु० प्रति वर्ष के हिसाब से अतिरिक्त अनुदान देती है ।

(घ) सैनिक स्कूलों में शिक्षा के 10+2 प्रणाली के आधार पर कक्षा 12 तक शिक्षा दी जाती है। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने के पात्र बनने पर सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होती है सैनिक स्कूलों में शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों की आगे की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण से सैनिक स्कूल का कोई संबंध नहीं है ।

विवरण

सैनिक स्कूल, बालाचडी में अध्ययन कर रहे गुजरात के छात्रों की संख्या

वर्ष	छात्रों की कुल संख्या जिन्होंने सैनिक स्कूल, बालाचडी में शिक्षा प्राप्त की	गुजरात के छात्रों की संख्या
1	2	3
1961	82	75
1962	135	100
1963	194	151
1964	232	193
1965	251	212

1	2	3
1966	271	224
1967	337	241
1968	375	242
1969	325	217
1970	392	232
1971	367	213
1972	417	291
1973	449	348
1974	438	353
1975	437	385
1976	498	451
1977	499	489
1978	498	488

थाना जिला (महाराष्ट्र) में "राय" में साल्ट ग्राफिस बिल्डिंग का उपयोग न किया जाना

8997. **श्री ग्रार० के० महालगी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाना जिला (महाराष्ट्र) में "राय" में साल्ट आफिस बिल्डिंग का काफी समय से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं और

(ग) क्या वह इमारत उस क्षेत्र के आसपास के नमक उत्पादकों को कार्यालय के लिये उपयुक्त नहीं होगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती ग्राभा मयती) : (क) जी हां ।

(ख) 2-3-1976 से 2-2-1978 के बीच के समय के अतिरिक्त, जब कि भवन का एक स्कूल चलाने के लिये प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी, यह भवन 15-2-1973 से खाली पड़ा है । कार्यालय तथा फैक्टरी कार्यालय का स्थान से परिवर्तन किये जाने के कारण यह भवन खाली है ।

(ग) इस भवन में नमक प्रयोग शाला स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

नमक उत्पादक भूमि का हस्तांतरण बिक्री या गिरवी रखे जाने पर प्रतिबन्ध

8998. **श्री ग्रार० के० महालगी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नमक उत्पादक भूमि के हस्तांतरण, गिरवी रखने या बिक्री पर कोई प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और उनके ऐसे होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन प्रतिबन्धों के कारण नमक उत्पादकों को उनके न्यायोचित दावों से वंचित रखा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या समाधान है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती ग्राभा मयती) : (क) और (ख) पट्टा करार की शर्तों के अनुसार नमक विभाग के नमक भूमि के पट्टाधारियों को नमक बनाने के लिये आबंटित की गई भूमि के पट्टाधारिता अधिकारों—एकक पट्टाधारी के नाते हस्तांतरण के लिये—उपपट्टा बंधक रखने, आदि के लिये भारत सरकार (नमक आयुक्त) की पूर्वस्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है ताकि पट्टेदार द्वारा भूमि का दुरुपयोग न किया जा सके और पट्टेधारी द्वारा इस प्रकार के भूमि के अप्राधिकृत उपयोग किये जाने से सरकार को कोई भी हानि अथवा क्षति न हो।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नमक का न खरीदा जाना

8999. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों की अवधि में महाराष्ट्र के थाना जिले के कितने नमक उत्पादकों का नमक खरीदे जाने के लिए इस कारण स्वीकार नहीं किया गया कि वह मिलावट वाला है;

(ख) इस प्रकार कुल कितना नमक स्वीकार नहीं किया गया; और

(ग) स्वीकार न करने का मापदंड क्या था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) थाना (महाराष्ट्र) जिले में मिलावटी होने के आधार पर खरीद के लिये नमक को अस्वीकार करने की कोई घटना नहीं घटी है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

FACILITIES AND STAFF FOR OFFICIAL LANGUAGE PUBLICATIONS

9000. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of publications brought out in Hindi by the Government of India, the number of employees engaged on editing, and administration thereof, category-wise and the total expenditure incurred on each publication during the past three years;

(b) whether the Official Languages Department has taken a decision that same facilities and staff should be made available for Official Language publications as are provided for English publications; and

(c) full details in regard to the steps taken to ensure implementation of the above decision ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) The information is being collected and will be laid on the table of the house, on receipt.

(b) Yes, Sir. and

(c) A statement is given in annexure.

STATEMENT

Various Ministries of the Government of India publish magazines and journals in English, Hindi and other Indian languages. It has, often, been noticed that the designations, pay-scales etc. of the editors of the journals published in Hindi and other Indian languages are lower than that of the designations, pay scales etc. of the editors of English journals. Similarly, the facilities available to the editors of the journals of Indian languages are also less than those available to the editors of English journals.

This matter was discussed in the meeting of The Kendrya Hindi Samiti held on 12th and 13th December, 1977 and it was decided that, "there should be no discrimination in the pay-scales, designations and other service conditions of the officers and employees working in the editorial wing of English journals and that of the staff working in the editorial wing of the journals published in Hindi and other Indian languages and necessary measures should be taken to bring about uniformity in this regard."

In pursuance of this decision all Ministries and Departments have been requested to examine the position of the editorial staff of the magazines and journals published by them and should make arrangements to engage such number of the staff for the magazines and journals published in Hindi and other Indian languages as have been engaged for the similar type of English magazines and their pay scales should also be made equal to that of the staff of the equivalent English journals. They have, also been requested that such arrangements should also be made for the journals published on behalf of their attached and subordinate offices.

APPOINTMENT OF MEMBERS OF PARLIAMENTARY CONSULTATIVE COMMITTEE AS AN OBSERVER IN THE SELECTION COMMITTEE FOR STAFF ARTISTES

9001. SHRI DHARM VIR VASISHT : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a member of Parliamentary Consultative Committee as an observer at meetings of the Selection Committee for staff artistes cadre;

(b) whether some time back many defects were found in the procedure of appointment of Deputy Chief Producer (Hindi) and the Producers for Delhi Office;

(c) whether the attention of the Ministry was drawn to the irregularities committed in regard to these appointments; and

(d) if so, whether Government propose to cancel these interviews and make fresh appointments in proper manner ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI JAGBIR SINGH) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Some complaints were received against the selection to the posts of Deputy Chief Producer (Hindi Spokenword) and Producer in the External Services Division of All India Radio. These were looked into and no defects were found in the procedure of the selections.

(d) Does not arise.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये पदों पर आरक्षण संबंधी नियमों में सांविधिक शक्ति

9002. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये भर्ती तथा पदोन्नतियों में आरक्षण संबंधी वर्तमान नियमों को सांविधिक शक्ति देने के लिये एक विधेयक पेश करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो स्वायत्तशासी निकायों तथा सरकारी उपक्रमों के मामले में सरकार द्वारा जारी किये गये उन नियमों तथा आदेशों में तत्संबंधी बाध्यकारी शक्ति कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे अपने अधीन स्वायत्त निकायों को, केंद्रीय सरकार के अधीन पदों पर लागू आरक्षण को योजना का अनुपालन करने के लिए अनुदेश जारी करें । जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रेजीडेंशियल निदेशन जारी करवाने की व्यवस्था की है, जिनमें उनसे कहा गया है कि वे केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में आरक्षणों के आधार पर अपनी सेवाओं में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण करें । ये अनुदेश/निदेशन संबंधित स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बाध्यकार है ।

इसके अतिरिक्त मंत्रालयों/विभागों को यह भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे उनसे पर्याप्त सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक अभिकरणों के मामले में, यह व्यवस्था करते हुए कि इन अभिकरणों द्वारा आरक्षणों की योजना की मुख्य बातों का पालन किया जाना चाहिए, एक उपर्युक्त खण्ड उन शर्तों में जोड़ दें, जिनके अधीन ऐसे स्वैच्छक अभिकरणों को सहायता अनुदान दिया जाता है ।

आयुध डिपो, कलकत्ता द्वारा सशस्त्र सेनाओं को वर्दी/उपकरणों की सप्लाई

9003. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध डिपो, कलकत्ता 27 सैनिक अस्पतालों को प्रयोगशाला उपकरण और सशस्त्र सेनाओं को वर्दी/उपकरणों की सप्लाई करने के लिए है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि स्थानीय खरीद समिति ने जो आफिसर कमांडिग और डिप्टी कमांडिग द्वारा बनाई गई है और उनके ही सीधे नियन्त्रण में है, क्रम आदेश सं० 28/2/एच और 7/26 बी०/सी० पी० दिनांक 5-7-76 और 2872/एच 6 और 7/272/सी० पी० दिनांक 5-6-76 के अन्तर्गत मे० सेठी एण्ड कम्पनी से खरीद की थी; और

(ग) यदि हां, तो किस-किस सामान की कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस दर पर खरीद की गई और उनका बाजार भाव कितना था?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । आयुध डिपो कलकत्ता अपने सप्लाई क्षेत्र में आने वाली सैनिक यूनिटों को वर्दी/उपकरणों की सप्लाई करता है । यह डिपो सभी सैनिक अस्पतालों को प्रयोगशाला उपकरण सप्लाई करने में केंद्रीय डिपो का काम भी करता है ।

(ख) आयुध डिपो कलकत्ता में ऐसी कोई स्थानीय खरीद समिति नहीं बनाई गई है । लेकिन कुछ अत्यावश्यक वस्तुएं मै० सेठी एण्ड कम्पनी कलकत्ता से सप्लाई आदेश संख्या 2872/एच० 6 एंड एच० 7/266 सी० पी०, दिनांक 5 जुलाई, 1976 (आर० प्रश्न में उल्लिखित संख्या 28/2/एच० 6 और 7/26बी/सी पी, के अन्तर्गत नहीं) और 2872/एच 6 एंड एच 6/272/सी पी, दिनांक 5 जुलाई, 1976 के अन्तर्गत खरीदी गई थी । यह खरीद मुख्य आयुध अधिकारी, कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नकद खरीद की शक्तियों के अन्तर्गत की गई थी ।

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

वस्तु का विवरण	खरीदी गई मात्रा	खरीद दर
(1) वुड माइक्रो स्कोप स्लाइड बक्स	24	41.00 रु० प्रति बक्सा
(2) रीजेंट नेरो आऊथ अम्बर गलास 250 मि० मी० बोतलें	8	40.00 रु० प्रति बोतल
(3) रीजेंट वाइडमाउथ 30 मि० लि० बोतलें	12	30.00 रु० प्रति बोतल
(4) टेस्ट ट्यूब एस/2 ब्रुश	3	20.00 रु० प्रति ब्रुश

बाजार में उपलब्ध न्यूनतम भावों के आधार पर उक्त खरीद की गई थी ।

RESERVATION OF UDC/AUDITOR'S POSTS FOR SC & ST IN CABINET SECRETARIAT

9004. SHRI R. L. KUREEL : Will the PRIME MINISTER be pleased to State :

(a) Whether there is irregularity in the reservation of UDC/Auditor's posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Cabinet Secretariat (Directorate of Accounts);

(b) Whether employees on deputation to the Ministry are being sent back and fresh recruitment through employment exchange is going on :

(c) Whether all UDCs/Auditors on deputation who belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes were asked to submit their options to make their posts permanent;

(d) Whether some of them were not asked to submit such option and if so, the reasons for this discrimination; and

(e) Whether employees on deputation are being sent back so that employees already working against permanent posts in the Cabinet Secretariat may be promoted on the basis of seniority and if not, the facts in this regard ?

PRIME MINISTER (SHDI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir.

(b) Direct recruitment is being made only for filling the vacancies reserved for SC and ST candidates.

(c) and (d) The cption for permanent absorption was given only to such Auditors on deputation as were found fit by a Screening Committee. Four SC Auditors who were not found fit, were not given the option of permanent absorption.

(e) No. Sir.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये शिक्षण केंद्र

9005. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ने यह सिफारिश की है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए देश के विभिन्न भागों में उसी प्रकार के विशेष शिक्षण केन्द्र कक्षाएं शुरू की जायें जिनमें इन जातियों के उम्मीदवारों को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी में प्रवेश के लिए तैयार किया जा सके कि इंजीनियरिंग सेवाओं और भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हेतु पहले ही चलाये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) शिक्षा मंत्रालय से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए स्कूलों में विशेष शिक्षण के लिए एक योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

SETTING UP OF INDUSTRY IN JHALAWAR, RAJASTHAN

9006. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that not a single industry has been set up in public and private sectors so far by the Central Government in Jhalawar Headquarters and Jhalawar District (Rajasthan) during the last 30 yaers or even prior to that;

(b) if so, whether his Ministry treats it a backward area;

(c) if so, whether his Ministry will seriously consider this aspect in order to remove unemployment in this area;

(d) if so, by what time and whether Jhalawar will be included into the scheme for setting up large medium and small scale industries; and

(e) whether industries have been set up at all the district headquarters except Rajasthan and if so, the number of industries proposed to be set up in public and private sectors in Rajasthan during the current year and whether Rajasthan Government will be asked to select Jhalawar also for this purpose and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (e). No central public sector project has been set up in Jhalawar district so far. The State Government have not reported about any unit, large or medium, having been set up in Jhalawar district in the private sector. As regards the small scale sector, the State Government have reported that 869 small scale industrial units have been registered on permanent basis in Jhalawar District upto March, 1978. Jhalawar District has been declared as industrially backward and thus qualifies for all the facilities under the concessional finance scheme. The benefits of the scheme extend to large, medium and small scale industries. Jhalawar district has also been covered by the scheme of Rural Industries Projects. During the year 1976-77, 2100 persons were employed in this District under the Rural Indusrties Projects. The State Government are also extending a number of concessions and facilities to industries in Rajasthan and Jhalawar District would also be benefited by them.

Small Scale Industries units have been set up at all District headquarters in Rajasthan State, including Jhalawar. The State Government have stated that there is no proposal for setting up industries in the public sector at Jhalawar. A District Industries Centre is also proposed to be set up in Jhalawar District, as a result of which all the services and support required by the small scale entrepreneurs and village artisans will be provided under the same roof. It is expected that the setting up of the District Industries Centres will help in promoting industrial development of the district. An outlay of Rs. 6.53 crores was proposed for the Industries & Minerals Sector for Rajasthan's annual plan (1978-79).

The details of Letters of Intent & Industrial Licences, including names of the party and location of the project, are published in "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences" and "Monthly Lists of Letters of Intent and Industrial Licences". Copies of these publications are available in the Parliament Library.

सीमा सड़क विकास बोर्ड के 4000 कर्मचारियों की छंटनी

9007 श्री पूर्ण नारायण सिन्हा क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क महानिदेशक के मुख्यालय तथा देश भर में आठ परियोजनाओं के संस्थानों में 1972-73 में पुनर्गठन किये जाने के कारण सीमा सड़क विकास बोर्ड के लगभग 4,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई थी अथवा उन्हें सेवा से निकाल दिया गया जिनमें ऐसे 406 कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिनकी "बाद में आओ पहले जाओ" की नीति के अनुसार छंटनी नहीं की जा सकती थी। सेवा से नहीं निकाला जा सकता था ;

(ख) क्या सेवा से निकाले गए उपर्युक्त कमचारियों में से लगभग 200 कमचारियों को वेतन, भत्ता और पदोन्नति के पूरे लाभ देकर काम पर वापस ले लिया गया है किंतु अन्य 204 कर्मचारियों के मामलों पर अभी सरकार यह निर्णय नहीं कर पाई है कि क्या उन्हें जिन सुविधाओं से वंचित किया गया है वे उनके हकदार होंगे; और

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय कर लिया है अथवा निर्णय करेगी कि ऐसे 406 कर्मचारियों की सेवा समाप्त के मामले में निहित लाखों रुपयों की राशि को, जिन्हें बहाल किया जाना है तथा उस मंजूरी तथा भत्तों का पूरा भुगतान किया जाना है जो उन्हें नहीं दी गई थी, उन अधिकारियों से वसूल किया जाये जो इसके लिए उत्तरदायी हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) 1972-73 में स्थापना के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सभी वर्गों के कुल 5,863 कार्मिक फालतू हो गए थे और 1972-76 के वर्षों में उनकी क्रमबंध तरीके से छंटनी की गई। इस बारे में एक पुनरीक्षण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 264 कर्मचारियों को अब तक या तो बहाल कर दिया गया अथवा बहाल किया जा रहा है। उन्हें छंटनी तथा बहाली की अवधि के बीच के समय का पूरा वेतन तथा भत्तों का लाभ दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) सरकार का इन मामलों में की गई छंटनी की परिस्थितियों की जांच करने का प्रस्ताव है।

SERVICE CONDITIONS OF STAFF ARTISTES

9008. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it has been stated on page 16 of the Report of the Ministry of Information and Broadcasting for the year 1977-78 that during the year, under review, several decisions have been taken in regard to service conditions of staff artistes;

(b) if so, the details in regard to the said decisions and the extent to which the experts in staff artiste cadre were benefited thereby;

(c) the number of employees promoted as producers or Deputy Chief Producers during the last one year;

(d) the steps taken to ameliorate the lost of those employees, who have not got any promotion during the last 15—20 years; and

(d) the steps taken to ameliorate the lot of those employees, who have not got any same manner and number in which programme executives are promoted on posts of A.S.D.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement of the decisions is attached. These decisions were taken for common benefit to all categories of Staff Artists.

(c) Eleven Staff Artists of different categories were appointed during the year 1977 as Producers in All India Radio through limited Selection as per the Recruitment Rules. No Deputy Chief Producer has been appointed in AIR during this period.

(d) The Recruitment Rules for Staff Artists were revised in 1976 for providing more promotional avenues to them. Steps are taken to provide more promotion avenues wherever it is possible.

(e) No, Sir. Producers are contract employees and are not eligible for promotion to civil posts like that of Assistant Station Director. They are eligible for promotion to the next higher grade of Deputy Chief Producer of which there are only 8 posts.

STATEMENT

(i) *CHANGE IN THE RECRUITMENT PROCEDURE FOR ANNOUNCER*

Earlier all candidates for the posts of Announcer were to be called for voice test. It was decided during 1977 that all eligible candidates would be given a written test in the first instance. On the basis of their performance at the written test, candidates ten times the number of vacancies in order of their merit. would only be called for the voice test for final selection.

(ii) *TIME SCHEDULE FOR FILLING VACANCIES OF STAFF ARTISTS*

It was decided that the whole process of recruitment to fill the vacant posts of Staff Artists should not take more than 100 days under any circumstances.

(iii) *RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES*

It was decided that in filling up the posts of Staff Artists, reservation orders for Scheduled Castes and Scheduled Tribes will apply *mutatis mutandis* as applicable to civil posts except in the case of musicians and instrumentalists.

(iv) *CREATION OF ADDITIONAL POSTS OF STAFF ARTISTES*

36 Staff Artistes' posts of News Reader-cum-Translators were created after abolition of CIS Grade IV posts in AIR.

(v) *HOLDING IN ABEYANCE OF CONTRACTS OF STAFF ARTISTES*

It was decided to keep the contract of a staff artist who on his own, applies for another post in another department/State Government/Public Sector undertaking, in abeyance or under suspension upto a maximum period of two years.

एक नौवहन कम्पनी द्वारा 24 करोड़ रुपये की राशि का दुरुपयोग किया जाना

9009. **श्री बापूसाहिब परुलकर :** क्या **क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक नौवहन कम्पनी द्वारा एस० डी० एफ० सी० द्वारा दिए गए 24 करोड़ रुपये के ऋण का दुरुपयोग किए जाने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) नौवहन कम्पनी का नाम और शिकायत का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) नौवहन तथा परिवहन मन्त्री को कुछ मौखिक शिकायतें मिली हैं, परन्तु किसी विशेष कम्पनी का नाम नहीं दिया गया है । नौवहन विकास निधि समिति को सामान्यतः मामले की जांच करने को कहा गया है।

खनन के विकसित तरीकों में तकनीकी जानकारी देने के लिए सोवियत संघ के दल की यात्रा

9010. **श्री जनार्दन पुजारी**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन के विकसित तरीकों के बारे में तकनीकी जानकारी देने के लिए सोवियत विशेषज्ञों के एक दल ने फरवरी, 1978 के दौरान भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत हुई और उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) कोयले के उत्पादन के हमारे तरीके में इससे कहां तक सुधार हुआ ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचद्रन) : (क) से (ग) जी हां । केन्द्रीय खान आयोजन व डिजाइन संस्थान तथा रूस के मैसर्स स्वेत्मतप्रोमक्सपोर्त के बीच हुए एक समझौते के अधीन फरवरी, 1978 में छः सोवियत विशेषज्ञों का एक दल भारत आया था। इस समय यह विशेषज्ञ चिनाकुरी में परीक्षण और शोधकार्य कर रहे हैं ताकि उक्त खान में पर्याप्त गहराई पर तथा गैसी अवस्थाओं में लांगवाल खनन प्रणाली शुरू की जा सके। इस कार्य से अनेक भारतीय विशेषज्ञ भी सम्बद्ध हैं।

चूंकि मामला अभी भी परीक्षण की अवस्था में है इसलिए इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इस प्रणाली से कोयले के उत्पादन में कितना सुधार हो सकेगा। इस परीक्षण की पहली रिपोर्ट जून, 1978 में मिलने की सम्भावना है ।

प्रत्येक राज्य में आदिवासी क्षेत्रों की जनसंख्या

9011. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कितने गांव हैं और प्रत्येक राज्य में आदिवासी लोगों की कुल संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का एक विवरण संलग्न है। प्रत्येक आदिवासी उप योजना क्षेत्र के गांवों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और जब प्राप्त हो जाएगी, सदन के पटल पर रख दी जाएगी :—

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जनजातियों की जन-संख्या
	(आंकड़े लाखों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	16.58
2. असम	16.07
3. बिहार	49.33
4. गुजरात	37.34
5. हिमाचल प्रदेश	1.42
6. कर्नाटक	2.31
7. केरल	2.69
8. मध्य प्रदेश	83.87
9. महाराष्ट्र	29.54
10. मणिपुर	3.34
11. उड़ीसा	50.72
12. राजस्थान	31.26
13. तमिलनाडु	3.12
14. त्रिपुरा	4.51
15. उत्तर प्रदेश	1.99
16. पश्चिम बंगाल	25.33
17. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.18
18. गोवा, दमन और दीव	0.08
19. अरुणनाचल प्रदेश	3.69
20. मेघालय	8.14
21. मिजोराम	3.13
22. नागालैण्ड	4.58
23. दादरा एण्ड नगर हवेली	0.64
24. लक्षद्वीप	0.30

CONFIRMATION OF BHEL EMPLOYEES

9012. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the category-wise number of employees in Hardwar, Hyderabad, Bhopal, etc. units of BHEL who have rendered more than two years service there but they have not been confirmed; and

(b) the action being taken by Government to confirm such employees in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) There is no employee in any of the manufacturing units of BHEL who has put in more than two years of service and has not been confirmed. This is not applicable to daily rated and casual workers.

(b) Does not arise.

COOPERATIVE TEXTILE MILLS IN MADHYA PRADESH

9013. SHRI MADAN TIWARI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of cooperative textile mills in Madhya Pradesh;

(b) the amount given to these mills by Central Government during the last three years; and

(c) whether the said amount was properly utilised by these mills and for the purpose for which it was given?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) One.

(b) No Central assistance as such has been given to the cooperative spinning mill in Madhya Pradesh. However, NCDC has given during 1976-77 an amount of Rs. 15 lakhs to Government of M.P. for being given to the cooperative spinning mill with a matching contribution from the State Government as margin money.

(c) Government of M.P. was to make sure that the amounts given to the mill were utilised properly. From the progress report received by the NCDC, however, it is seen that the amount has been utilised for the purpose for which it was given.

95 LAKHS LOSS IN COOPERATIVE TEXTILE MILLS BURHANPUR

9014. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government has been asked by the Centre to enquire into the causes of loss worth Rs. 95 lakhs incurred so far by the Cooperative Textile Mills of Burhanpur region;

(b) whether purchase of raw material and machinery at high rates by some politician and high officers has put the mills into loss; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

SCHEMES FOR REMOVAL OF BACKWARDNESS OF RAJASTHAN

9015. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether schemes are under consideration of the Central Government to remove backwardness of Rajasthan so as to raise the standard of life of people of that state; and

(b) if so, the salient features thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). All development programmes under the five year and annual plans of the States have the objective of raising the living standards of the people. The plans for Rajasthan are being devised to meet the special requirements of the State. State like Rajasthan which have a per capita income lower than the national average qualify for special weightage in the matter of Central assistance.

PENDING APPLICATIONS WITH TEXTILE COMMISSIONER SETTING UP WOOL SPINDLES IN RAJASTHAN

9016. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 65 applications of various industrialists in Rajasthan have been pending with the Textile Commissioner for the setting up of wool spindles during the last 4 years; and

(b) the main reasons for not giving licences to those industrialists?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) and (b). After reviewing the availability of indigenous raw wool required for working woollen spindles, it was decided that no new woollen spindles should be allowed to be set up except against cancelled permits on account of non-implementation of the projects by individual party. Guidelines were issued for deciding the order of priority in which the new permits were to be issued. Accordingly, the applications received by Textile Commissioner were considered and disposed of. Other applications did not satisfy the criteria given in the guidelines.

"कोल स्कैण्डल इन धनबाद डिटेक्टिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9017. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 1978 के "सर्चलाइट" में "कोल स्कैण्डल इन धनबाद डिटेक्टिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्र) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नगर सफाई कर्मचारियों की मांगें

9018. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 अप्रैल, 1978 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "190 सिविल सप्लाई कर्मचारीज हेल्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों की मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांगों का सम्बन्ध सर्दी की वर्दी, चिकित्सा बिलों के भुगतान, साबुन तथा तेल की सप्लाई, दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थाई करने आदि से है।

(ग) 15 अप्रैल, 1978 को दिल्ली नगर निगम तथा सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ है । इस समझौते से सफाई कर्मचारियों की अधिकांश मांगे तय कर दी गयी हैं। हाजिरी लगाने, छुट्टी आदि की स्वीकृति के तथाकथित कदाचार की जांच करने के लिए निगम द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा ।

PARTICIPATION OF ELECTED REPRESENTATIVES IN MANAGEMENT OF THE WORKERS' CANTEEN AT C.O.D., AGRA

9019. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Wll the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the elected representatives of the workers are not being allowed to participate in the management of the workers' canteen at C.O.D. Agra, if so, reasons thereof;

(b) whether the gate meetings by the C.O.D. Workers' Union have been banned within a radius of 300 yards and the election to the working committees are not being conducted and the Committees have been dissolved;

(c) whether the Depot Authorities have transferred some of the members of the Works Committee and JCM (Joint Consultative Machinery) to Dehu Ammunition Depot; and

(d) if the answer to the parts (b) and (c) above be in the affirmative, whether Government propose to conduct an enquiry in this regard and take action against the officers found guilty?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No, Sir. The elected representatives of the workers are being permitted to participate in the deliberations of the Canteen Managing Committee but they are disassociating themselves from managing the affairs of the Canteen.

(b) COD Karmachari Sangh is an un-recognised union. The Union has not been permitted to hold gate meetings within the prohibited area.

The Works Committee in COD Agra ceased to function in December, 1977 on completion of its term of 2 years. Fresh elections could not be held as all the unions functioning in the Depot had not provided the required information in regard to the formation of the Works Committee.

(c) One of the employees, who had been earlier a member of the Works Committee and its representative in the IV Level Council (JCM) Committee, was transferred to Ammunition Depot Dehu on administrative ground on 28-1-78. On the date when he was transferred he was no longer a member of the Works Committee as the term of the Works Committee had expired on 28th December, 1977.

(d) Does not arise.

CONSTITUTION OF OFFICIAL LANGUAGES IMPLEMENTATION COMMITTEE

9020. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Official Languages Implementation Committee has been constituted in P.M.'s Office.

(b) if so, the dates on which it held its meetings in 1977 and the decisions taken therein;

(c) the number of decisions, out of them implemented fully; and

(d) the reasons for the delay in implementing the remaining ones fully?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir. The Prime Minister's Office being a small organisation, a Joint Secretary has been designated to keep a watch on the implementation of various instructions issued by the Department of Official Language for the progressive use of Hindi.

(b) to (d). Do not arise.

हिन्दी में मेनुअल/फार्म

9021. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री के कार्यालय में कुल कितने मेनुअल और फार्म उपयोग में लाये जाते हैं;

(ख) उनमें से कितने मेनुअलों और फार्मों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है और उनमें से कितने द्विभाषी रूप में छापे जाते हैं;

(ग) शेष मेनुअलों और फार्मों का अब तक हिन्दी में अनुवाद न कराये जाने और द्विभाषी रूप में मुद्रित न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इनको द्विभाषी रूप में कब तक मुद्रित किया जायेगा?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) प्रधान मन्त्री कार्यालय एक छोटा संगठन है और इसका कार्य प्रधान मन्त्री को सेक्रेटेरियल सहायता देना है। इसने कोई फार्म अथवा मेनुअल आदि निर्धारित नहीं किए हैं। अन्य मन्त्रालयों द्वारा जो फार्म निर्धारित किए गए हैं उनका ही इस्तेमाल इस कार्यालय में होता है।

TRAINING INSTITUTES RUN IN HINDI

9022. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the total number of training institutes in P.M.'s Office;

(b) the total number of courses being run therein;

(c) the number of courses out of them run in Hindi medium and those in English medium, separately; and

(d) the steps taken by Government to run in Hindi medium the courses which are being run in English medium at present?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (d) The Prime Minister's Office, being small, does not run training institutions of its own. It avails of the training facilities, both in Hindi and English media, offered by the Ministry of Home Affairs.

कोचीन शिपयार्ड परियोजना पूरी करने में विलम्ब

9023. **श्री जनार्दन पुजारी** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन शिपयार्ड परियोजना पूरी न होने से उनकी लागत दुगनी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) कोचीन शिपयार्ड परियोजना 1971 में 45.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत की गई। अगस्त, 1977 में यथा अनुमोदित संशोधित परियोजना अनुमान की राशि 109.21 करोड़ रुपये है मूल अनुमानों की कुल अधिकता 65.67 करोड़ रुपये है जिससे कार्य उपस्कर की लागत 1.88 करोड़ रुपये रह जाती है जिसे अब आस्थगित कर दिया है, विस्तार कार्यक्रम के भाग के रूप में किया जाना है। लागत में वृद्धि मुख्यतः मूल परियोजना रिपोर्ट में नये कार्य (18.30 करोड़ रुपये) तथा लागत मूल्यों में वृद्धि (47.37 करोड़ रुपये) के कारण से हुई है।

परियोजना कोचीन में परियोजना कार्यालय की स्थापना के साथ 1970 में शुरू की गई तथा कार्य अप्रैल 1972 में औपचारिक रूप से प्रारम्भ किया गया। उन कार्यों को छोड़कर जो परियोजना के छठे से 10वें वर्ष में शुरू किए जाने हैं। इसे सितम्बर 1975 में पूरा हो जाना था। इसे अब समाकलित ढंग से पूरा किया जा रहा है तथा इसकी केवल कुछ छोटे कार्य जिन्हें अगले वर्ष के लिए ले जाया जाएगा को छोड़कर 1978-79 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है। यद्यपि परियोजना निर्माणाधीन की मुख्य सुविधाओं को पूरा करने का कार्यक्रम था तथापि मरम्मत गोदी तथा 150.टी गेन्टरी क्रेन जैसी कुछ मदें कार्यक्रम से पीछे रह गई हैं। गोदी तथा घाटों की निविदाओं की उपयुक्त प्रतिक्रिया के अभाव, इस्पात और सीमेन्ट जैसी निर्माण सामग्री की कमी तथा तकनीकी समस्यायें जो कि कार्यान्वियन के दौरान सामने आई। परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के मुख्य कारण हैं। परन्तु जहाज निर्माण कार्य जनवरी 1976 से साथ-साथ प्रारम्भ कर दिया गया है, जहाजों की जल में मरम्मत का कार्य भी अब शुरू कर दिया गया है।

पारादीप में माल के लिए घाट

9024. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पारादीप पत्तन न्यास की ओर से पारादीप में दो अतिरिक्त सामान्य माल घाटों की मंजूरी के लिए प्रस्ताव मिला था;

(ख) यदि हां, तो सामान्य माल घाटों की मंजूरी देने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) प्रत्येक अतिरिक्त सामान्य मालघाट पर कितनी धनराशि खर्च होगी?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) पारादीप पत्तन में, माल की उपयुक्त धरा उठाई उपस्कर और पारगमन शेड सहित इस सामान्य माल घाट जिसकी अनुमानित लागत 4.18 करोड़ रुपये है, के निर्माण के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

LEGISLATION ON PREVENTIVE DETENTION OF FOREIGNERS

9025. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are considering to enact a legislation for the arrest of foreigners under the Preventive Detention Act;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) whether Government propose to bring forward a bill in this regard and if so, by what time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) There is no such proposal at present.

(b) and (c). Do not arise.

INCENTIVES TO THE LOCAL ORGANISATIONS FOR SETTING UP MINI CEMENT PLANTS

9026. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide incentives to the local organisations for setting up mini cement plants;

(b) if so, the outlines of the scheme chalked out in this regard; and

(c) the additional cement production likely ot be achieved as a result of this scheme in 1978-79 and how far it will help in meeting the cement demand in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b). Government are presently examining various proposals for incentives to encourage the setting up of a large number of mini cement plants.

(c) It is as yet too early to make any realistic assessment.

NEW FIGHTER PLANE

9027. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether a new fighter plane has been built for the Indian Air Force;

(b) if so, the special features thereof; and

(c) the present production capacity in respect of the said plane ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH) : (a) Yes, Sir. A modified version of Gnat, known as Ajeet, has been developed and manufactured by Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

(b) Improved manoeuvrability and control, improved communications and navigation systems, greater internal fuel capacity and superior combat capabilities over Gnat.

(c) HAL has sufficient capacity to meet the requirements of the Indian Air Force.

तारापुर संयंत्र के लिए अमरीका द्वारा भारी पानी भेजा जाना

9028. **श्री कंवर लाल गुप्ता :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार तारापुर संयंत्र के लिए भारी पानी का निर्यात करने में शीघ्रता कर रही है;

(ख) क्या 23-3-78 के बाद सरकार को इस बारे में कोई जानकारी मिली है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका को कोई पत्र लिखा है या उसे हाल ही में अमरीका सरकार से कोई पत्र मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) जी, नहीं। तारापुर परमाणु बिजलीघर के प्रचालन के लिए भारी पानी की जरूरत नहीं है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में बवंडर आने के बारे में जांच

9029. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में हाल में आए बवंडर की और आगे जांच की है;

(ख) क्या सरकार ने किसी वैज्ञानिक से परामर्श किया है और राडार और उपग्रह की प्रतिक्रिया का अध्ययन यह पता लगाने के लिए किया है कि क्या यह एक उड़न तश्तरी थी जैसा कि राज्य गृह मन्त्री ने वायदा किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) मृत लोगों के परिवारों को कितना अनुदान दिया गया है; और

(ङ) क्या अपंग हुए लोगों को भी कोई राहत दी गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पास उपलब्ध उस दिन के लिए मौसम सूचना चार्टों की परीक्षा की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि उस दिन वायुमण्डलीय अस्थिरता थी जिससे तूफान आया और बवंडर बन गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पास दिल्ली में तूफान का पता लगाने वाला एक राडार है। लिये गए राडार चित्रों से एक भयानक तूफान के सामान्य लक्षणों का पता लगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पास वातावरणीय उपग्रहों से बादलों के चित्र लेने के प्रबन्ध हैं, जब वे दिल्ली के ऊपर से गुजरते हैं। दिल्ली में आये बवंडर के समय दिल्ली के ऊपर से कोई उपग्रह नहीं गुजरा था, इसलिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कोई उपग्रह चित्र नहीं लिए गए थे। मौसम विज्ञान के पास उपलब्ध राडार किन्हीं उड़ती हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए नहीं हैं और विभाग इस बात की पुष्टि करने अथवा यह विश्वास न करने की स्थिति में नहीं है कि क्या उस समय दिल्ली के ऊपर कोई तस्तरी उड़ रही थी।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को प्रत्येक को 2500 रुपये का अनुग्रह-पूर्वक अनुदान स्वीकृत किया है। दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुदान की राशि में वृद्धि करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

(ङ) बवंडर के कारण किसी के अपंग होने का कोई मामला दिल्ली प्रशासन को सूचित नहीं किया गया है। फिर भी, जो मजदूर जख्मी हो गए थे उनके 40 परिवारों को बर्तनों तथा कपड़ों के रूप में सहायता के अतिरिक्त प्रति परिवार 200 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी।

मिजो विद्रोहियों द्वारा धन एकत्र किया जाना

9030. **श्री कंवर लाल गुप्त**
श्री जनार्दन पुरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो विद्रोही अपनी गैर-कानूनी गतिविधियां चालू रखने के लिए जबरदस्ती धन एकत्र कर रहे हैं?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मिजो विद्रोहियों की चुनौती का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या विशेष अनुदेश दिए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि स्थिति का मुकाबला करने के लिए सेना को खुली छूट नहीं दी गई है;

(ङ) यदि हां तो क्यों; और

(च) गत छह महीनों के दौरान कुल कितनी हिंसक घटनायें हुई और मिजोरम में धन-जन की हानि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (च) मिजोरम सरकार के अनुसार, 1978 के पहले तीन महीनों में, ऐसी 104 मामले उनके ध्यान में आये हैं, जिनमें लगभग तेंतालीस हजार रुपये एकत्र किए गए थे। मिजोरम सरकार ऐसे हर मामले में कार्रवाई करती है, जो उनके ध्यान में आता है।

मिजोरम में सैनिक कार्रवाई रोक दिए जाने से, रक्षा बलों की भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश करने वाले भूमिगत कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा विधि और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित रह गयी है; सेना सिविल सत्ता की सहायता के लिए कार्रवाई कर रही है और उसे सौंपे गए कार्य के अनुसार वह स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से स्वतन्त्र हैं।

सरकार को मिली रिपोर्ट के अनुसार, पिछले छह महीनों में एक हिंसक वारदात हुई। उसमें जीवन और संपत्ति को कोई क्षति नहीं हुई, सेना के केवल एक संतरी को चोट आई।

हजारीबाग में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा बनाई गई सड़क

9031. **श्री ए० के० राय :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा केडला से गिडडी वाशरी तक बनाई गई सड़क में प्रत्येक ग्रामों के किसानों की जमीन आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जमीन के बदले में किसी भी किसान को कोई काम या मुआवजा नहीं मिला और उन्हें कोई नोटिस भी नहीं मिला; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आरखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में उक्त गांव आन्दोलन कर रहे हैं और सड़क में किसी भी समय बाधा पैदा की जा सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो ग्रामीणों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) से (ख) : केडला से गिडी वाशरी हजारीबाग तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सड़क के निर्माण में कुल 267 एकड़ (लगभग) जमीन आती है जिसमें से केवल 82.64 एकड़ (लगभग) 16 गांवों की जोतदारों की जमीन है। 16 गांवों की खेतीहर जमीन का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अतिरिक्त, प्रावधानों के अन्तर्गत, बिहार सरकार की मार्फत अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके विवरण नीचे दिए गए हैं:—

क्रम सं०	गांव का नाम	सड़क में आई खेतिहर भूमि का रकबा (एकड़ों में)	प्रभावित किसानों की संख्या
1.	हैसालोंग	7.81	22
2.	नेप	7.55	13
3.	होसिर	6.95	10
4.	ओरला	5.61	9
5.	कोबला	1.50	3
6.	बमरी	8.92	9
7.	बरका चुम्बा	7.47	10
8.	मझिला चुम्बा	3.22	1
9.	छोटका चुम्बा	4.87	3
10.	बोगावार	0.01	1
11.	कजू	13.60	23
12.	मोरपा	4.49	12
13.	अरा	1.30	2
14.	सरुवेरा	1.33	3
15.	परसाबेरा	2.63	5
16.	केडला	5.38	9
	कुल	82.64	135

(ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में आवश्यक अधिसूचनायें प्रकाशित की गई थीं और जनता की सामान्य जानकारी के लिए सम्बद्ध भूमि अधिग्रहण की घोषणा की गई थी। अधिनियम के अधीन अधिग्रहण की कार्रवाई को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण अधिकारी, हजारीबाग) द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है और मुआवजा देने की भी घोषणा की जानी है। इसे देखते हुए काश्तकारों को इस समय मुआवजे का भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह मालूम नहीं है कि उक्त 16 गांव झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हैं। फिर भी सदैव यह प्रयत्न करते हैं कि ऐसे मामलों में हम ग्रामीणों को साथ लेकर चलें।

(ङ) उक्त स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के नैमित्तिक कलाकारों को नियमित करना

9032. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में काम कर रहे किन्हीं नैमित्तिक कलाकारों को उचित वेतनमान, सुरक्षा तथा सेवा सम्बन्धी अन्य लाभ देते हुए वर्ष 1977 के दौरान और 1978 में आज तक नियमित कलाकार और कर्मचारी बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) अगस्त 1977 में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे नैमित्तिक कलाकारों, जिनको लगातार दो वर्ष, एक वर्ष में 240 दिन लगाया गया है, को कतिपय शर्तों के अधीन नियमित कर दिया जाए। उस आधार पर आकाशवाणी में 33 नैमित्तिक कलाकार नियमित किए जाने के लिए पात्र बन गए। इनमें से 7 नियमित कर दिए गए हैं और 3 के मामलों को आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है। शेष 23, जिन्हें जनरल असिस्टेंटों के रूप में बुक किया गया था, के मामलों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियुक्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है।

अप्रैल, 1978 में निम्नलिखित कतिपय शर्तों के अधीन दीर्घकालिक नैमित्तिक कलाकारों को और नियमित करने के बारे में विचार करने का निर्णय लिया गया था :—

(1) ऐसे दीर्घकालिक नैमित्तिक कलाकार जिन्होंने 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के वित्तीय वर्षों के दौरान कुल 365 दिन काम किया हो; और

(2) ऐसे दीर्घकालिक नैमित्तिक कलाकार जो उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत नहीं आते, किन्तु जिन्होंने 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वर्ष के दौरान 240 दिन काम किया हो।

ये सभी व्यक्ति नियमित आधार पर नियुक्त किए जाने पर उचित वेतनमान, सुरक्षा और अन्य उन सेवा लाभों के पात्र होंगे जिनके लिए इसी प्रकार की अन्य श्रेणियों के व्यक्ति पात्र हैं।

EMPLOYMENT IN NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION ON CASTE AND LANGUAGE BASIS

†9033. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether persons belonging to a particular caste are only provided with employment in the National Thermal Power Corporation; and

(b) if so, the reasons why employment is provided in this Corporation on the basis of caste and language ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) and (b) No, Sir. The recruitment in National Thermal Power Corporation is governed by the policy relating to recruitment in public sector undertakings and also provisions of the various relevant statutes in force. Castes considerations are, however, taken into account in respect of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देना बन्द करना

9034. **श्री वसन्त साठे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय योजना के अधीन स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देने के राज्यवार कुल कितने मामले हैं जिन्हें वर्ष 1977-78 के दौरान पेंशन देना बन्द कर दिया गया है;

(ख) इन स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देना बन्द कर देने के मुख्य महत्वपूर्ण कारण क्या हैं;

(ग) ऐसे राज्यवार कितने मामले हैं जिनमें स्वाधीनता सेनानियों द्वारा अभ्यावेदन किए जाने के बाद पशन देना पुनः शुरू कर दिया गया;

(घ) राज्यवार कितने मामलों में नए सिरे से पेंशन देना आरम्भ किया गया है; और

(ङ) केन्द्रीय योजना के अधीन स्वाधीनता सेनानियों के पेंशन देने के बारे में वर्ष 1977–78 में कौन से महत्वपूर्ण नीति निर्णय किए गए, उक्त योजना की क्रियान्विति पर वर्ष 1977-78 के दौरान कितनी राशि खर्च की गई और इससे राज्यवार कितने लोगों को लाभ हुआ तथा वर्ष 1976–77 की तुलना में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है (विवरण 1)।

ऐसे मामलों में पेंशन निलम्बित/निरस्त की जा सकती है, जिनमें, बाद में, यह पता लग जाए कि आवेदक पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि :—

(1) उन्होंने निर्धारित न्यूनतम राजनैतिक यातना नहीं भोगी है, अथवा

(2) उनके द्वारा भोगी गई यातना का सम्बन्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन से नहीं है, अथवा

(3) उनकी आय निर्धारित न्यूनतम आय से अधिक है।

(ङ) वर्ष 1977–78 में स्वाधीनता सेनानी पेंशन योजना, 1972 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 31-3-1977 तथा 31-3-1978 को लाभांवित होने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। 1976–77 में किया गया खर्च 22.15 करोड़ रुपये था। 1977–78 में 24 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 1977–78 में लाभांवित व्यक्तियों की संख्या तथा योजना पर किए गए खर्च दोनों में ही वृद्धि हुई है।

विवरण "एक"

वर्ष 1977-78 के दौरान निलम्बित/निरस्त, बहाल की गई नये सिरे से दी गई प्रश्नों के ब्योरे का विवरण।

क्रम सं०	राज्य का नाम	निलम्बित निरस्त	पुनः शुरू की गई	नए सिरे से दी गई
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	—	—	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	13	5	119
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
4.	असम	6	—	2
5.	बिहार	68	2	129
6.	चंडीगढ़	1	—	—
7.	दिल्ली	12	1	38

1		2	3	4
8.	गोवा	1	—	28
9.	गुजरात	8	—	18
10.	हरियाणा	6	1	10
11.	हिमाचल प्रदेश	20	4	6
12.	जम्मू व कश्मीर	—	—	5
13.	केरल	6	4	83
14.	कर्नाटक	1270	1	118
15.	मध्य प्रदेश	17	2	10
16.	महाराष्ट्र	62	—	259
17.	मणिपुर	—	—	—
18.	मेघालय	—	—	—
19.	मिजोरम	—	—	—
20.	नागालैंड	—	—	—
21.	उड़ीसा	7	6	8
22.	पांडिचेरी	2	3	2
23.	पंजाब	274	17	34
24.	राजस्थान	3	—	12
25.	तमिलनाडु	30	10	23
26.	त्रिपुरा	5	1	2
27.	उत्तर प्रदेश	222	3	55
28.	पश्चिम बंगाल	64	8	370
	जोड़	2,099	68	1,215

विवरण—"दो"

क्र० सं०	राज्य का नाम	स्वीकृत पेंशनों की संख्या	
		31-3-1977 को	31-3-1978 को
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	3	3
2.	आंध्र प्रदेश	5,888	6,007
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
4.	असम	3,878	3,889
5.	बिहार	18,939	19,068
6.	चण्डीगढ़	64	64
7.	दिल्ली	1,558	1,561
8.	गोवा	513	541
9.	गुजरात	2,849	2,857
10.	हरियाणा	1,270	1,279
11.	हिमाचल प्रदेश	370	372
12.	जम्मू व कश्मीर	777	779

1	2	3	4
13.	केरल	2,024	2,080
14.	कर्नाटक	7,135	7,230
15.	मध्य प्रदेश	2,700	2,718
16.	महाराष्ट्र	9,718	9,920
17.	मणिपुर	58	58
18.	मेघालय	67	67
19.	मिजोरम	—	—
20.	नागालैण्ड	7	7
21.	उड़ीसा	3,496	3,502
22.	पांडिचेरी	216	220
23.	पंजाब	5,015	5,031
24.	राजस्थान	574	581
25.	तमिलनाडू	3,457	3,487
26.	त्रिपुरा	631	633
27.	उत्तर प्रदेश	15,369	15,403
28.	पश्चिम बंगाल	14,036	14,406
	आजाद हिन्द फौज के सैनिक	14,480	14,651
		(सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए)	
	जोड़	1,15,099	1,16,428

केन्द्रीय विद्युत् अधिनियम में संशोधन

9035. श्री वसन्त साठे / श्री के० प्रधानी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अप्रैल, 1978 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'सेन्ट्रल इलैक्ट्रोसिटी एक्ट लाइकलो टोबो अमेन्डेड' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें व्यक्त विभिन्न अभिमतों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के वित्तीय उपबन्धों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ विधेयक में यह प्रस्तावित है कि राज्य सरकारें नई ईक्विटी पूंजी जुटा सकें और/अथवा ऋण पंजी को ईक्विटी पूंजी में परिवर्तित कर सकें, बशर्ते कि ईक्विटी पूंजी और ऋण पूंजी का अनुपात 1:1 से अधिक न हो। इस समय, बोर्डों का पूंजी ढांचा राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों से बना है। अपनी निवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आन्तरिक साधन जुटाने को बोर्डों को क्षमता ऋणों के संचय से तथा इसके परिणामस्वरूप ब्याज की देनदारी से प्रभावित होती है। ईक्विटी पूंजी के उपबन्ध से बोर्डों को निवेशों को वित्त-व्यवस्था करने के लिए आन्तरिक साधन जुटाने में सहायता मिलेगी।

भारतीय आयुध कारखानों में निर्मित शस्त्रों की चोर बाजारी

9036. **डा० महावीपक सिंह शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय आयुध कारखानों में निर्मित शस्त्रों की बड़े पैमाने पर चोर बाजारी हो रही है;

(ख) क्या आम आदमी को अधिकृत विक्रेताओं से शस्त्र को प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन शस्त्रों की चोर बाजार में बिक्री रोकने के लिए तथा आम आदमी को उचित दर पर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) छोटे हथियारों की बिक्री के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार, व्यापारी केवल वैध लाइसेंसधारी वास्तविक उपयोक्ता को ही आई० ओ० एफ० हथियारों की बिक्री कर सकते हैं अन्यों को नहीं। हथियार बेचने वाले व्यापारी किसी अन्य व्यापारी को भी हथियार नहीं बेच सकते हैं। काला-बाजारी की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इस बारे में आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशक को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो राज्य/जिले के सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को भेज दी गई थीं। जांच-पड़ताल करने पर आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ख) 12 बोर वाली बन्दूकों की मांग तथा खरीद इतनी कम है कि आम आदमी को प्राधिकृत व्यापारी से उन्हें खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परन्तु "315" रायफलों के बारे में कुछ कठिनाई है क्योंकि कुछ प्रतिबंधों के कारण इनके बारे में दिए गए आदेशों के निष्पादन में बिलम्ब होता है। इस कठिनाई को दुर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि उनके लिए अधिक समय तक प्रतिक्षा नहीं करनी पड़े।

(ग) रक्षा मन्त्रालय के कहने पर गृह मन्त्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिए हैं कि शिकायतों को दर्ज किया जाए और चोर बाजारी में लगे हथियार बेचने वाले व्यापारियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल की जाए। भारतीय आर्डनेंस कारखानों में बने हथियारों की बिक्री में अनियमितता का आरोप सिद्ध हो जाने पर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त दोषी फर्मों के साथ लेन-देन पर पाबन्दी लगाई जा सकती है। हथियार खरीदने वाले व्यक्ति को हुई किसी कठिनाई के बारे में अभ्यावेदन मिलने पर आर्डनेन्स कारखानों के महानिदेशक आवेदक को उपयुक्त सलाह देते हैं।

कछ के नमक उद्योगों के विकास पर खर्च की गई राशि

9037. **श्री अनन्त दवे :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान कच्छ में नमक उद्योगों के विकास पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) गत वर्ष के दौरान इन उद्योगों से नमक उपकर के रूप में कुल कितनी राशि एकत्र की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्योग के कर्मचारियों के लिए कोई कल्याणकारी कार्य अथवा योजना आरम्भ की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) तथा (ख) 1976–77 में बम्बई क्षेत्र जिसमें गुजरात राज्य का कच्छ जिला भी शामिल है। में नमक उद्योग के कार्यकलाप के विकास के लिए 2,44,933 रुपये की राशि खर्च की गई थी। गुजरात राज्य (कच्छ जिला शामिल करके) में 1976–77 के दौरान नमक उपकर के रूप में 75,99,000 रुपये की राशि एकत्रित की गई थी।

(ग) तथा (घ) उपकर के रूप में अर्जित राशि में से सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सिद्धान्त संहिता के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ श्रमिक कल्याण कार्यों जैसे, जल संभरण योजना, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था तथा नमक उद्योग में लगे मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने अथवा उन्हें उसमें विस्तार करने के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार की सहायता नमक के क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड और केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड से प्राप्त प्रस्तावों और सिफारिशों के आधार पर प्रदान की जाती है।

पश्चिमी तट पर जहाज तक निःशुल्क नमक के मूल्य

9038. **श्री अनन्त दवे :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन साल्ट मेन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन ने पश्चिमी तट पर जहाज तक निःशुल्क मूल्यों के पुनरीक्षण के लिए कोई ज्ञापन दिया है जिन्हें पांच वर्ष से अधिक समय पहले निर्धारित किया गया था :

(ख) यदि हां, तो आई० एस० एम० ए० की मुख्य मांग क्या है : और

(ग) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, हां।

(ख) संघ की मुख्य मांग पश्चिमी तट से कलकत्ता को जहाज द्वारा ले जाये जाने वाले नकम के मूल्यों में संशोधन कर वृद्धि करने सम्बन्धी है।

(ग) इस विषय पर इन्डियन सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन के साथ विचार विमर्श हो रहा है।

रक्षा प्रयोजन के लिये गुजरात की सड़कों के बारे में प्रस्ताव

9039. **श्री अनन्त दवे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने रक्षा प्रयोजन हेतु कितनी सड़कों का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या मन्त्रालय राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और क्या राहपुर-मांडवी और अबदासा तातुका की सड़कों को शामिल किया गया है या नहीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) खासकर रक्षा प्रयोजन हेतु सड़क विकास के लिए राज्य सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें अन्य सड़कों के साथ-साथ राहपुर-मांडदी तथा अबदासा तातुका की सड़कों को शामिल किया गया हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आपात स्थिति के दौरान दूरदर्शन में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित करना

9040. **श्री आर० के० महालगी** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान दूरदर्शन अनुभाग में तदर्थ/अस्थाई आधार पर बहुत सी नियुक्तियां की गई थीं ;

(ख) क्या इन नियक्तियों को स्थायी बना दिया गया है; और

(ग) इन पदों के लिए सार्वजनिक विज्ञापन दिए बिना स्थायीकरण के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) दूरदर्शन 1-4-1976 को एक पृथक विभाग बन गया था। इस विभाग के बनने के बाद विभिन्न सिविल पदों के भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने तक इन पदों पर नियुक्तियां तदर्थ/अस्थायी आधार पर की गई हैं/की जा रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि में न्यूकलीय प्रौद्योगिकी

9041. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाभा-परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के जीव विज्ञान और कृषि डिविजन द्वारा कृषि क्षेत्र में की गई न्यूक्लीय तकनीकी से उत्पादन में वृद्धि हुई है और कीड़ों से होने वाली हानि में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो फसलों का ब्यौरा क्या है परीक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र कितना है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है;

(ग) मूंगफली, चावल, सरसों और गन्ने के उत्परिवर्तित (म्यूटेंट) बीजों का कुल कितना उत्पादन हुआ और उनके बारे में अपने देश से और विदेशों से क्या पूछताछ की गई; और

(घ) इस परियोजना के लिए 1978-79 में कितना धन रखा गया है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) इसके बारे में विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) आगे और अनुसन्धान एवं विकास-कार्य करने हेतु वर्ष 1978-79 के लिए 2 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

"विवरण"

क्रम सं०	फसल का ब्यौरा	किसान द्वारा घोषित प्रति हेक्टेयर फसल.	परीक्षणक्षेत्र का क्षेत्रफल	उत्परिवर्ती बीजों का कुल उत्पादन	पूछताछ-संख्या (घरेलू तथा विदेशी)
1	2	3	4	5	6
1.	**मूंगफली**				
	(क) टी० जी०-1	3000-5000 किलोग्राम (महाराष्ट्र) 2500 किलोग्राम (गुजरात तथा राजस्थान)	1215 हेक्टेयर	2500 मीटरी टन	1869
	(ख) टी० जी०-3	2800-4500 किलोग्राम (मध्य प्रदेश तथा राजस्थान) 700-900 किलोग्राम (गुजरात)			
	(ग) टी० जी०-17	2000-2800 किलोग्राम (गुजरात तथा महाराष्ट्र)			
2.	**धान** टीग्रार-17, टीग्रार-19, टीग्रार-21, तथा टीग्रार-23	5000—7000 किलोग्राम (महाराष्ट्र)	—	2 मीटरी टन	1264
3.	**सरसों**	—	क्षेत्रीय-परीक्षण जारी है	1 मीटरी टन	1186
4.	**गन्ना** सामान्य गन्ने से 10 प्रतिशत अधिक सूक्रोज युक्त मोटा गन्ना		क्योंकि अभी परीक्षण जारी है इसलिए किसानों को अभी बीज नहीं दिए गए हैं ।	—	3

राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास परिषद द्वारा वस्तुओं का उत्पादन

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुसन्धान और विकास परिषद द्वारा लाइसेंस प्रदत्त प्रक्रियाओं से वर्ष 1972-73 में केवल 10 करोड़ रुपए के मूल्य की वस्तुओं का ही उत्पादन हुआ, जबकि निर्माता क्षेत्र में कुल उत्पादन 5817 करोड़ रुपये का हुआ,

(ख) क्या सरकार द्वारा अनुसन्धान और विकास पर भारी खर्च को देखते हुए खर्च का यह बहुत कम सूचकांक है और यदि हां, तो अनुसन्धान और विकास को बाजार प्रधान और प्रयोक्ता-प्रधान बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और]

(ग) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद का पुनर्गठन उस दिशा में एक कदम है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) मैं नहीं समझता कि तुलना के लिए यह कोई उपयुक्त मापदण्ड है। अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी प्रयास केवल उद्योग तक ही सीमित नहीं हैं अपितु अन्य क्षेत्र जैसे कृषि, शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र भी इसके अन्तर्गत आते हैं। नैशनल रिसर्च एंड डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन ही केवल एक मात्र एजेन्सी नहीं है जिसके माध्यम से अनुसन्धान तथा विकास के परिणामों का वाणिज्य करण किया जाता है।

(ग) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद का पुनर्गठन इस दृष्टि से किया गया है कि अनुसन्धान प्रयोगशालाओं तथा अनुसन्धान के प्रयोक्ताओं के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों की स्थापना की जा सके।

पंचवर्षीय योजनाओं में समाज सेवाओं पर व्यय

9043. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुल व्यय की तुलना में समाज सेवाओं पर व्यय, प्रथम पंचवर्षीय योजना को छोड़कर जिसमें यह 21 प्रतिशत था, पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक 13 से 15 प्रतिशत तक ही रहा है; और

(ख) यदि हां, तो छठी योजना में इस प्रतिशतता को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई): (क) और (ख) पहली पंचवर्षीय योजना में भी सामाजिक सेवाओं पर किए गए व्यय का प्रतिशत 16 प्रतिशत था, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होता है :—

कुल योजना व्यय से सामाजिक सेवाओं के व्यय का प्रतिशत

पहली योजना	16
दूसरी योजना	14
तीसरी योजना	15
चौथी योजना	18
पांचवीं योजना	16
1978—83 की योजना का प्रारूप	14

जैसा कि योजना के प्रारूप के दस्तावेज (अध्याय 1, पैरा 1,115 पृष्ठ 18) में स्पष्ट किया गया है, उद्योग और खनन जैसे क्षेत्रों में परिव्ययों को छोड़कर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिछड़े वर्गों के कल्याण, आदि से सम्बन्धित परिव्यय का जो बड़ा भाग एक योजना की अवधि में आवर्ती व्यय होता है, वह उस योजना के अंत में योजनेतर परिव्यय हो जाता है। इसलिए सामाजिक सेवाओं को दिए गए महत्व को ध्यान में रखते हुए योजना परिव्यय और योजनेतर पर परिव्यय पर दोनों को मिलाकर ही विचार किया जाना चाहिए।

विद्रोही नागाओं से झड़प

9044. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 मार्च, 1978 को विद्रोही नागाओं ने बर्मा में घुसने की कोशिश की थी और उनकी सस्त्र सैनिकों से मुठभेड़ हुई जिसमें कुछ व्यक्तियों का हताहत होने का समाचार है; और

(ख) यदि हां, तो घटना के बारे में तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) 22 भूतपूर्व भूमिगत नागाओं के एक दल को जो सूचनानुसार बर्मा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था, 18 मार्च, 1978 की रात्रि को सीमा के पास नागालैण्ड के फैक जिले में सुरक्षा सैनिकों ने रोका। इस दल का एक व्यक्ति मारा गया जब उसने एक सुरक्षा सैनिक से राईफल छीनने की कोशिश की। शेष 21 व्यक्तियों को कुछ हथियार गोला बारूद और अन्य सामग्री के साथ हिरासत में ले लिया गया था।

T.V. CENTRE AT NAINITAL

9045. SHRI BHARAT BHUSHAN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Television Centre/Television Repeater Centre in Nainital;

(b) if so, the details of the survey conducted in this regard and when this centre is likely to start functioning; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The reason is constraint on financial resources.

GEOLOGICAL SURVEY IN M.P.

9046. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the geological survey carried out in Madhya Pradesh has revealed existence of rich mineral deposits on the basis of which glass, pottery and chemical fertilizer factories can be set up there;

(b) if so, whether Government have under consideration any proposal for setting up such industries; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The following are the details of the 3 proposals which have been received by the Government of India :

Name of the Party and date of application	Location of the Proposed unit, whether new or expansion.	Item of manufacture and annual capacity	Present Position
1	2	3	4
Shri K. N. Pedder, Bombay. Dated : 5-7-77.	Dewas (M.P.) —A New Unit.	Sanitaryware-5,000 tonnes per annum.	Registered with DGTD on 14-9-77.
Madhya Pradesh Agro Morarjee Fertilisers Ltd., Indore (M. P.) Dated 14-6-76.	Maghnagar, Distt. : Jhabua, (M. P.)-A New Unit.	(i) Sulphuric Acid-40,000 tonnes per annum. (ii) Phosphoric Acid-50,000 tonnes per annum. (iii) Mono Ammomium Phosphate-93,600 tonnes per annum.	Letter of Indent issued on 27-3-78.
Shri S. S. Agarwal, Delhi. Dated 23-5-77. (This project is proposed to be set up in Joint Sector with the Madhya Pradesh State Industries Corporation Ltd.)	Banmore, Distt. Jhabua (M.P.) —A New Unit.	T. V. Glass Bulbs-3,00,000 pcs. per annum.	Application is under consideration of the working Group of TV Glass Shells.

RECOMMENDATIONS OF RAMAKRISHNA COMMITTEE

9047. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have given exemption to industries from licence upto Rs. 3 crore in accordance with the recommendations of Ramakrishna Committee;

(b) if so, the impact thereof on small and cottage industries; and

(c) the recommendations of the said Committee which have not yet been approved by Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (c) One of the recommendations made by the Study Group on Industrial Regulations and Procedures was to the effect that the exemption limit for industrial licensing may be raised from the present level of Rs. 1 crore to Rs. 3 crores. This recommendation has been accepted by Government. Decisions of the Government on the Report of the Study Group on Industrial Regulations and Procedures including among others the increase in the exemption limit mentioned above were laid before Lok Sabha on the 31st March, 1978. It is too early to make an assessment of the impact of the liberalisation on small and cottage industries.

TOURS OF MINISTER TO DARBHANGA AND PHULSARAI

9048. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5760 on 5-4-78 and state;

(a) whether required fare on account of use of State Government plane and motor car for the unofficial tours referred to in reply to the question has been paid; and

(b) if so, the amount of money paid in this regard and the total amount actually spent on tours made by plane and motor car ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा जनतायुग, दैनिक प्रकाश तथा प्रवाद को दिए गए विज्ञापन

9049. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ शहर से प्रकाशित जनतायुग दैनिक प्रकाश तथा प्रवाद की मार्च, 1977 तथा मार्च, 1978 के दौरान की दैनिक बिक्री संख्या के आंकड़े क्या हैं जिनके आधार पर दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा उनको विज्ञापन दिए गए ;

(ख) उपरोक्त समाचारपत्रों के दैनिक वितरण आंकड़ों की पुष्टि के लिए सम्पादकों द्वारा शासित लेखापालों के जो प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए थे उनका क्या सरकार ने सत्यापन कर लिया है; और

(ग) क्या शासित लेखापालों द्वारा बताए गए आंकड़ों का सत्यापन विभागीय तौर पर किया गया था अथवा अन्यथा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) 1977-78 के दौरान "जनतायुग" और "प्रवाद" को विज्ञापन भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा आंकी गई 1975 को उनकी प्रसार संख्या, जो क्रमशः 3,000 और 2,000 प्रतियां थी, के आधार पर जारी किए गए थे।

दैनिक "प्रकाश" विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल नहीं हैं, क्योंकि उसने विज्ञापनों के लिए आवेदन नहीं किया है।

(ख) और (ग) "जनतायुग" और "प्रवाद" ने विक्रीत प्रसार संख्या गलत दी थी और उनसे यह पूछा जा रहा है कि वे यह स्पष्ट करें कि उनको सरकार की विज्ञापन नीति के अनुसार सरकारी विज्ञापनों से क्यों न वंचित कर दिया जाए।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) बोंगाईगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन के निर्माण में विलम्ब का समाचार

श्री वेदव्रत बरुश्रा (कालियाबोर) : मैं सदन का ध्यान बोंगाईगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन बनाने में सरकार की देरी की नीति की ओर दिलाना चाहता हूं ।

यह परियोजना पिछली सरकार ने शुरु की थी । क्योंकि पहला वर्ष भूमि अधिग्रहण और मिट्टी डालने आदि में लगा इसलिये इसके लिये केवल 2 करोड़ की लघु राशि स्वीकृत की गई । परियोजना की पूर्ति के लिये अगले 2 वर्षों में अधिक राशि दी जानी चाहिये थी । परन्तु जनता सरकार ने इसे घटा कर 1.50 करोड़ रुपये कर दिया है । इस वर्ष भी रेल मंत्री ने कहा है कि सरकार इस परियोजना पर विचार कर रही है ।

इस प्रकार एक पूर्व स्वीकृत परियोजना की उपेक्षा करने का हम घोर विरोध करते हैं । उत्तर पूर्वी भाग में रहने वाले करोड़ों लोगों के प्रति उदासीनता का रुख अपनाये जाने पर हमें गहरा खेद है । रेल मंत्री तुरन्त इस खामी को दूर करें और चालू वर्ष में इस योजना के लिये कम से कम 13 करोड़ रुपया निर्धारित करें । ताकि इसे दो वर्ष में पूरा किया जा सके ।

(दो) डा० राजेन्द्र प्रसाद टी० बी० अस्पताल दिल्ली में डाक्टरों और नर्सों की कमी का समाचार

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Dr. Rajendra Prasad T.B. Hospital, Delhi is not running properly. The number of doctors there is very inadequate. The result is that they cannot devote more than a minute to one patient. Several patients have developed mental illness as a result of neglect and disappointment. During the last year 4 patients had committed suicide. It is therefore, very necessary that the numbers of doctors should be increased and the administration of the Hospital is improved. This matter requires immediate attention of the Government.

(तीन) शाह आयोग के पहले अन्तरिम प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने की आवश्यकता

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : समाचारपत्रों में छपा है कि शाह आयोग ने अपना दूसरा अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है आयोग के प्रथम अन्तरिम प्रतिवेदन में बताये गये अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिये अब सरकार के लिये यह अविलम्बनीय रूप से जरूरी है कि प्रतिवेदन और साथ में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन सभा पटल पर रखा जाये ताकि लोक सभा, जो कुछ दिन बाद स्थगित होने वाली है, वर्तमान सत्र की समाप्ति से पहले इस विषय पर चर्चा कर सके ।

(चार) ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर के बन्द कर दिए जाने का समाचार

SHRI RAM SEWAK HAZARI (Rasra) : The Thakur Paper Mills, Samastipur has been closed since 23rd March, 1978. The management has declared lay-off as a result of which 519 workers have been rendered jobless and their families are facing the problem of making both ends meet. It is therefore in the fitness of things that Government should take over this mill, and lift lay-off and take action against the management. Otherwise an explosive situation may develop between the dissatisfied workers and the management.

(पांच) सिंगरेनी कोयला खानों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल का समाचार

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं सिंगरेनी कोयला खानों में श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । श्रमिक 14 अप्रैल, 1978 से हड़ताल पर हैं और अब यह हड़ताल रामगुंडम खानों में भी फैल गई है । हड़ताली श्रमिकों की मांगों में अनिवार्य जमा राशि की वापसी शामिल है । जनवरी के महीने में खम्म जिले की तूफान ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । कर्मचारियों ने राहत के रूप में अपनी अनिवार्य जमा राशि के भुगतान की मांग की । इसे वहां के राज्य विधान सभा विधायक ने अनुप्रमाणित किया और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने इसका अनुमोदन किया । परन्तु वित्त मंत्रालय ने बीच में न आने का निर्णय किया और निर्णय करने में विलम्ब किया ।

सिंगरेनी कोयला खानों के अन्य क्षेत्रों में भी हड़ताल फैल गई है । कोयले के उत्पादन का काम ठप्प हो गया है । ऊर्जा मंत्री को इस पर तुरन्त ध्यान देना चाहिये और कोयले के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिये राशि के भुगतान की तुरन्त स्वीकृति दिलानी चाहिये ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कागज (संरक्षण और इस्तेमाल का विनियमन) आदेश के अधीन अधिसूचना और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की वर्ष 1976-77 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कागज (संरक्षण और इस्तेमाल का विनियमन) आदेश, 1974 के खण्ड 5 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सां० आ० 276 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2223/78]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक एक प्रति :—

(1) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2224/78]

केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋण जारी करने संबंधी अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋण जारी करने के बारे में दिनांक 2 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 (2) डब्ल्यू० एण्ड एम० / 78 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखियें संख्या एल० टी० 2225/78]

नारियल जटा बोर्ड के कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : मैं नारियल जटा बोर्ड के कार्यकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण के सम्बन्ध में (1) वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन और (2) 1 अप्रैल, 1977 से 30 सितम्बर, 1977 की अवधि के अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2226/78]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में सरकार द्वारा आयोग की सलाह न मानने के कारण बताने वाला ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2227/78]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं श्री जुल्फिकारुल्ला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विमान संचालक उद्यमों की आय को दोहरे कराधान से बचाने के लिये भारत गणराज्य की सरकार और समाजवादी इथोपिया की अन्तरिम सैनिक सरकार के बीच हुए करार के बारे में अधिसूचना

संख्या सा० सां० नि० 8 (ड़) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 4 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 2228/78]

(2) अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 159 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 4 जनवरी, 1978 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 8 (ङ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 2229/78]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आगरा में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने का समाचार

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

> "Reported arrest of some Scheduled Caste persons on 15th April, 1978 while they were going in procession to observe the birthday of late Dr. Babasaheb Ambedkar through the streets of Agra and subsequent acts of violence and police firing and imposition of curfew and calling in of the army on May 1, 1978."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : Sir. The deplorable incidents of violence in Agra have caused understandable concern and deserve strong condemnation.

According to reports received from the Government of U.P., when a procession taken out on the eve of the birth anniversary of Dr. Ambedkar on 14th April, 1978, was passing through Rawatpara and Peepal Mandi in Agra, there was some stone throwing and damage was caused to some shops. The police intervened and the procession passed off peacefully. Under the aegis of Dr. Ambedkar Jayanti Samiti some persons proposed to take out a procession on 23rd April, 1978, on the same route which was opposed by the shop keepers of Rawatpara and Peepal Mandi. In view of the prevailing tension, the district authorities suggested to the sponsors of the procession to take an alternative route and also imposed prohibitory orders under section 144 Cr. P.C., as a precautionary measure. A procession of about 3,000 persons was taken out on 23rd April, 1978 and after some persuasion the leaders of the procession appeared agreeable to avoid the prohibited area. However, when the procession reached the vicinity of Rawatpara and Peepal Mandi, the crowd became violent and attempted to break the police cordon and force its way towards the prohibited area. The police fired tear gas shells and made a mild lathi charge to disperse the crowd. 35 persons were arrested.

On 1st May, 1978, about 80 persons reportedly belonging to the Jatav community demonstrated at the Collectorate, entered the court of the Additional District Magistrate, indulged in rowdyism, broke glass panes, damaged furniture and assaulted a clerk of the Court. The police intervened and arrested the demonstrators. When the arrested persons were being shifted to the police station, about 100 demonstrators, who had since collected at the spot became violent and the police dispersed them by brandishing lathis. A section of the crowd, while dispersing set fire to a Roadways but which was passing through. Some demonstrators indulged in heavy brickbatting of the police. One of the demonstrators allegedly fired on a police Inspector and the police officer returned the fire in self-defence killing him on the spot. A number of scooters and buses were set on fire. An attempt was made to attack the regional workshop of the Roadways and set fire to a Power House, a Branch Post Office as well as a Petrol Depot of Indian Oil but these were foiled by timely intervention by the police. In view of the continued brickbatting from the housetops and widespread attempts to damage public property, the police opened fire at two places to control the situation. Curfew was imposed and the Army was called out to help the civil administration. 5 persons were killed and 34 persons from the public admitted to hospital with injuries as a result of incidents on the 1st of May. 4 policemen have also been admitted to hospital and the condition of two of them is reported to be serious.

The curfew was relaxed yesterday from 5 A.M. to 7 P.M. but no untoward incident was reported during this period. However, when a police party went to Jagdishpura to announce the reimposition of curfew in the evening, some miscreants set up road blocks, indulged in heavy brickbatting and fired on the police vehicle from housetops. The police returned the fire in self defence resulting in the death of one person and serious injuries to another, who succumbed to the injuries this morning. The death toll in these incidents has thus risen to seven. Some persons also pelted stones on a cinema building and set fire to a nearby wood 'Tal' in the evening. The police intervened and chased away the miscreants.

The curfew has again been relaxed this morning from 5 A.M. in all localities except Jagdishpura. Central Government have rushed units of C.R.P. at the request of the State Government. The situation is reported to be under control and gradually returning to normal.

DR. RAMJI SINGH : This is not a matter of concern to the Janata Party Government alone but to the entire country. The Administration did not take any action during the 15 days after which the later incident took place. When the situation went out of control the military also had to step in. I have been told by Shri Chaturvedi, M.P., that some miscreants threw stones on the procession being taken out to celebrate the birthday of late Dr. Ambedkar. It was natural for the processionists to retaliate and they staged satyagraha. According to the police statement they numbered only 100. They could easily be arrested and this firing could have been avoided.

The whole thing was preplanned.

Does it not show the inactivity of the Administration which slept over the issue for 15 days when it took an ugly turn. I want to know from the hon. Minister whether Government had also since set up a peace committee like the peace Committee formed by Shri Chaturvedi ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : This is not true. There was large-scale arson, fire arms were used and buses, petrol pumps, post offices etc. were burnt. It is not true to say that stones were exchanged due to police firing.

It is also not correct to say that Government did not take any action during the intervening fifteen days. On the 14th April there was some stone throwing incidents and the police intervened so that the procession could pass off peacefully. On the following day also police intervened and the procession passed off peacefully. Police did not take action in order to avoid tension on the 23rd April the processionists were asked not to take the Rawatpara and Peepal Mandi market route because of the opposition of the shopkeepers of the area and instead take an alternative route to avoid tension. They also agreed to it. But after reaching there they violated the prohibitory orders and took law into their own hands. From 24th to 29th they staged satyagraha. They were treated very politely and 220 of them were released unconditionally. But on 1st May they turned violent after entering the court and damaged it. Then also they were simply arrested. But why they were being taken to jail at 8 places arson and firing took place simultaneously. When people's lives were in danger, there was no other alternative to firing by police.

SHRI D. G. GAWAI (Buldana) : The statement given by the Minister is a lie. They had applied to the ADM seeking permission to take out a procession on the 14th. When the procession reached at the crossing of Peepal Mandi the shopkeepers threw stones on them. But the police did not intervene. Nobody was arrested. Stones were thrown at the photograph of Dr. Babasaheb Ambedkar which naturally hurt their feelings and they made their way towards the court but the police stopped them.

On 23rd they staged a peaceful Morcha in protest of the injustice done to them. But then again police lathi-charged them and 500 persons were injured as a result thereof.

In order to get justice they were forced to start an agitation and started going to the Court of the Collector to get themselves arrested. They did not want to pick up a quarrel. They simply wanted justice. This agitation continued till 29th. 30th being a Sunday the court was closed. On 1st May they went there to submit an application, not to break furniture or cause other damage to the Court but to give vent to the injustice done to them. The police prevented them from submitting the application and severely lathi-charged them. The fled in order to save their lives but the caste people caught and beat them. The police aided the caste people and lathi-charged and fired on the Scheduled caste people. The next day the police opened fire in Harijan colonies resulting in the death of 15 persons. The ADM Raj Kumar Kunwar and Vivek Narain Channa instigated the people to commit atrocities on the Harijans. Therefore, these two officers should be arrested or suspended in the first instance.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : The throwing of stone on the 14th is condemnable. But the shops of the local people were destroyed in the melee, which is also condemnable. The procession of 23rd and the subsequent events need no explanation.

SHRI SHIV SAMPATI RAM (Robertsganj) : Everything was preplanned and it was on the question of reservation for Scheduled Castes. The police failed to take precautionary measures and precipitated this situation. The facts are not what they are being made out.

SHRI DHANIK LAL MANDAL : I am quoting the Prime Minister. He has said that we are ashamed because of the atrocities being committed on Harijans. But the Harijans should face them through peaceful means, like satyagraha, the way shown to us by Gandhiji.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : The facts which have come to light show that it was a deep-rooted and preplanned conspiracy. Those who were responsible for violence must be brought to book. I want to know from the Hon. Minister whether some punishment has been given to such elements or not ? There must be some balance between personal liberty and absolute freedom. I understand that there was no responsible officer at the site of the occurrence. If there had been some responsible officer, the incident would not have taken place. Therefore, my demand is that some action should be taken against the Senior Officers.

The second thing which I want to know is whether there is some political hand behind the incident ? Thirdly the Hon. Minister should State whether some advice has been given to the state Government to call a meeting of all the parties and work out a solution ? The House may also be informed as to the number of goondas arrested in this connection, for the Hon. Minister has stated that some action has been taken in 15 days. Also the names of the places where Section 144 has been promulgated, whether with the other precautionary measures taken be stated so that such awkward incident may not recur ? If nothing have been done, whose failure it is ? Whether Government intend to have some inquiry in this connection ?

SHRI DHANIK LAL MANDAL : About 35 persons were arrested.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Did they belong to the goonda element ?

अध्यक्ष महोदय : बार बार वही बात न कहते जाइये। माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर दीजिए। यदि कोई जानकारी आपके पास नहीं हैं, तो कहिये कि आप इसे प्राप्त करेंगे।

श्री धनिक लाल मंडल : इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

पंचवर्षीय योजना, 1978-83 के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव

MOTION *RE*. DRAFT FIVE YEAR PLAN, 1978-83

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री द्वारा किए गए इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी :

"यह सभा पंच वर्षीय योजना 1978-83 के प्रारूप पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पंच वर्षीय योजना 1978-83 के प्रारूप पर, जो कि 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया है, विचार करती है।"

योजना का जो प्रारूप इस समय सदन के समक्ष है, उस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचार हुआ था। एक वर्ष के लिए उसे पारित कर दिया गया था और बाकी बातों पर आग विचार होगा। उस समय राज्यों से विचार विमर्श का समय नहीं था, अतः यही ठीक समझा गया कि वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद इस पर विचार करना ठीक रहेगा। अब नवम्बर में पुनः राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक होगी, और इस पर पुनः विचार किया जायेगा। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना को इस वर्ष समाप्त हो जाना था। परन्तु हम अभी प्रायमिकतायें निर्धारित करने जा रहे थे। ग्राम विकास की दिशा में भी नये आयाम स्थापित किये जा रहे थे। अतः यह जरूरी समझा गया कि एक वर्ष नष्ट न किया जाय और पांचवी पंचवर्षीय योजना को गत वर्ष ही समाप्त कर दिया जाय। अतः अब यह वर्ष इस योजना का प्रथम वर्ष है। इस बार की योजना 116000 करोड़ रुपये की है, जिसमें से 69000 करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र का होगा।

यह तो हम नहीं कह सकते कि पिछली योजनाओं से देश का विकास नहीं हुआ। यह इससे कुछ उपलब्धियां नहीं हुई। फिर भी जो अनुभव हुये हैं, वे हमारे सामने है। हम बेरोजगारी कम नहीं कर सके। योजना और विकास का 60 प्रतिशत से अधिक लाभ-जनता तक नहीं जा सका। अपेक्षित ग्राम विकास भी नहीं हो पाया। अब योजना के प्रारूप में इन बातों को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही अन्वरत योजना का प्रस्ताव भी है ताकि योजना का मूल्यांकन साथ साथ चलता रहे। साथ ही इसके कार्यान्वियन पर भी नजर रखी जा सके। अभी तक यह शिकायत रही कि योजनायें अच्छी थीं परन्तु उनका कार्यान्वियन प्रभावी नहीं था। राशि तो बहुत बड़ी खर्च कर डाली गई, मगर गरीब वर्ग को उसका वह लाभ प्राप्त न हो सका जो होना चाहिये था। अतः यह जरूरी समझा गया कि प्रति वर्ष इसकी कार्यान्विति देखी जाए। उसके आधार पर इस बात का अनुमान लगाया जाये कि कमिया क्या रह गई हैं। और इस तरह प्राथमिकतायें निश्चित करके कमियों को दूर किया जाए।

इसके बाद लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER *in the Chair.*

पंचवर्षीय योजना 1978-83 के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION *RE*: DRAFT FIVE YEAR PLAN, 1978-83—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : हम बेकारी को दूर करने के लिए सब से अधिक जोर दे रहे हैं। यह इस लिए कि हम गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं। लोगों की कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करने का का हमारा कार्यक्रम है। बेकारी को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सके और ग्रामीण लोगों की जरुरतों पर ध्यान देने का हमारा विचार है। अतः इसके लिए धन आवंटन किया गया है। आगामी पांच वर्षों में पेय जल की व्यवस्था करने, अशिक्षा दूर करने, गंदी बस्तियों में सुधार लाने, भूमि हीनों, मजदूरों और अन्य प्रकार के श्रमिकों को मकान देने और स्वास्थ्य सम्बन्धी पहले से अधिक ध्यान की योजना बना रहे हैं। इस बार कुल 33000 करोड़ की व्यवस्था कृषि तथा ग्राम विकास के लिए की गई है, जो कि कुल योजना का 43 प्रतिशत है। यह अब तक की योजनाओं में रखी गई राशियों में सब से अधिक हैं न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी करने के लिए अब हमनें 42700 करोड़ रुपया रखा है जबकि 1974-78 के बीच इस उद्देश्य के लिए 800 करोड़ रखा गया है। गत 30 वर्षों में इस उद्देश्य के लिए उतनी राशि कभी नहीं रखी गई।

इस समय इरादा यह है कि आगामी पांच वर्षों में पेय जल के अभाव वाले लगभग सभी गांवों में पेय जल उपलब्ध कराया जाय। इस समय देश के केवल 10 प्रतिशत गांवों में पेय जल उपलब्ध है। इनकी संख्या 64000 हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की उपलब्धि के लिए 675 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त गत 30 वर्षों में केवल 50 लाख गन्दी बस्तियों में रहने वालों को लाभ पहुंचा है। इस योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए 190 करोड़ रुपये रखे गये हैं। इससे 130 लाख लोगों को लाभ होगा। ग्रामीण आवास योजना से 80 लाख भूमिहीनों को लाभ होगा। उनके लिए विकसित प्लाट, पेय जल और सप्लाई की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। 6 से 14 वर्ष के आयु के 90 प्रतिशत बच्चों के लिए योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की सुविधायें दी जायेंगी। प्रस्ताव है कि 1 करोड़ 60 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध होगी। पांचवीं योजना की तुलना में यह दुगुनी होगी। विद्युत्त में 18500 मेगावाट बिजली और जोड़ने का प्रस्ताव है जोकि गत 25 वर्षों के दौरान जोड़े गये विद्युत्त के लगभग है।

कहा गया है कि उद्योग की उपेक्षा कर दी जायेगी और सरकारी क्षेत्र कमजोर कर दिया जायेगा। यह बिल्कुल गलत है। सरकारी क्षेत्र को शुद्ध और प्रभावी बनाया जा रहा है। हम किसी भी प्रकार के उद्योग की उपेक्षा नहीं कर रहे, चाहे वे बड़ा उद्योग हो अथवा छोटा। किन्तु हमें ग्रामोद्योगों तथा कुटीर उद्योगों की तरफ अधिक ध्यान देना है और वे भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। इस कार्य को सब से अधिक प्राथमिकता दिये

जाने का विचार है। कुछ भी हो, इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि हमारी निर्धनता, बेरोजगारी तथा आर्थिक विकास की समस्यायें इतनी गहरी तथा व्यापक हैं कि उनका समाधान करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। अतः इसके लिए समय को भी ध्यान में रखा जा रहा है। यह कार्य सरल कार्य नहीं है, फिर भी हमें यह करना है । यह कार्य कैसे कार्यान्वित होता है, बहुत कुछ इस पर आधारित है। लोगों को यह महसूस हो कि कुछ हो रहा है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव हो कि जीवन सन्तोषजनक है।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : देश के समक्ष इस समय जो दस्तावेज हैं उसकी कार्यान्विति पर देश का भविष्य निर्भर करता है। राष्ट्रीय आयोजन सदैव साहस और चिन्ता का मामला रहा है। स्वतन्त्र होने से पूर्व भी हमारे समक्ष आयोजन की एक धारणा थी। जब कभी देश में पंचवर्षीय योजना को अपनाया है तो उस पर विस्तृत रूप से राष्ट्रव्यापी चर्चा हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं दिखाया गया। अपनाई जाने वाली योजना पर राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। प्रधान मंत्री ने सभा को बताया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकताओं, दिशाओं आदि देने के लिए लीक से कुछ हटना पड़ेगा। यदि ऐसी बात हो तो फिर यह भी नितान्त आवश्यक है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष यह दस्तावेज पेश करने से पहले इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। किन्तु खेद की बात है कि इस योजना के बारे में ऐसी प्रारम्भिक कार्यवाही नहीं की गई है। इसका यह परिणाम हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस योजना का अनुमोदन नहीं किया।

राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रतिवेदन में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्राथमिकताओं, जन शक्ति तथा रोजगार सम्भावना स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस पर और अधिक चर्चा करनी पड़ेगी। यहां तक कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने प्रावधानों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।

हमारी आयोजना के फलस्वरूप देश काफी लाभान्वित हुआ है। योजना आयोग ने कहा है कि अब हमारा खाद्यान्नों का उत्पादन इतना बढ़ गया है कि हम इस मामले में आत्म निर्भर हो गए हैं। अब दुगनी भूमि पर सिंचाई होने लगी है। भारत की औद्योगिक क्षमता का विविधीकरण तथा विस्तार हो गया है, जिसमें सरकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश सभी उपभोक्ता वस्तुओं तथा इस्पात तथा सीमेंट जैसी बेसिक वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है जबकि उर्वरक जैसे अन्य उद्योग तेजी से विकास कर रहे हैं। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई है। उत्पादन लगभग तिगुना हो गया है। तेल तथा गैस की खोज के कार्य में सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है। भारत का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। हमारी विदेशी मुद्रा की स्फिति में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिणाम सामने आये हैं। विज्ञान के मामले में हमारा विश्व में तीसरा स्थान है। अमरीका तथा अमरीका के बाद हमारा नम्बर आता है । औसत आयु 32 वर्ष से बढ़कर 46 वर्ष हो गई है। प्रारम्भिक शिक्षा का पर्याप्त विस्तार हुआ है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग की यह बात सही नहीं है कि आयोजना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है।

पिछली योजनाओं तथा इस योजना में निर्धारित लक्ष्यों में भिन्नता है। इन लक्ष्यों में आत्म-निर्भरता को बात को त्याग दिया गया है जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद ने आत्म निर्भरता पर जोर दिया है।

योजना आयोग ने कृषि में कुछ दोष बताए हैं। हमारे यहां तिलहनों तथा कपास का पर्याप्त उत्पादन नहीं है। इसलिए हमें इन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन स्थिर है। जनसंख्या की वृद्धि के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। यह अब स्थिर नहीं है। उन्होंने यह दूसरा पहलू बताया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता है। 20 प्रतिशत निम्न स्तर के लोग 9.5 प्रतिशत का उपभोग करते हैं जबकि 20 प्रतिशत समृद्ध लोग 38 प्रतिशत का उपभोग करते हैं।

जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप कुटीर उद्योग में लगे हुए गरीब लोगों की आमदनी कम हुई है। इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण आर्थिक शक्ति केवल कुछ औद्योगिक गृहों के हाथों में एकत्रित हो गई है। हमने अनुसंधान कार्य पर जो खर्चा किया है वह भी

हमारी सामाजिक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में पर्याप्त नहीं रहा, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मांग उससे अधिक रही है। अब वह इन्हीं त्रुटियों को दूर करना चाहते हैं। अब इन त्रुटियों को दूर करने के प्रयत्नों के फलस्वरूप वह सम्पूर्ण आयोजन ढांचे में फेर बदल करना चाहते हैं।

अब हम यह देखेंगे कि वह इन त्रुटियों को कैसे दूर करते हैं। उनका पूर्ण या मुख्य उद्देश्य यही है। उनका मुख्य उद्देश्य रोजगार उपलब्ध करवाना तथा बेरोजगारी दूर करना है। यह मुख्य रूप से दो पहलुओं पर अधिक ध्यान देना चाहते हैं—प्रथम तो वह कृषि को अधिक महत्व देना चाहते हैं, तथा दूसरे वह कुटीर तथा लघु उद्योगों, वह परम्परागत उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देना चाहते हैं। उनकी यह धारणा है कि केवल इन पहलुओं पर ही अधिक बल देने से बेरोजगारी की समस्या का हल हो जायेगा।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, उसके बारे में इनकी शिकायत यह रही है कि हम उसकी अवहेलना करते आये हैं। परन्तु वास्तविक स्थिति क्या है? हमने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 37,000 करोड़ के आबंटन में से 4,302 करोड़ रुपया कृषि के लिए आबंटित किया है। इसी प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना के लिए किये गये कुल 69,000 करोड़ रुपये के आबंटन में से 8,600 को करोड़ रुपये कृषि पर खर्च किये जा रहे हैं। प्रतिशतता लगभग वही है। इसमें केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। क्या इसी बात को अधिक बल देना कहा जाता है? तथ्य तो यह है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि पर अधिक बल प्रतिशोध की भावना से दिया जाने लगा। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनायें कृषि के लिए बनाई गई। उस समय हमने यह महसूस किया कि हम केवल कृषि से ही आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, उसके लिए हमें औद्योगिक आधार भी तैयार करना होगा। जब तक हमारे पास उर्वरक, मशीनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, ऊर्जा शक्ति आदि नहीं होंगे, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। इसीलिए अन्य क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाने लगा। अब वह कार्य पूरे किये जा चुके हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना से प्राप्त होने वाले लाभों के बाद, अब फिर कृषि तथा लघु उद्योगों पर ही बल दिया जा रहा है। परन्तु जब कृषि पर अधिक बल देने की बात की जाती है तो भारी उद्योगों की मांगों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। यह उद्योग वास्तव में वह आधार हैं जिन पर देश की आत्मनिर्भरता को खड़ा किया जा सकता है। हम इसी पर बल देने के लिए आग्रह कर रहे हैं।

इनका कहना है कि विशेष बल कृषि पर दिया जा रहा है क्योंकि उसी से अधिक रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या कृषि पर अधिक ध्यान देने से बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। परन्तु बेरोजगारी की समस्या का समाधान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि भूमि की मलकियत, तथा मालिक, काश्तकार, सम्बन्धों से सम्बद्ध सम्पूर्ण व्यवस्था का पुनर्गठन नहीं किया जाये। भूमि का आबंटन नये सिरे से किया जाना चाहिये। राष्ट्र को इस समय भूमि सुधारों की आवश्यकता है परन्तु राजनीतिज्ञों की ऐसा करने की इच्छा नहीं है। जहां कहीं भी यह इच्छा है, और यह इच्छा जहां कुछ राज्यों है, वहां काफी हद तक भूमि सुधार कर दिये गये हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार की ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा है? जब तक ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा नहीं होगी, जब तक यह परिवर्तन नहीं लाया जाता तब तक इस कार्य पर खर्च की जाने वाली भारी धनराशि के फलस्वरूप केवल कुछ ही लोगों के हाथ में सारा धन एकत्रित हो जायेगा।

जहां तक छोटे उद्योगों का सम्बन्ध है, आज उनके लिए अधिक आबंटन किया जा रहा है परन्तु छोटे क्षेत्र में केवल अधिक आबंटन से अधिक महत्व नहीं होता है। यह बात नहीं है कि इससे पहले की योजनाओं में इनके लिए कुछ नहीं किया गया था। परन्तु तथ्य तो यह है कि केवल अधिक धन देने से छोटे उद्योगों को आरम्भ करने के कार्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

यह कहा गया है कि जिला स्तर पर औद्योगिक केन्द्रों का विकास किया जायेगा। यह कोई नई बात नहीं है। पांचवीं योजना के दौरान ही परामर्श सेवाओं की व्यवस्था मोटे रूप से आरम्भ कर दी गई थी। इन जिला स्तर के केन्द्रों का उद्देश्य यही सेवायें उपलब्ध करवाना है। परन्तु इसमें भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन लोगों पर इन सेवाओं को चलाने का कार्यभार सौंपा जा रहा है क्या वह लोग औद्योगिक उद्यमियों को अपेक्षित सहायता देने के योग्य होने चाहिए।

यह अच्छी बात है कि छोटे पैमाने के उद्योगों, सिंचाई सुविधाओं, आदि का विकास किया गया है किन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि उनका बड़े उद्योगों के प्रति क्या रवैया है। प्रधान मंत्री ने बताया है कि सरकारी

क्षत्र सभी बड़े उद्योगों के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा किन्तु योजना दस्तावेज में तो की गई व्यवस्था इसके सर्वथा विपरीत है। यह कहा गया है कि अधिक पूंजी निवेश वाले उद्योग बन्द कर दिये जाने चाहिए । केवल निर्माणाधीन योजनाओं को ही जारी रखा जायेगा। इस दिशा में कुछ नयी बात नहीं की गई है।

पांचवीं पंचवर्षिय योजना में और अपनी भावी योजना में हमने महसूस किया कि इस्पात का जितना उत्पादन हम आज कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है; भविष्य में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इसे तीन-गुना या चार गुना बढ़ाया जाना चाहिये। यदि सरकार जैसा चाहती है उस तरह से कृषि विकास किया जाता है तो इस्पात की सप्लाई की कमी होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिष्ठापित क्षमता पर्याप्त नहीं होगी। म डर है कि हम अब पीछे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

इसके अलावा कुछ शरारतपूर्ण सुझाव भी दिये गये हैं। स्पर्धा चालू करने के लिए जिसे गुण प्रकार में वृद्धि होगी और मूल्यों में कमी होगी, कुछ ऐसे निर्धारित क्षेत्रों में आयात को उदार बनाने का प्रस्ताव है जहां ऐसी प्रतियोगिता की आवश्यकता महसूस की गई है। इस प्रकार उन क्षेत्रों में भी, आयात को उदार बनाया जायेगा जहां पर हम उत्पादन केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे मूल्य थोड़े ऊंचे हैं। अतः जिस सामान से देश आत्मनिर्भर है और जिसका वह निर्यात कर सकता है, इन क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता का और विस्तार बन्द करके सरकार उस सामान का आयात करने का प्रयास कर रही है और इस प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जायेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो औद्योगिक यूनिटों को कतिपय विशिष्ट उत्पादन क्षेत्रों में सीमित अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में मुकाबला नहीं कर सकते, बन्द कर दिया जायेगा। पूंजीगत माल की कमी की पूर्ति के लिये अपने औद्योगिक आधार का विस्तार करने के बजाये विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जायेगा । यह स्थिति उभरती जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्तियां अपने लिये भारत के द्वार खुले रखेंगी और इन क्षेत्रों में मनमानी कार्यवाही करेंगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि 40 प्रतिशत इक्विटी राशि के मुकाबले 60 प्रतिशत डिसपर्स्ड पूंजी के साथ वे सारी स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगी। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर नियंत्रण करने के लिये शेयरों का विकेन्द्रीकरण करने से काम नहीं चलेगा।

शिक्षा के बारे में योजना में यह निर्धारित किया गया है कि माध्यमिक स्कूलों का पूरा उपयोग किया जायेगा। जहां तक सम्भव होगा नये संस्थानों की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी भी नये विश्वविद्यालय, कालेज, तकनीकी संस्थान और इंजीनियरिंग कालेज की अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि उनके अनुसार उत्पादन मांग से बढ़ गया है। वे मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा और प्रारम्भिक शिक्षा पर जोर दे रहे हैं।

जहां तक संसाधनों का सम्बन्ध है, हमने विदेशों पर निर्भर न रहकर आत्म-निर्भरता का आधार अपनाया है। हमने देखा है कि देश में घाटे की अर्थ व्यवस्था चल रही है। यह रोजमर्रा की बात हो गई है। पांचवीं पंचवर्षिय योजना में यह अनुमान था कि 1978–79 में विदेशी सहायता सम्बन्धी हमारी आवश्यकता 790 करोड़ रुपये की होगी। उसके बाद विदेशी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बदले में योजना को आगे बढ़ाने के लिए 5954 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का विचार व्यक्त किया गया। इसी कारण हमने कहा है कि आत्म-निर्भरता की ओर कार्यवाही नहीं की जा रही है। हमें एक उपनिवेशी देश बनाया जा रहा है। हमारी सीमायें बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोली जा रही हैं। विदेशी देश हमारी वित्तीय सहायता कर रहे हैं। उसके बाद ब्याज चुकाने की बात उठेगी। यह स्थिति पैदा होने जा रही है।

देश में स्थिति इतनी अस्पष्ट है कि इस योजना के बारे में कोई राष्ट्रीय सर्वसम्मति या सहमति नहीं है। मेरे विचार में यह एक अत्यन्त प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी योजना है जिसका उद्देश्य देश को हानि पहुंचाना है और इसे उपनिवेशवादी काल में, जहां से इसे निकाला गया है, वापस ले जाना है। इस योजना में जो मूल प्रवृत्ति है उसका वे सभी राजनीतिक दल विरोध करेंगे जो लोगों की भलाई चाहते हैं। अब यह प्रतिरोध आरम्भ हो गया है और यह बढ़ता जायेगा। सरकार को देश की आत्मनिर्भरता समाप्त नहीं करनी चाहिए। यह देश के प्रति अपराध होगा और जो कुछ हमने किया था वह भी नष्ट हो जायेगा।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) :—मैं प्रस्ताव करता हूं :—

1 कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद खेद व्यक्त करती है कि उसमें उड़ीसा की अपर इन्द्रावती बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधान मंत्री ने 9 अप्रैल, 1978 को किया था तथा उसे निश्चित अवधि के अन्दर शीघ्र पूरा करने के बारे में उन्होंने समारोह में अपने भाषण पर जोर दिया था, का कोई उल्लेख नहीं है, और सुझाव देती है कि प्रारूप के पृष्ठ 172 पर अपर इंद्रावती परियोजना को नई परियोजनाओं के अन्तर्गत "85 (क)" के रूप में वर्गीकृत किया जाये।"

2 कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद खेद व्यक्त करती है कि उड़ीसा के अत्यधिक पिछड़े दक्षिणी क्षेत्र के लिये एक पृथक विकास बोर्ड बनाने, उस क्षेत्र के विकास व्यय के लिये समुचित राशि का नियतन करने तथा तकनीकी शिक्षा और वयावसायिक प्रशिक्षण तथा सेवाओं में रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करने लिये पर्याप्त सुविधायें देने हेतु समुचित प्रबन्ध करने के लिए संवैधानिक संरक्षण (जैसा अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के मामले में हैं) देने का कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

4. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद और योजना के प्रारूप में आयोजना के पिछले 25 वर्षों में कुछ मलभुत असफलताओं और पिछड़े क्षेत्रों में और जनसंख्या के अनुसूचित जातियां और, अनुसूचित जनजातियों जैसे बहुत से वर्गों में, जिन्हें प्रगति के लाभ पूरी तरह नहीं मिल सकें हैं मूल विषमताओं में वृद्धि के बारे में व्यक्त विचारों को भी जान लेने के बाद, सिफारिश करती है कि वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दस्तावेजों में अपनाई जाने वाली विशिष्ट योजनाओं, नियत विशिष्ट धन राशियों और जनसंख्या के उपर्युक्त वर्गों को योजनाबद्ध विकास के प्राप्त हुए लाभ का उल्लेख करने के लिये तथा उक्त योजनाओं के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए भी पग उठाये जायें।"

9. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद और योजना के प्रारूप में आयोजना के पिछले 25 वर्षों में कुछ मूलभूत असफलताओं और पिछड़े क्षेत्रों में और जनसंख्या के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे बहुत से वर्गों में, जिन्हें प्रगति के लाभ पूरी तरह नहीं मिल सके हैं, मूल विषमताओं में वृद्धि के बारे में व्यक्त विचारों को भी जान लेने के बाद, खेद व्यक्त करती है कि सरकार, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद् ने योजना का उक्त प्रारूप राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 और 338 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार तैयार नहीं किया है और यह सभा सरकार को आगे यह निदेश देती है कि वह उक्त प्रारूप में पिछली आयोजना की मूलभूत असफलताओं को दूर करने के लिए उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुरूप परिवर्तन अथवा रूपभेद करे।"

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

5. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद सिफारिश करती है कि व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, वर्ण और वर्ग संघर्ष, जिनसे इस देश के लोगों के मूल जीवन स्तर को खतरा है, को ध्यान में रखते हुए अधिक क्रान्तिकारी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन तथा अधिक प्रभावी उपाय किये जायें और आगे जोरदार सिफारिश करती है कि विकास की गति को तेज करने और आर्थिक गतिरोध को दूर करने तथा ऊपर वर्णित स्थिति का मुकाबला करने के लिए कदम उठाये जायें।"

6. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद खेद व्यक्त रकरती है कि प्रारूप में आर्थिक विकास, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास के बारे में किसी समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।"

7. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद खेद व्यक्त करती है कि सरकार दक्षिणी राज्यों के आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए गंगा-कावेरी को मिलाने के लिए योजना परिव्यय में, जैसा कि इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है, राशि का प्रावधान करने में विफल रही है।"

8. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद खेद व्यक्त करती है कि सरकार दक्षिणी राज्यों, विशेषकर कर्नाटक राज्य को विजयनगर इस्पात संयंत्र और पन बिजली तथा ताप बिजली परियोजनाओं को कार्यरूप देने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता देने और मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में विफल रही है जिससे इस राज्य की वित्तीय स्थिति में गतिरोध पैदा हो गया है और विकास की गति बहुत धीमी पड़ गई है।"

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

10 कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद योजना आयोग को निदेश देती है कि वह योजना को धन प्रधान बनाने के बजाय कार्य-प्रधान बनाये, भयंकर बेकारी और अर्ध-बेकारी को अविलम्ब समाप्त करने के लिए वर्षवार मास्टर प्लान बनाये और गांवों की भयंकर गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सिंचाई, बिजली और छोटे उद्योगों का अगले पांच वर्षों में जाल बिछाने के लिये योजना के धन का कम से कम 65 प्रशितशत भाग आबंटित करें।"

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : मै प्रस्काव करता हूं :—

11. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये ; अर्थात :–

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद सिफारिश करती है कि प्रारूप में (एक) कुल वार्षिक

कृषि उत्पाद के मूल्य की 1 प्रतिशत राशि के बराबर राशि कृषि अनुसंधान के लिये नियत करने, (दो) बुवाई से पहले कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने तथा किसानों को सहायता के लिये विपत्ति राहत निधि आरम्भ करने के लिये कृषि उत्पाद मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना करने और (तीन) नर्मदा पर नवगांव बांध तथा उससे संबंधित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के कार्मों को प्रारूप में शामिल करने के लिए इस में उपयुक्त परिवर्तन किये जायें।"

12. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"कि यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद सिफारिश करती है कि मूंगफली का उपयोग तेल की बजाय प्रोटीनयुक्त भोजन के रूप में करने हेतु प्रारूप में उपयुक्त संशोधन किया जाये।"

13. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"कि यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, सिफारिश करती है कि प्रारूप में ऐसी कृषि नीति जिसका उद्देश्य मोटे अनाज के बजाय अधिक पौष्टिक अनाज पैदा करना हो, को शामिल करने के लिये उपयुक्त संशोधन किया जाये।"

14. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"कि यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद सिफारिश करती है कि प्रारूप में वे सब आवश्यक उपाय शामिल किये जायें जिनसे देश में उपलब्ध हर बूंद पानी का संग्रह और सदुपयोग किया जा सके और पानी की बर्बादी को पूर्णतया रोका जा सके।"

15. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"कि यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, सिफारिश करती है कि प्रारूप में तम्बाकू और छोटे रेशे की कपास के उत्पादकों की सहायता के लिये उपाय अवश्य शामिल किये जायें।"

16. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"कि यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, सिफारिश करती है कि राजनीतिक दलो द्वारा कार्मिक संघों के उपयोग और कार्मिक संघ क्षेत्र में राजनीतिक तत्वों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था करने हेतु प्रारूप में उपयुक्त संशोधन किया जाये।"

श्री दाजीबा देसाई (कोल्हापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

17. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद खेद व्यक्त करती है कि (एक) मूल्य नीति, (दो) बिजली के लिए टैरिफ दरों और कृषि-उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद के मूल्यों के सम्बन्ध में कृषि और उद्योग के बीच भेदभाव जारी है।"

18. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद सिफारिश करती है कि उत्पादन लागत और जीवन निर्वाह लागत के आधार पर कृषि उत्पादों के लाभप्रद मूल्यों की गारन्टी दी जाये और कृषि उत्पादों की खरीद और वितरण करने के लिए आवश्यक तंत्र की स्थापना की जाये।"

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

19. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद खेद व्यक्त करती है कि नीति निर्णय के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों सें यह अपेक्षा की जाती थी कि वे उनसे सम्बन्धित क्षेत्रों में आदिमजातीय विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को बनाये परन्तु अभी तक किसी मंत्रालय ने आदिमजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिये राशि नियत नहीं की गई है, हालांकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है और पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजना चल रही है तथा प्रारूप में उन मंत्रालयों के नामों का कोई उल्लेख नहीं है जिन्होंने इन क्षेत्रों के लिए राशि नियत की है।"

20. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद खेद व्यक्त करती है कि प्रारूप में किसी केन्द्रीय मंत्रालय के नाम का उल्लेख नहीं है जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय स्तर पर राशि का उपयोग नियतन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए न हो, बजट में कार्यकरण के आधार पर पृथक शीर्षक की प्रणाली आरम्भ की हो अथवा अगले वित्तीय वर्ष से आरम्भ करना चाहता हो और इस दस्तावेज में योजना आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों को इस सम्बन्ध में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का भी कोई उल्लेख हीं है।

21. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद खेद व्यक्त करती है कि उड़ीसा के बोर्ड, परजा सोर्स, लान्जिया सोर्स, डोगोरिया कोण्ध, कुटिया कोण्ध, जुआंग और पौडी भुइया जैसे आदिम कबीलों और अन्य राज्यों जहां ऐसे आदिम अबीले रहते हैं तथा आदिम जातीय उपयोजना क्षेत्रों से बाहर रहने वाले आदिम जाति कबीलों के भी, सामाजिक-आर्थिक उत्थान के बारे म प्रारूप में कोई उल्लेख नहीं है।"

22. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि 1978–79 की वार्षिक योजना तथा पंचवर्षीय योजना 1978–83 में आदिम जातीय उप-योजना क्षेत्रों वाले राज्यों द्वारा निर्धारित की गई राशि और राज्य क्षेत्र परिव्यय से राज्यवार नियतन और आदिम जातीय उप योजना के लिए राज्यों को केन्द्र से राज्यवार सहायता का प्रारूप में कोई उल्लेख नहीं है।"

23. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद खेद व्यक्त करती है कि प्रारूप में आबंटनों में वृद्धि का अथवा इस आश्वासन का कि आदिवासी सब-लान आबंटन में कोई कटौती नहीं होगी अथवा आदिवासी सब-प्लान के लिए उपलब्ध निम्नलिखित संसाधनों में धन के व्यपगत होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

(क) राज्य क्षेत्र परिव्यय;

(ख) केन्द्रीय मंत्रालय,

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं,

(घ) संस्थागत वित्त,

(ङ) वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजना में राज्यों तथा भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता।

24. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद खेद व्यक्त करती है कि प्रारूप में सब प्लान योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अथवा प्रभावी कार्यान्वियन के लिए और आदिवासी सब-प्लान क्षेत्रों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासन में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए उस प्रशासनिक व्यवस्था को तुरन्त अपनाने हेतु उन राज्यों को भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदेशों का कोई उल्लेख नहीं है।"

25. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा 'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया, विचार करने के बाद खेद व्यक्त करती है कि प्रारूप में राज्य और केन्द्र की विकास नीतियों का लाभ प्राप्त करने के लिए (क) उत्पादन शुल्क नीति (ख) वन नीति (ग) कार्मिक नीति (घ) आर्थिक नीति (ङ) शिक्षा नीति, (च) संचार नीति, (छ) सिंचाई नीति (ज) औद्योगिक नीति (झ) आबंटन नीति (ञ) सांस्कृतिक नीति तथा अन्य नीतियों के बारे में केन्द्र और राज्यों द्वारा आदिवासी सब-प्लान क्षेत्रों के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है।"

श्री युवराज (कटिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

26 कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

"यह सभा 'पंचवषीय योजना का प्रारुप 1978-83' पर 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करने के बाद खेद व्यक्त करती है कि सरकार उत्तरी राज्यों, विशेषकर बिहार राज्य को कटिहार ताप बिजली संयंत्र को पूरा करने के लिये पर्याप्त आर्थिक सहायता देने और मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में विफल रही है जिससे इस राज्य की वित्तीय स्थिति में गतिरोध पैदा हो गया है और विकास की गति बहुत धीमी पड़ गई है।"

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA (South-Delhi) : Sir, the House is considering the 6th Five Year Plan.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The speech delivered by Shri Stephen is shocking beyond imagination. He has tried for the defence of the interests of big business houses and big industries and has charged the Government that they are trying to settle the higher education. The Prime Minister has appealed that we should all sit togeher to create a national consensus about the sixth plan, but if the opposition continue to be well-wishers of the vested interests in this manner, it would be difficult to have such consensus. There are lakhs of children in the country who become victims of diseases like tuberculosis etc. while working in factories in their young age for want of education. Therefore, our emphasis on elementary education is correct.

During the previous Five Year Plans period nothing was done to remove poverty, economic disparity and concentration of economic power. During that period the assets of 20 big business houses increased to Rs. 5100 crores from 2500 crores. Their growth rate during the last plan had been only 3½ per cent as against the target of 5½ per cent, while the population had increased by 3 per cent and inflation by 50 per cent. Therefore, if the priorities which the previous regime followed during the last 30 years were not changed, the real development of our countrymen would not be possible.

One draft Fifth Five Year Plan was presented in Parliament in 1972-73. That plan started in 1974 and it was over on 24th September, 1976. This was the state of their planning during the previous regime. In order to avoid such a situation, I would therefore, suggest that the plan for 1978 should be treated as a yearly plan and a detailed plan for five years w.e.f. 1979 be formulated.

The concept of rolling plan is no doubt good. But it should be seen that while implementing it the targets are not brought down and every attempt is made to improve the performance.

Our target for 4.7 per cent growth rate does not appear to be adequate; keeping in view the likely increase in population. It should, therefore, be kept at 7 per cent, as stipulated in the Janata Party menifesto also.

The industrial policy declared in the House should have been reflected fully in the plan document. Big industries should not be tolerated in the field of production of consumer items. Consumer items should be reserved for the cottage and small scale industries. Only then we would be able to bring some people above the poverty line.

It is all the more necessary to have curbs on expenditure if the savings and investments are to be increased.

It is a matter of satisfaction, that Rs. 4100 crores have been provided for social needs. There is no mention of the steps proposed to be taken to abolish public schools and to develop neighbourhood or common schools in their place. One type of education should be made available to the children in all areas of the country and social equality should be observed in this regard.

It should be decided as to what would be the level of poverty line at present and then necessary steps should be taken through phased programme in order to bring more and more people above the poverty line.

श्री एन० तोम्बी सिंह (ग्रान्तरिक मणिपुर) : योजना एक अनवरत प्रक्रिया है, इसे नैमित्तिक रूप में नहीं मानना चाहिए जिसे कि नई सरकार के आने से बदला जा सके । सदन के सम्मुख जो दस्तावेज है वह बहुत ही रुचिकर है और इसमें शैक्षिक तथा राजनीतिक पहलुओं को कलात्मक ढंग से मिलाया गया है । पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप एक दिलचस्प दस्तावेज है । इसमें कहा गया है कि जन-संख्या वृद्धि के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को बनाये रखा गया है । लेकिन ऐसा कहना तर्क सगंत नहीं है । योजना की प्रक्रिया राजनीतिक विचार धाराओं से प्रेरित नहीं होनी चाहिए । इसे राजनीति से मुक्त रखना चाहिए । हमें तथ्य पर आधारित बातें ही कहनी चाहिए ।

इस योजना प्रारूप में नई विकास समर नीति का उल्लेख किया गया है जो देश के विकास के सम्बन्ध में कही गई है ।

क्या हम तब तक दीर्घकालिक योजना बना सकते हैं जब तक कि हम राजनीतिक दृष्टि से स्थिर नहीं हो जाते ? आज देश में यह बहुत कठिन है । अत: हमें ऐसा योजना मंच बनाना चाहिए जो राजनीतिक दाव पेंचों से मुक्त हो । उदाहरण के लिए रक्षा विभाग के कार्यकरण को ही लें । योजन आयोग के वर्ष 1977-78 के प्रतिवेदन में अनवरत योजना का उल्लेख किया गया है और इसमें कई परस्पर विरोधी बातें आई हैं ।

मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि योजना मंच, योजना आयोग और विशेषज्ञ प्रबन्ध आयोग इन सभी विभागों को राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित नहीं होना चाहिए ।

यह ठीक है कि हमारा देश राजनैतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है लेकिन आयोजन प्रक्रिया इससे प्रभावित नहीं होनी चाहिये । देश में कुछ क्षेत्रों को पूर्णतः पिछड़ा कहा जा सकता है । जब तक हम इन क्षेत्रों का उत्थान नहीं करते उस समय तक हम देश को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बना सकते । छोटे एककों की चर्चा भी की गई है । उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में जब छोटे छोटे राज्य बने तो इस बारे कोई राष्ट्रीय जनमत तैयार नहीं हुआ था । हमारे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने भी मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश जसे राज्यों के गठन का विरोध किया था । इन क्षेत्रों के विकास हेतु धन देने में अनेक कठिनाइयां सामने आयी हैं । हम ऐसा कब तक कहते रहेंगे कि ये राज्य आर्थिक रूप से स्वावलम्बी नहीं है ।

अत: हमारी भावी योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे लघु उद्योग धन्धे सक्षम बनें। ये राज्य भूवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत पुष्ट हैं और खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, तथा पन बिजली से परिपूर्ण हैं। इनका विदोहन किया जा सकता है और इन्हें राज्यों के विकास के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अत: इन छोटे राज्यों को सक्षम बनाने के लिए ही इनके विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। अंदमान और निकोबार तथा गोआ जैसे छोटे राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र पर्यटन आकर्षण बनाये जा सकते हैं। लेकिन पर्यटन को अभी उद्योग के रूप में इस देश में उभरना है। उत्तर पूर्वक्षेत्र के सभी लघु होटलों का पर्यटन स्थलों के रूप में विकास किया जा सकता है और भावी लाभ हो सकता है। अत: इन होटलों का आधुनिक आधार पर पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास किया जाना चाहिए।

इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए बन ही एक मात्र साधन हैं। इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। अत: हिमालय के अंचल में सभी पर्वतीय क्षेत्रों के बन क्षेत्रों और संसाधनों का विदोहन किया जाना चाहिए। जिससे कि राष्ट्र को लाभ हो।

कहा गया है कि कृषि इस देश का मुख्य आधार है। लेकिन जब तक भूमि सुधार पूर्णत: नहीं किये जाते इन सभी प्रयासों का कोई लाभ नहीं है। मूमि सुधार इस दस्तावेज के अनुसार बहुत ही निराशाजनक रहा है, हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि सुधार कार्य इस योजना की कार्यान्विति से पूर्व ही किया जाये।

आज छटी योजना इस आशा पर आधारित है कि मूल्य स्थिर रहेंगे। लेकिन आजकल मूंल्य बिल्कुल स्थिर नहीं है। अत: इस आशा पर बनाई गई योजना कि मूल्य स्थिर होगें सम्भवत: अत्यन्त घातक बातें होगी।

अनवरत योजना में विरोधी बातें हैं। एक स्थान पर यह कहा गया है कि वार्षिक मूल्यांकन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है और अन्य स्थानों पर यह कहा गया है कि लक्ष्यों का वार्षिक मूल्यांकन आवश्यक होना चाहिए। अत: अनवरत योजना के उद्देश्य से यहीं पता चलता है कि वर्तमान सरकार में आत्म विश्वास नहीं है। देश की ठोस योजना, सुविचारित और दूरगामी योजता की आवश्यकता है जिससे कुछ प्राथमिकताओं को प्रश्रम मिलेगा। अनिश्चित राजनीतिक विचार और ऐसे निश्चय से अनवरत योजना सफल नहीं होगी सुविचारित योजना की आवश्यकता है तभी अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से मुक्त हो सकती है।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी (बम्बई पूर्व-उत्तर) : कुछ प्रगति हुई है इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु उसके लिए राष्ट्र को क्या मूल्य चुकाना पड़ा है यह श्री स्टीफन सहित सभी जानते हैं। वस्तु-स्थिति जानने के लिए इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि 30 वर्षों में जो प्रगति हुई है वह हमारी कीमत पर ही हुई है और उसका हमने भुगतान किया है। सर्वप्रथम इस बात पर विचार किया जाना है कि 1951 से अब तक हमारी अर्थव्यवस्था में केवल 3 1/2 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। प्रगति दर में वास्तविक ह्रास हुआ है। अन्य देशों की तुलना म यह बहुत कम है।

इसके साथ हमें इस पर भी विचार करना है कि असमानता बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के सर्वोच्च 5 प्रतिशत व्यक्तियों के पास 38 प्रतिशत आस्तियां हैं और उनकी आय 30 प्रतिशत है। यह विश्व में सर्वोच्च और अत्यन्त असमान वितरण है। एकाधिकारवादी गृहों की आस्तियां 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। जबकि इसे रोकने के लिए कई प्रकार के अधिनियम और कानून पास किए जा चुके हैं। पिछली योजनाओं के दौरान राष्ट्रीय आय 3 1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढी थीं लेकिन रोजगार प्रगति की दर 2.1 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। प्रगति की प्रस्तावित दर 4.7 प्रतिशत है लेकिन रोजगार की प्रस्तावित प्रगति दर 5.3 प्रतिशत ही रहेगी। अनवरत योजना की संकल्पना में बहुत भ्रांति है। यह तो सराहनीय बात है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए योजना आवंटन में वृद्धि की गई है लेकिन इन संसाधनों को खर्च करने के बारे म कोई व्यवस्था नहीं है। प्रगति सम्बधी नीति और आवंटनों में स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए आवंटन 3.3 प्रतिशत से धटाकर 2.8 प्रतिशत कर दिया गया है। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए आवंटन में 9.2 प्रतिशत की स्पष्ट कमी की गई है और तकनीकी शिक्षा के लिए आवंटन में 3.8 प्रतिशत कमी की गई है। इसके पीछे कोई तर्क तो अवश्य होना चाहिए। यद्यपि विश्वविद्यालय शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के आवंटन में कमी की गई है तथापि प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए आवंटन में काफी वृद्धि की गई है।

श्री समर मुखर्जी (हाक्ड़ा) : पांच पंचवर्षीय योजनाओं से हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके आधार पर ही छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया है । इसमें कहा गया है कि अनुमानित आश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर संविधान में निर्दिष्ट निदेशक सिद्धान्तों में निहित सामाजिक और आर्थिक नीतियों के लक्ष्यों को कार्य रूप में परिणत करने के उद्देश्य को राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने के प्रयास किये गये हैं । लेकिन तथ्य यह है कि निदेशक सिद्धान्तों के होते हुए भी आर्थिक असमानता बेरोजगारी और धन के केन्द्रीकरण में वृद्धि हुई है । अतः यह पूंजीवादी योजना के अतिरिक्त कुछ नहीं । इस योजना में उन्हीं उद्देश्यों का उल्लेख है । समस्या अर्थ-व्यवस्था, बड़े गृहों और पूंजीपतियों के हाथ में है (**व्यवधान**) गांवों में समस्त कृषि अर्थ-व्यवस्था एकाधिकारी भूमि-पतियों के हाथ में है ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि तो हुई है लेकिन मूल्य बहुत गिर गये हैं । इस प्रवृत्ति को रोके बिना गांवों में अधिक धन लगाने का लाभ नहीं इस से तो अर्थ-व्यवस्था का और केन्द्रीकरण होगा । प्रारूप में यह तो स्वीकार किया गया है कि योजना के 25 वर्षों में योजना में कुछ त्रुटियां थीं लेकिन मूल असफलताओं को उचित रूप से नहीं समझा गया ।

एक और अजीब बात यह है कि यह मान कर चला जा रहा है कि उत्पादन की मंद गति और न्यायपूर्ण वितरण ने निर्धनता और बेरोजगारी दूर हो सकेगी । क्योंकि अधिक उत्पादन के लिए तो निहित स्वार्थों पर चोट की जरूरत है। कांग्रेस सरकार ने 5 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा था लेकिन वास्तविक वृद्धि 3 प्रतिशत ही रही। जनता सरकार भी उसी मार्ग पर चल रही है जिससे गरीबी और बढ़ेगी ।

[**डा० सुशीला नायर** पीठासीन हुई]

DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*

यह ठीक ही कहा गया है कि जमींदारी और सामन्तवाद को समाप्त किये बिना निर्धन लोगों के सुधार या उत्थान के लिए व्यय किया जाने वाला धन उन्हें नहीं मिलेगा। योजना के लिए 116,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि रखी गई है। लेकिन मूल्य तो और बढ़ेंगे। संसाधन एकत्र करने के ढंग का जो सुझाव है उससे आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। जमींदारी को समूल नष्ट कर किसानों को भूमि दी जाये। सभी एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

यह कहा गया है कि 8,000 करोड़ रुपये की विदेशी मदद की जरूरत होगी जो कुल योजना व्यय का 12 प्रतिशत बैठता है। इससे तो हम विदेशों पर अधिक निर्भर करने लगेंगे। बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए प्रवेश द्वार खोले जा रहे हैं। उन विदेशी वस्तुओं का आयात हो रहा है जिनका हम स्वयं उत्पादन कर सकते हैं। इससे भारतीय बाजार विदेशी वस्तुओं के लिए उपलब्ध हो रहा है ।

लोगों की क्रय शक्ति कम है और वह कम हो रही है इसलिए आन्तरिक बाजार सिकुड़ रहा है । साम्राज्य-वादी देशों के साथ अधिक से अधिक सहयोग किया जा रहा है। एम० आर० टी० पी० अधिनियम को उदार बनाने तथा अन्य उपाय करने से लगता है कि गैर सरकारी बड़े उद्योगपति प्रौद्योगिकी तथा अन्य बातों के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों से समझौता कर रहे हैं।

SHRI DURGA CHAND (Kangra) : Mr. Chairman, Sir, some hon. Members including the opposition Leader Shri C. M. Stephen have expressed their views regarding Draft Sixth Five Year Plan. The opposition Leader has remarked that in the Sixth Five Year Plan, which is being discussed by the House at present, the target of only that much production capacity which has been created in the country during the last thirty years has been fixed and there is no proposal of installation of any new factories during the Sixth Five Year Plan period. But it is not so. It is quite wrong conclusion, because in the Draft Sixth Five Year Plan provision has been made for much larger production in fertilizers, and cement. Firstly an attempt will be made to increase the production capacity of the present factories, but new units could also be set up for increasing the production of cement, steel and fertilizers.

From the target of production fixed for the Sixth Plan, it is but evident that new units would have to be set up for achieving the increased target and it would naturally generate more employment. The Leader of the opposition should have made same constructive suggestions insteading of indulging into criticism for the sake of criticism.

The most significant feature of the Draft Sixth Five Year Plan is that priorities have been changed therein. The main emphasis of the plan is the development of rural areas. The plan aims at improving agriculture and setting up of small scale industries in rural areas so as to create employment opportunities in the villages. At present people are coming to cities by leaving villages. This trend will be checked by setting up industries and creating employment opportunities in the villages. There has been planned development of cities and not of villages. Development of villages should also be done in a planned way as has been done in the case of cities.

The next point I would like to emphasise is that there is need for restructuring of blocks and the targets should be fixed for development of blocks. Every year at least four or five villages in a block should be developed as model villages.

It is proposed to add 18,500 MW of generating capacity of electricity during the plan. Bulk of new capacity would be in thermal sector. We have limited reserves of coal and after those resources are exhausted there would be difficulty in generating thermal power. We have inexhaustible water resources. Therefore more attention should be paid to generation of hydel power.

श्री दाजीबा देसाई (कोल्हापुर) : योजना आयोग ने इस प्रारूप में कुछ निष्कर्ष दिए हैं। एक यह है कि कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन स्थिर रहा है। दूसरी बात यह है कि आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण बढ़ गया है। तीसरा निष्कर्ष यह है कि बैंकिंग प्रणाली से लाभ उठाने वाले बड़े-बड़े लोग अधिक धनी हो गए हैं। चौथा निष्कर्ष यह है कि संसाधनों का बड़ा भाग ऐसे उत्पादन में लगाया जा रहा है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध अधिक आय वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन निष्कर्षों को ध्यान में रखकर सरकार समूची आयोजना प्रक्रिया पर पुनर्विचार करेगी ?

सरकार तथा योजना आयोग ने बेरोजगारी, निर्धनता तथा असमानता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अत: 30 वर्षों की आयोजना तथा बड़ी मात्रा में निवेश करने के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें हैं कि हमें अभी इन समस्याओं का सामना करना है।

गत 30 वर्षों के दौरान इतनी पंचवर्षीय योजनाओं और हजारों करोड़ों रुपये के निवेश के बावजूद भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में असफल रहे हैं। अब पुन: वही तरीका अपनाया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने संकेत दिया है कि भारत को छोटे किसानों के अनुकूल खेती प्रणाली का विकास करना होगा। किन्तु गत दस वर्षों के दौरान व्यावहारिक रूप से यह हुआ है कि देश में कृषकों की संख्या घट गई है तथा खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ गई है। इससे पता चलता है कि छोटे किसानों को कृषि कार्य से हटाया जा रहा है और वे अब खेतिहर मजदूर बन रहे हैं। गत तीस वर्षों के दौरान कृषकों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीण भारत की मुख्य समस्या यह है कि छोटे किसानों की देखभाल कैसे की जाये।

भारतीय कृषकों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कृषि में रोजगार कैसे बढ़ाया जाये। ऐसा केवल तभी हो सकता है जबकि हम किसानों को उनकी उपज के बदले में लाभप्रद मूल्य दें। यही एकमात्र उपाय है जिससे उत्पादन बढ़ेगा और फलस्वरूप किसान की आय में भी वृद्धि होगी। इससे बचत होगी तथा हमें ग्रामीण बाजार उपलब्ध होगा।

सरकार को कृषि तथा उद्योग में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उद्योग से लाभ कमाना सुनिश्चित किया जाये किन्तु कृषि पर यह सिद्धान्त लागू न किया जाये।

समूचे भारत में बिजली पर प्रभार की दो प्रकार की दरें लगाई गई हैं। एक कृषि समुदाय पर और दूसरी दर औद्योगिक समुदाय पर जो कि पहली दर से कम है। इसी तरह देश में आर्थिक विकास के मामले में कई भेदभाव हैं। जब तक हम भेदभाव समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम कृषि के साथ न्याय नहीं कर सकते।

श्री यशवन्त बोरोले (जलगांव) : विपक्ष के नेता ने कहा है कि छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर-उद्योगों का विकास करना व्यर्थ है क्योंकि उनके अनुसार ऐसा करना अवनति की ओर कदम होगा। बड़े उद्योगों के विस्तार तथा कारखानों में वस्तुओं के अधिक उत्पादन से ही अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी। हमने गत 25 वर्षों से जो आयोजना प्रक्रिया अपनाई है, उससे यह विचार गलत सिद्ध हो जाता है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं से, जिनमें हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, कम से कम इस देश के 75–80 प्रतिशत लोग लाभान्वित नहीं हुए है प्रारूप में दिये गये आंकड़ों से सिद्ध होता है कि गत योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्गों, सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों तथा बेरोजगार व्यक्तियों को नहीं पहुंचा है।

हमने योजनायें बनाई। हम आशा करते रहे कि उत्पादन में वृद्धि होगी, अधिक सीमेंट, अधिक इस्पात तथा अधिक बिजली उपलब्ध होगी और हम जनसाधारण का जीवन सुखी बना सकेंगे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं हैं और जन साधारण पिसता जा रहा है। बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी बढ़ी है। असमानता बढ़ी है। गरीबी बढ़ी है। 60 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति गरीबी से स्तर से भी नीचे जीवन गुजार रहे हैं। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। हमें योजना के कार्यन्वयन से पहले इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और योजना का कार्यान्वियन ऐसा होना चाहिए जिससे जनसाधारण को लाभ पहुंचे।

हमारी परिस्थितियां विशिष्ठ हैं। हमारी 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और गांवों में रहती है। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना है कि हमारी अर्थ व्यवस्था कैसी हो। हमें अपने निम्नतम स्तर के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा जब तक हमारे यहां लघु उद्योगों का विकास नहीं होता, जब तक हमें उन उपभोक्ता वस्तुओं का गरीब जनता में वितरण हेतु आयात करना है, जो उपलब्ध नहीं हे। श्री स्टीफन का यह कहना सही नहीं है कि आयात से हमारे उद्योग समाप्त हो जायेंगे। हम इस बात के लिए बचनबद्ध हैं कि लाभ निम्नतम वर्ग के व्यक्तियों को भी प्राप्त हों।

योजनाएं ठीक प्रकार लागू नहीं की गई। इसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। योजना के विश्लेषण के लिए जन साधारण का सहयोग और योगदान अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा किसानों और भूमिहीन मजदूरों में आत्म विश्वास पैदा कर किया जा सकता है।

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : मैं इस दस्तावेज के उस भाग का स्वागत करता हूं जिसमें पिछली सरकार की असफलता को माना गया है। आशा है अब योजनाओं के लागू करने में ऐसी असफलताएं नहीं होंगीं।

पिछली योजना में पिछड़े वर्गों के लिए केवल इतना आबंटन किया गया था कि वह पिछड़े वर्ग के प्रति-व्यक्ति के लिए प्रति वर्ष केवल 25 पैसे बैठता था। इस योजना में यह राशि अधिक से अधिक एक रुपया बैठती है। योजना के मसौदे के अनुसार पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 25 प्रतिशत है, जबकि प्रावधान एक प्रतिशत का किया गया है। पिछली योजनाओं की असफलता के समान इस योजना में भी उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इस प्रावधान में वृद्धि की जानी चाहिए।

वर्तमान योजना में ग्रामीण क्षेत्र के विकास की ओर महत्व दिया गया है। वहां रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केवल आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जाए।

योजना के मसौदे में प्रस्ताव करते समय अनुच्छेद 39 में निहित निदेशक सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाए। अब तक इनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है ?

सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण पर विस्तार से चर्चा करे जिसमें सभी पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि हों। यदि योजना में कुछ लोगों को लाभ देने का सिद्धान्त अपनाया गया तो गरीब लोग और मर जाएंगें।

पिछड़े वर्गों की जमीनों को अपने हाथ में लेकर सरकार सरकारी फार्म बनाए और आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाए। उनकी दशा सुधारने का एक तरीका यह भी है।

CHOWDHRY BALBIR SINGH (Hoshiarpur) : Mahatma Gandhi wanted villages to be self-sufficient. We should start planning with villages as a unit. The present system of planning from top setting in cities should be given up. The need of each village should be assessed and steps should be taken to make villages self-sufficient.

Economic disparities in our country has increased. The rich are becoming richer and the poor are becoming poorer. Thus the gap between rich and poor has widened which is very difficult to be abridged.

Schemes should be formulated for adult education in villages. Proper medical facilities should be provided to rural people. We should go to villages in person and find out their needs and difficulties. We should set up big industries in rural areas so that they may avail the employment opportunities. We should start our planning from the bottom. This will help us in developing our villages. There is no drinking water, roads etc. in villages—Efforts should be made to provide all these facilities to the villagers.

There is need for decentralisation of planning. The people of the areas concerned will be in a better position to know their problems and suggest ways and means to tackle them.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : प्रधान मन्त्री द्वारा सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव प्रलेख से इस बात का पता नहीं लगता कि देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में होनी चाहिए और इसे कैसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

यह तो स्पष्ट है कि देश की आधारभूत आर्थिक नीतियां राष्ट्रीय सहमति पर ही निर्धारित की जा सकती हैं । लेकिन, दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राष्ट्रीय सहमति नहीं थी और इस के साथ ही अनवरत योजना तथ्य इसकी संकल्पना के बारे में परस्पर विपरीत मत व्यक्त किए गए थे । पिछली सरकार द्वारा विचारित योजना प्रणाली को समाप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।

हमारी अर्थव्यवस्था में न केवल आर्थिक गतिरोध है वरन् इसकी प्रगति भी रुक गई है । वित्तीय वर्ष 1977-78 में मुद्रा प्रचलन 15.4 प्रतिशत बढ़ गया था । मार्च, 1977 और मार्च, 1978 के बीच इसमें 2402 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई अर्थात 15,609 करोड़ रुपये से बढ़कर 18011 करोड़ रुपये हो गई, मुद्रा प्रसार की ऐसी वृद्धि से मुद्रा स्फीति पैदा होगी ।

योजना परिव्यय की कुछ मदों के लिए धनराशि बढ़ाने से राष्ट्र के विकास की योजना का संकेत नहीं मिलता । जन-शक्ति का उपयोग करने के बारे में कोई योजना तैयार नहीं की गई है । इसके लिए सरकार को दंड निश्चय होना होगा । यह दृढ निश्चय प्रगति की दिशा में नहीं है । अत: हम विकास या प्रगति की कैसे आशा कर सकते हैं ? यह तो प्रलेख प्रारूप तो सजावट मात्र है । सड़क निर्माण कार्यों या कतिपय औद्योगिक मामलों के लिए रोजगार आदि के लिए अधिक धन का आवंटन करने के अतिरिक्त पिछली योजनाओं और इन प्रलेख प्रारूपों में कोई अन्तर नहीं है ।\

बड़े और भारी उद्योग समूहों की जो बहुत पहले से कार्य कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, इस परिवर्तित परिकल्पना द्वारा विघटित किया जायेगा और हम फिर बैल-गाड़ी के युग में पीछे हट रहे हैं । सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना चाहती है लेकिन इस देश में कौन से औद्योगिक संसाधन उपलब्ध है जिनका कि मानव विकास के लिए पता लगाया जाये ।

विचाराधीन पंच वर्षीय योजना प्रारूप को कार्यान्वित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि इसमें यह संकेत नहीं दिया गया है कि देश का किस दिशा में विकास किया जा सकता है । अब स्वीकृत की जाने वाली आर्थिकसमर नीति क्या है तथा स्थिति का सामना करने हेतु कौन कौन से संसाधनों का पता लगाना है । बेरोजगारी, कम रोजगारी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, जन शक्ति और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग की समस्याओं को हल करने के बारे में कोई दिशा संकेत नहीं है ।

हम अपनी अर्थव्यवस्था को देश में कुछ समूहों के चंगुल से कैसे निकाल सकते हैं ? योजना प्रारूप में इस बारे में कोई संकेत नहीं है । इस सम्बन्ध में वैचारिक या आर्थिक कोई आधारभूत ढांचा नहीं सुझाया गया है । इस सभी मामले पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर डालने वाले इस प्रलेख प्रारूप की मैं सराहना करता हूं । कृषि अनेक पहलुओं पर निर्भर करता है । कृषि विकास के लिए हमें सिंचाई बिजली, उर्वरक, कीटनाशाक तथा अन्य उपादानों की आवश्यकता पड़ती है । हमने अब तक इस सम्बन्ध में क्या किया है ? सिंचाई के मामले में हमने लघु सिंचाई व्यवस्था की अब अवहेलना की है । यह हमारा दुर्भाग्य रहा है । सभी बड़ी परियोजनाओं के पूरा होने से देश में सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि भी सिंचाई नहीं हो पायेगी । इसलिए हमें लघु सिंचाई पर उपयुक्त जोर देना चाहिए । गंगा और कावेरी को मिलाने सम्बन्धी डा० के० एल० राव द्वारा सुझाई गई योजना की प्रधान मन्त्री को जाँच करनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए । यद्यपि इस परियोजना में बहुत अधिक धन राशि लगेगी लेकिन इसे मंजूर कर लेना चाहिए । यदि यह कार्य आरम्भ किया गया तो इससे न केवल सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि की सिंचाई होगी बल्कि देश में भावात्मक एकता भी आएगी ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए खेद है सरकार ने नई रेलवे लाइन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इनके विकास के लिए रेल लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और वे एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। परन्तु इस दस्तावेज में स्पष्ट है कि कोई भी नई लाइन नहीं बनाई जा रही है। प्रधान मंत्री को चाहिए कि उन क्षेत्रों में कुछ लाइनें बिछाई जाएं।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार सड़क निर्माण, जल सप्लाई आदि के लिए कुछ प्रवधान करने जा रही है। परन्तु जनसंख्या पर नियंत्रण किए बिना यह सब बेकार है और उसको ही कोई महत्व नहीं दिया गया है तथा इसके अभाव में देश वांछित उन्नति नहीं कर सकेगा।

सरकार लघु और घरेलू उद्योगों पर जोर दे रही है। ऐसा नहीं कि हमने इनकी सर्वथा उपेक्षा कर दी थी परन्तु हम बड़े उद्योगों पर, अधिक जोर दे रहे थे क्योंकि इनके बिना लघु-उद्योगों का विकास असम्भव है। अतः बड़े उद्योगों की उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं है। यह कहना गलत है कि हमने बड़े उद्योगों में धन लगा कर उसकी बरबादी की है और अब हमें केवल लघु और घरेलू उद्योगों का ही विकास करना चाहिए। ऐसा विचार देश के लिए बड़ा खतरनाक है।

भूमि सुधारों के बिना ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करना बेकार है। अन्यथा यह करोड़ों रुपया केवल बड़े जमींदारों के हाथ में ही चला जाएगा। इससे बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी, इसलिए भूमि सुधार महत्वपूर्ण हैं। अन्यथा देश में अराजकता छा जाएगी।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं सरकार को 116,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले इस साहसिक दस्तावेज के लिए सरकार को बधाई देता हूं।

प्रधान मंत्री ने स्पष्टतः यह कहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है। सम्भवतः उसके लिए वित्त आयोग के नवम्बर में प्रतिवेदन देने और परिव्यय की अगली बैठक तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो क्या तब तक योजना-कार्य सर्वथा बन्द रहेगा?

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे। संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

17वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 17वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

आधे घंटे की चर्चा

HALF—AN—HOUR DISCUSSION

मोती डुंगरी महल से मारे गए छापे के दौरान बरामद की गई वस्तुएं

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA (Salempur) : The answers given by the Minister to my Unstarred Question No. 3292 dated 9-12-1977 and Starred Question No. 641 dated 7-4-1978 are contradictory. While there is mention in the answer to the articles seized on 5th and 10th June, 1975 there is no mention of the articles recovered in the raid of 11-2-1975. Therefore, I want to raise this discussion.

In my question dated 9-12-1977 I had asked whether the Finance Minister would be pleased to state the reasons for not depositing or depositing only part of the treasure recovered from Jaigarh, Moti Doongri and other palaces in Jaipur, who is responsible for this default and what action has been taken by the Government in this regard? To this the answer given by the Finance Minister is to find out the hidden treasure digging operations are conducted only in Jaigarh Fort and this was done from June to November, 1976. Nothing was recovered in the said digging operations.

Now this answer is somewhat strange. In my question I had said that the whereabouts of the treasure recovered from Jaigarh, Moti Doongri and other palaces, whether during digging operations or searches are not known. But the Minister replied that nothing was recovered. Thus the question and the answer have no relevance.

Then on April 7, 1978 I asked whether the Finance Minister would be pleased to lay a statement on the Table of the House showing the details of the articles recovered in the search of the Moti Doongri Palace, the places where those articles had been deposited and the value thereof ? Now in answer to this the Minister admitted that certain articles have been recovered and also gave the details thereof. Apparently both the answers are correct. It can not be so. If the first answer is correct then when those articles were recovered where were they deposited ? I want to know in whose custody those articles remained and where ? My information is that after the recovery of that treasure, the Jaipur-Delhi road was closed for traffic and that treasure was transported and the destination thereof was not known. I have an apprehension that there has been serious bungling in the whole affairs. Therefore, I want to know where is that treasure was kept during this interim period and whether there is any intention on the part of anybody to hide the same and if so who he is and what action was taken against him ? Also why there is so much difference between the two answers given by the Minister and why the whole thing is being white washed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : The Income Tax Department and Gold Control Authorities raided and searched 8 premises belonging to the erstwhile Jaipur Royal Family between 11th February, 1975 to 13th June, 1976. Out of these 8 premises 3 were in Delhi and 5 in Jaipur. In Jaipur, Ram Bagh Palace, Raj Mahal Palace, Moti Doongri Palace, Civil Lines Palace and City Palace were raided and searched. In Delhi, two premises where Mrs. Padmini wife of Col. Bhawani Singh stayed and one premises where Col. Bhawani Singh stayed were searched.

Apart from these searches and seizures there is the question of digging of treasure at Jai Singh Fort. The question asked by Shri Kushwaha in December 1977 related to this digging and in reply it was stated that nothing was found as a result of this digging of treasure. Since no digging was done at Moti Doongri Palace, nothing was stated about that.

The question put on April 7, 1978 asked for specific information about Moti Doongri Palace. The information was then given about the raid and seizures made by the Income Tax Department and Gold Control Authorities between 11th February, 1975 and 13th April, 1975 in Moti Doongri Palace.

The Agreement was signed on 22nd May, 1976 between Col. Bhawani Singh and Government of India about digging in Jai Singh Fort. The Director of Investigation submitted a report to the Chairman, Direct Taxes Board, on 27th December, 1976 about the digging done in the Fort. According to that report nothing was found after the digging operations in Jai Singh Fort.

As regards searches and seizures made in 1975, the Gold Control Authorities made seizures worth Rs. 4 crores 30 lakhs from Moti Doongri Palace, Ram Bagh Palace and Raj Mahal Palace. The Income Tax Department searched three premises in Delhi and five premises in Jaipur and made seizures worth Rs. 4 crores 90 lakhs approximately. I am also laying on the Table of the House a statement showing the details of the seizures made from the premises belonging to the members of the erstwhile Jaipur ruling family.

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 4 मई, 1978/14 वैशाख, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 4, 1978/Vaisakha 14, 1900 (Saka).

215 एल० एस० एसं० /78—जी०आई०पी०एफ०